राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९५८ का १७वाँ दिवस [संख्या १३

बुधवार, २६ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रराम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

पब्लिसिटी वान्स

४०९. **डा० बहादुरसिंह** (श्री पी० के० चौधरी की अनुपस्थिति में) : Will the Home Minister be pleased to state: Is it correct that the three Publicity Van Bodies, orders for which were placed with Electronics, Delhi, through the Director General, Supplies & Disposals, Government of India, were taken delivery of by the State Government without obtaining a verification certificate from the Director General, Supplies & Disposals, as to their specifications and price?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : Orders for the purchase of the three mobile publicity vans were placed with the firm directly by the Director of Public Relations under orders of the Government, and not through the Director General of Supplies & Disposals, Government of India, hence it was not necessary to obtain a verification certificate in question before taking delivery.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स ने सर्टिफिकेट इश्यु करने से मना कर दिया है, क्योंकि बगैर चैक कराये ही इश्यु कराई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जरूरत ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील पंचायत, दूनी

४१०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ता० २७-५-५७ को तहसील पंचायत दूनी के कार्यालय का ताला तोड़ा गया ?

(ख) अगर हां, तो किसके द्वारा और क्या क्या सामान चोरी गया ?

(ग) क्या इस विषय में सम्बन्धित विभाग में तहसील सरपंच की तरफ से कोई शिकायत पेश हुई है ?

(घ) अगर हां, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलत-

Page No.2

राम सारण) : (क) ताला तोड़ा नहीं गया, किन्तु खोला गया था।

(ख) इन्स्पेक्टर के निरीक्षण के लिए पंच की मौजूदगी में ताला खुलवाया गया। कोई सामान चोरी जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब ताला खुलवाया गया, तो वहां कौन कौन मौजूद थे? तहसील का सरपंच वहां मौजूद था या नहीं।

श्री दौलतराम सारण : तहसील पंचायत को कितनी बार लिखा गया कि निरीक्षण करना है। सरपंच को करीब चार बार बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया। इसलिए पंच की मौजूदगी में ताला खुलवाया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब सरपंच को कई बार बुलाया गया और आया नहीं तो क्या कोई एक्शन उसके विरुद्ध लेने की आवश्यकता नहीं थी?

श्री दौलतराम : यह सरपंच का प्रारम्भिक अवसर था, इसलिए जरूरी नहीं समझा गया कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय। उनको माफ कर दिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फिर ताला किस लिये खुलवाया गया?

श्री दौलतराम : इन्स्पेक्शन के लिए खुलवाया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स देने की क्यों जरूरत हो गई कि इन्स्पेक्टर ताला खुलवा कर इन्स्पेक्शन करता?

श्री दौलतराम : इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स नहीं थे। इन्सपेक्टर तो इन्सपेक्शन के लिए गया था। चार बार सरपंच को लिखा गया लेकिन वह आया नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इन्स्पेक्शन करने के लिए क्या पहले कोई इन्स्पेक्टर के पहुँचने का प्रोग्राम भेजा गया था या नहीं?

श्री दौलतराम : चार बार तारीखें देदीं लेकिन निरन्तर सरपंच गैर हाज़िर होता रहा इसलिए ऐसा करना पड़ा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इस विषय में चीफ पंचायत ऑफिसर के पास से इज़ाजत हासिल कर ली थी? उनकी इज़ाजत से ही ताला खोलना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

पाली जिले में वृक्षारोपण

४११. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में प्लान्टेशन कहां कहां पर किया गया है और उनकी रक्षा के लिये सरकार ने क्या इन्तजाम कर रखा है?

(२) क्या यह सही है कि इन स्थानों में मवेशी घुस जाने पर उनके मालिकों से बहुत हाई रेट से फाटक की वसूली की जाती है? यदि हां, तो साधारणतः रेट क्या है?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्लान्टेशन फार्म ऐसे स्थानों पर लगाये गये हैं जिनसे कि

(श्री बेनाराम)
वहां मवेशियों को चरने के स्थान की बहुत कमी हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा):

(१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(२) प्लान्टेशन जमादार और प्लान्टेशन गार्ड्स नियुक्त किये गये हैं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री बेनाराम : क्या इन स्थानों पर तारा बन्दी की व्यवस्था की गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ताराबन्दी की तो व्यवस्था नहीं है किन्तु रखवाली करने के लिये आदमी रहता है।

श्री बेनाराम : क्या अब ताराबन्दी करने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इतना धन उपलब्ध नहीं है कि सभी जगह पर ताराबन्दी की व्यवस्था कर सकें। लेकिन फिर भी ज्यों ज्यों पैसा मिलता है, इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है।

श्री बेनाराम : फाटक की वसूली किस रेट से की जाती है, माननीय मंत्री महोदय, बतायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी सूची आपको दे दी गई है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूं।

भैंस - भैंसा २ रुपये पाडिया पाड़ा १ रुपया

हाथी १० रुपया

गाय १ रुपया

गधा २ रुपया

घोड़ा २ रुपया

भेड़ १ रुपया

ऊंट ५ रुपया

बकरी का बच्चा आठ आने

बकरा या बकरी १ रुपया

श्री बेनाराम : गधा और घोड़ा दोनों एक ही भाव क्यों रखे गये हैं ?

श्री नाथूराम : वे करीब नुकसान एकसा ही करते हैं।

यातायात (बस सर्विस) का परीक्षण

४१२. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :-

(१) जयपुर से गंगापुर जाने वाली तथा दौसा से बौंली जाने वाली एवं लालसोट से सवाई-माधोपुर जाने वाली कितनी मोटरों का गत ३ वर्ष में चालान हुआ और उनमें से कितनों को छोड़ दिया गया ?

(२) क्या उपरोक्त सड़कों पर चलने वाली मोटरें ठीक समय पर चलती हैं ?

(३) क्या यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए थाने के मुकाम वाले स्टेण्ड पर कोई चैक करने वाला अधिकारी नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जहां जहां चैक किया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है जो इस प्रकार है :

चैक किये जाने तथा चालान की जाने वाली मोटरों की संख्या निम्न है :

(श्री रामकिशोर व्यास)

नाम रूट	कुल संख्या जिनको चेक किया गया	चालान किया गया
गगापुर–जयपुर	६२.	१०
दौसा–बाली	कुल दस बार चैकिंग हुआ किन्तु कोई चालान नहीं किया गया, क्योंकि कोई चालान के काबिल केस नहीं बना।	
लालसोट–सवाई माधोपुर	६३	१५

(२) हां

(३) थाने के मुकाम पर सब इन्सपेक्टर पुलिस इस कार्य के लिये मोटर विहिकल्स एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है।

श्री प्रभुलाल : मनमाने तौर पर लोगों को बैठाते हैं इसलिये मुसाफिरों को तकलीफ होती है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसलिये चैकिंग होता है, जिसका चैकिंग हुआ वह बता दिया।

तहसील दूनी व उनियारा में सड़क निर्माण

४१३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील दूनी और तहसील उनियारा डिस्ट्रिक्ट टोंक में कुल कितने माइल की सड़क है ?

(ख) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में उपरोक्त तहसीलों में आवागमन कठिन हो जाता है ?

(ग) क्या इस कठिनाई का निवारण करने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ?

निर्माण मंत्री [श्री नाथूराम मिर्धा] :

[क] ६१ मील।

[ख] जी हां।

[ग] जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बरसात में बड़ी तकलीफ होती है, यह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : धीरे धीरे चल रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब बात पैसे की है, ज्यों ज्यों पैसा मिलता जा रहा है सड़कें बनायी जा रही हैं।

श्री तनसिंह : आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री नाथूराम : सड़कें बनाने का काम चल रहा है।

प्रश्न संख्या ४१४

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

डा० चन्द्रकला।

नगरपालिका, जयपुर

४१५. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार-जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर नगरपालिका की सीमा के भीतर बसी हुई जालूपुरा, नारी का नाका, हसनपुरा, लालकोठी आदि बड़ी बड़ी जनसंख्या वाली बस्तियों में पानी, रोशनी, शौच आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) सरकार का उक्त बस्तियों में उपरोक्त सुविधायें कब तक देने का विचार है ?

(३) क्या बनी पार्क क्षेत्र में सेवेज़ लाइन डलवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) :

(१) चारों बस्तियों में इस समय निम्नलिखित बिजली की बत्तियां व पानी के नल लगे हुए हैं :

नाम बस्ती	बिजली की बत्तियों की संख्या	नल की संख्या
१. जालूपुरा	६.	१.
२. नारी का नाका	८.	७.
३. हसनपुरा	११.	७.
४. लालकोठी	४.	३.

नगरपालिका के इस वर्ष के बजट में भी इस काम के लिये प्रोवीजन किया गया है।

(२) शहर की गन्दी बस्तियों को हटाने तथा वहां के निवासियों को अन्य स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर समस्त सुविधायें देकर बसाने की एक योजना स्लम क्लिअरेन्स स्कीम तैयार की जा चुकी है। वह भारत सरकार से द्रव्य प्राप्त होने पर कार्यान्वित होगी।

(३) जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इन चारों बस्तियों को स्लम में लाने की बात है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो बस्तियां स्लम में हैं वे सब इनमें आ जायंगी।

डॉ० चन्द्रकला : कौन कौन सी बस्तियां स्लम में हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न है।

डॉ० चन्द्रकला : स्लम क्लियरेन्स की जो योजना है वह कब तक क्रियान्वित होने की आशा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रुपया आने पर ही होगी, इसमें एक-दो साल लग ही जायेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या भारत सरकार से पैसा आने में एक-दो साल लग जायेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई इस योजना को क्रियान्वित होने में दो साल का अर्सा लग जायगा।

नगर विकास मंडल

४१६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड में मकान के लिये जमीन चाहने वालों की गये चार साल से कितनी दरख्वास्तें आयी हैं ?

(श्री प्रभुदलाल)

(ख) उनमें से कितनों को ज़मीन दी गई ?

(ग) ज़मीन बांटने का तरीका क्या रखा जाता है ?

(घ) क्या यह सही है कि जिन लोगों की दर्ख्वास्तें पहले की थीं उन्हें नहीं दी गई ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) ये दरख्वास्तें ४००० हैं।

(ख) अनुमानतः १००० प्लॉट्स दिये जा चुके हैं।

(ग) इस संबन्ध में सरकार ने एलोटमेन्ट के नियम बना दिये हैं और उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) यह सही नहीं है कि मनमाने तौर पर जमीन का वितरण किया जाता है। नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है । इस संबन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आयी है।

[कृपया परिशिष्ट २ देखिये]

श्री धर्मपाल : क्या वास्तव में कुछ एल० एल० एज० की दर्ख्वास्तें हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं नहीं कहा सकता।

श्री प्रभुलाल : सूची नहीं दी गई है, अध्यक्ष महोदय।

पारवती एवं चम्बल नदी पर पुल निर्माण

४१७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पीपल्दा क्षेत्र के विकास के लिए पारवती एवं चम्बल नदी पर पुल बनवाने का सरकार कोई विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पुल कहां कहां बांधे जाने का विचार है ?

(ग) क्या इनकी स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो उनका कार्य कब तक पूरा किया जावेगा ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं। अभी कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४१८

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

मैडिसिन बोर्ड

४१६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान इन्डियन मैडिसिन बोर्ड का निर्वाचन कब हुआ और क्या उसका परिणाम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) १६–७–५७ को और यह दिनांक ५–६–५७ के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

(ख) जी हां।

श्री बहादुरसिंह : क्या बोर्ड के सदस्यों ने सरकार के सामने अपनी कठिनाइयां भी रखी हैं ? अगर हां, तो क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : जी हां रखी हैं।

श्री बहादुरसिंह : वे क्या हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न अलहदा पूछें तो अच्छा होगा।

श्री बहादुरसिंह : आयुर्वेद शिक्षण की व्यवस्था इन्डियन मेडिसिन एक्ट के अन्तर्गत बोर्ड करता है और बोर्ड को करनी चाहिए, अगर नहीं करता है तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह इस सवाल से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री बहादुरसिंह : बोर्ड के संबन्ध में ही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने तो सवाल यह पूछा कि बोर्ड का निर्वाचन कब हुआ और क्या कार्य आरम्भ कर दिया है। यह हमने बतला दिया।

श्री बहादुरसिंह : बोर्ड का क्या कार्य है ? आयुर्वेद शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था का काम भी तो बोर्ड का ही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन कर दिया, इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसका उद्घाटन भी हो चुका है और जो इसकी ड्यूटिज़ हैं वे एक्ट के अन्तगत आ गई हैं।

फोरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, कोटा

४२०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में) :** क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा फोरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेंड कितने व्यक्ति पूर्वी सर्किल में और कितने व्यक्ति पश्चिमी सर्किल में किस किस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि फिक्सेशन के न होने से पूर्वी सर्किल वालों का ग्रेड इन्क्रीमेंट रोक दिया गया था, जब कि पश्चिमी सर्किल वालों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(३) क्या यह सही हैं कि इन व्यक्तियों का पोस्टिंग सीनियोरिटी के आधार पर नहीं किया गया है ?

(४) क्या यह भी सही है कि सरकार ने विधान सभा के प्रारम्भिक अधिवेशन में सदन को यह विश्वास दिलाया था कि इन व्यक्तियों का फिक्सेशन शीघ्र किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक फिक्सेशन क्यों नहीं किया गया ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) पूर्वी सर्किल में ४६ व पश्चिमी सर्किल में ३३। ये निम्नलिखित पोस्ट पर काम कर रहे हैं :

	पूर्वी सर्किल	पश्चिमी सर्किल
रेन्जर	१६	११

Page No.8

[श्री नाथूराम मिर्धा]

डिप्टी रेन्जर	१२	१०
फोरेस्टर	२१	१२

यह सूचना १६४६-५० व १६५१ में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों के संबन्ध में है।

(२) जी हां। कुछ गलतफहमी से ऐसा हुआ।

(३) पोस्टिंग एड होक बेसिस पर किया गया था।

(४) जी हां। रेन्जर और डिप्टी रेंजर्स के रिप्रेज़ेन्टेशन पर निर्णय हो चुका है। फोरेस्टर्स. हैड गार्ड व हवालदार्स के रिप्रेज़ेन्टेशन्स विचारणीय हैं, शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

सन १६५१-५२ में पुलिस प्रशिक्षण पर व्यय

४२१. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १६५१-५२ से अब तक पुलिस विभाग द्वारा किशनगढ़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और भिन्न-भिन्न विभागीय शिक्षण पर प्रतिवर्ष कितना-कितना रुपया खर्च किया गया ?

(२) उपरोक्त ट्रेनिंगों में शिक्षार्थियों की संख्या क्या थी और उन पर पर-कैपिटा कितना खर्च हुआ ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सन् १६५१-५२ में १,७४,८५४ रुपये, इसमें आर० टी० सी०, जयपुर के खर्च के आंकड़े रेकार्ड के उपलब्ध न होने के कारण नहीं दिए जा सके।

सन् १६५२-५३ में २,१४,२१७ रुपये
सन् १६५३-५४ में २,१६,०८६ रुपये
सन् १६५४-५५ में २,४७,४८० रुपये
सन् १६५५-५६ में २,६६,०८१ रुपये
सन् १६५६-५७ में ३,२८,४६१ रुपये

(ख) शिक्षार्थियों की संख्या १२,६१३ थी तथा उन पर खर्चा पर-कैपिटा ३२ नये पैसे प्रतिदिन रहा।

श्री तनसिंह : यह शिक्षार्थियों की १२ हज़ार की संख्या ५१-५२ से लेकर है या इसी एक वर्ष की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : शुरू से।

श्री तनसिंह : पर-कैपिटा क्या बताया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३२ नये पैसे प्रति दिन।

नगरपालिका, लूणकरनसर

४२२. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

लूणकरणसर, जिला बीकानेर में भूतपूर्व नगरपालिका का कोष वहां की ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने का प्रश्न कब से विचाराधीन है तथा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं तथा इतना विलम्ब किस कारणवश हुआ है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : लूणकरणसर जिला बीकानेर में भूतपूर्व नगरपालिका का कोष, वहां की ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने का प्रश्न ता० १३।५।५३ से विचाराधीन है। इस विषय पर निर्देशक स्थानीय निकाय, जयपुर और मुख्य पंचायत अधिकारी को आवश्यक कार्य-

Page No.9

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

वाही के लिये लिख दिया गया है । प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अभी तक इस पर अन्तिम निर्णय नहीं हो सका । सरकार का यह प्रयत्न है कि जल्दी से जल्दी यह प्रश्न हल हो जाय ।

श्री भीमसेन : प्रशासनिक कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फाइनेन्शियल वगैरह हैं ।

श्री भीमसेन : इतना सिम्पल सा मामला है । आज पांच साल से यह पेन्डिंग में पड़ा है, बस म्युनिसिपेलिटी का कोष पंचायत को हस्तान्तरित करने का प्रश्न था ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितना सिंपल आप समझते हैं उतना नहीं है । सरकार यह देख रही है कि म्यूनिसिपिल बोर्ड का बकाया किसी का है या नहीं और क्या-क्या कठिनाइयां हो सकती हैं । यह सब देखने करने में समय लग गया है । पर फिर भी इसमें जरा देर हुई है यह हम भी मानते हैं । अब जल्दी कर दिया जावेगा ।

श्री भीमसेन : डॉइरेक्ट पत्र द्वारा लिखा है कि जो फण्ड पड़ा है उसको पंचायत को ट्रान्सफर कर दिया जावे । इसमें इतना समय लग गया और अब भी आप कह रहे हैं समय लगेगा, हुआ नहीं है तो यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री बद्रीप्रासद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : बात यह है कि सरकार को यह देखना है कि म्युनिसिपेलिटी के डिज़ोल्व हो जाने के बाद किसी का बकाया तो नहीं है, ए. जी. से पूछताछ करने में समय लगा, और-और बातें मालूम करने में समय लग गया है । ऐसी कोई बात नहीं है कि जानबूझ कर समय अधिक लगाया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका का यह कोष अभी इस समय किसके कब्जे में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार के ।

श्री भैरोंसिंह : जब पंचायत बन गई तभी इस आशय का ऑर्डर क्यों नहीं दे दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्थानान्तरित करने में सरकार को आपत्ति नहीं है । पर बात यह है कि म्युनिसिपेलिटी में किसी का लेना तो नहीं है, कोई फाइनेन्सिल कठिनाई तो आगे जाकर न पड़ जावे । म्युनिसिपेलिटी डिज़ोल्व हो गई अगर किसी की वसूली बाकी रह गई, तो वह किससे करेंगे । इसलिये इन बातों को निपटाने में समय लगा ।

श्री भैरोंसिंह : अगर एडहोक बेसिस पर कोष पंचायत को सुपुर्द कर दिया जाता तो क्या हर्ज था, कमीबेशी का बाद में निर्णय हो जाता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये चार हज़ार रुपया अभी खर्च कर दें और बाद में देना रह गया किसी का तो उसकी वसूली किससे करें ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो अब भी अगर इसमें कम-बेशी रहा, तो क्या करेंगे आप ? एडहोक बेसिक पर यह रुपया तो दे देते, इसे ब्लॉक क्यों किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ब्लॉक नहीं किया गया है ।

Page No.10

श्री भैरोंसिंह : इसे ब्लॉक करने में क्या निर्णय ले रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निर्णय तो यही ले रखा है कि यह रुपया उन्हें देना है।

श्री भैरोंसिंह : सन् ५३ से ५८ तक, पांच साल तक यह रुपया एक जगह पड़ा रहा, इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, क्या यह उचित है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुरुपयोग नहीं हुआ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : सदुपयोग भी नहीं हुआ।

(हंसी)

श्री भीमसेन : म्युनिसिपेलिटी के खिलाफ लाएबिलीटी हैं या नहीं, महज़ इतना मालूम करने में पांच साल लग गये। यह सारा केस किसके पास पड़ा रहा ?

श्री अध्यक्ष : अब जल्दी कर देंगे। नेक्स्ट्।

लालसोट गुढ़ाचन्द्र जी बस सर्विस

४२३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लालसोट से गुढ़ाचन्द्रजी कोई बस जाती है ?

(ख) यदि हां, तो यह बस लालसोट से या गुढ़ाचन्द्रजी से किस वक्त रवाना होती है और कहां तक जाती है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) हां।

(ख) हां, बस लालसोट से शाम को ४ बजे चलती है और गुढ़ाचन्द्रजी से दूसरे दिन सुबह ७॥ बजे वापिस रवाना होती है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वह गुढ़ा की तरफ जाती ही नहीं है, रास्ते में ही ठहर जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बरसात में तो नहीं जाती है, बाकी जाती है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : आजकल भी नहीं चलती।

श्री नाथूराम मिर्धा : आजकल तो बराबर चलती है, यह रिपोर्ट है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्; श्री तनसिंह।

हथियारों के लाइसेन्स

४२४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में प्रत्येक जिले में बीच लोडिंग गन्स के कितने लाइसेन्स दिये हुए हैं तथा इनमें से कितने लाइसेन्सदारों की बन्दूकें जिलावार पुलिस की तहसबील में है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिए आगे की टर्न पर रख दिया जाय।

श्री तनसिंह : आगे की टर्न कब ? Next weak?

श्री रामकिशोर व्यास : जी, नेक्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस जिले का आ गया हो वही बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : वह आप चाहें तो देख लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

सकतपुर व कुन्जेड (त० अटरू) में चिकित्सालय

४२५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबडा) : क्या चिकित्सा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सकतपुर व कुन्जेड़ (तहसील अटरू) की जनता ने वहां डिस्पेन्सरी खोलने की मांग की है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

उप चिकित्सा मन्त्री (श्री भीखा भाई) : ग्राम कुन्जेड की जनता ने माह जनवरी, १९५८ को ऐसी मांग प्रस्तुत की है, इस सम्बन्ध में प्रिन्सिपल मैडिकल व हेल्थ ऑफिसर, कोटा से पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा रहा है। विवरण प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

सकतपुर में डिस्पेन्सरी खोलने के विषय में जनता की मांग अभी तक नहीं आई।

रामसरताल (राजगढ़) में जलबोर्ड द्वारा सहायता

४२६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजगढ़ तहसील के रामसरताल गांव में जल बोर्ड की तरफ से कुआ बनाने के लिए कितने रुपये दिये गये थे?

(२) क्या इनमें से अधिकांश रुपयों का गबन किये जाने की शिकायत गांव वालों ने की थी और सरकार को दिये गये हिसाब को फरजी बताया था?

(३) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी?

(४) यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा और नहीं, तो क्या अब उसकी जांच कराई जावेगी?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) १५४८) रुपये।

(२) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।

(३) प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अगर ऐसी शिकायत मिली, तो अवश्य जांच कराई जावेगी।

जयपुर-कालवाड़-सड़क निर्माण

४२७. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर से कालवाड़ तक सड़क बनाने का ठेका किसको और कब दिया गया था?

(ख) उक्त सड़क कितने मील तक बन चुकी है और कितने मील बनना बाकी है तथा कब तक पूरी कर दी जावेगी?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) श्री गोरधन ठेकेदार को चार मील का ठेका ४-२-५५ को दिया गया था।

(ख) ४ मील तक बन चुकी है और सात सही तीन बटे चार मील बाकी है।

Page No.12

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ग) कई बार टेन्डर मांगे गये हैं लेकिन टेन्डर नहीं आने से या रेट बहुत ऊंची होने से काम का ठेका नहीं दिया जा सका। काम जल्दी से जल्दी शुरू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अब क्या इसके लिये नये टेन्डर कॉल किये जा रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तो क्या इस पर आशा की जावे कि अगले साल तक पूरी हो जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रीज़नेबल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आशा भी करनी चाहिये।

(हंसी)

बिरला वेगन फैक्टरी, भरतपुर को विद्युत् पूर्ति

४२८. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Electric and Mechanical Departmant be pleased to state:

(1) Did the Govt. promise to supply Electric power to the Birla Wagon Factory at Bharatpur ? If so, has it been supplied ?

(2) If not, what are the reasons for the delay, and by what year will it be possible to start the supply and at what rates ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसका जवाब भी नेक्स्ट वीक पर मुल्तवी कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्

बरसाती नाले का पक्का बनवाया जाना

४२६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि सी. स्कीम जयपुर के बीच होकर एक पानी के बड़े नाले ने एक नदी का रूप धारण कर लिया है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सेक्रेटेरियट के पीछे इस नाले से कई प्लॉट कट कर बह गये और कितनी ही पक्की बनी हुई इमारतों को नुकसान हुआ ?

(३) सरकार ने इसे पक्का बनाने हेतु गत तीन वर्ष में क्या कार्यवाही की ?

(४) अब यह नाला कब तक पक्का बना दिया जावेगा ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (१) यह सत्य है कि 'सी' स्कीम में से एक नाला बहता है जिसमें वर्षा के दिनों में काफी पानी आ जाता है।

(२) इस नाले के किनारे पर स्थित कुछ प्लॉट के भाग अवश्य कट गये हैं पर किसी पक्की इमारत को कोई नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। एक प्लॉट का कम्पाउन्ड वॉल का कुछ भाग अवश्य गिर गया था।

(३) इसको पक्का करने की योजना निर्माण विभाग के पास प्राविधिक जांच के

Page No.13

[श्री पूनमचन्द बिश्नोई]

लिये भेजी गई है । इसका तखमीना साढ़े सात लाख रुपये का बनाया गया है ।

(४) यह एक महती योजना है । यह कार्य निर्माण विभाग, नगर विकास मंडल और नगरपालिका के मिले जुले प्रयत्न से ही सम्भव हो सकता है । इन विभागों के पास इसके लिए आवश्यक द्रव्य उपलब्ध होने पर इसे क्रियान्वित किया जा सकेगा । इस विषय में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती ।

श्री धर्मपाल : क्या वक्ता महोदय के मकान को भी क्षति पहुंची है ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही नहीं है कि एक मकान को काट दिया था इस नाले ने ?

श्री पूनमचन्द : मैंने इसका जवाब दे दिया है । कुछ प्लाटों के भाग अवश्य कट गये हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तीन साल से इसके कागज़ात चक्कर काट रहे हैं, पर सरकार अभी तक क्यों नहीं निर्णय कर सकी ?

श्री पूनमचन्द : इसका भी उत्तर दे दिया गया है । कागज़ काम के लिये चक्कर काट रहे हैं, फालतू नहीं ।

(हंसी)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अब कब तक यह पक्का बन जावेगा, कम से कम एक हिस्से को तो पक्का बना दें ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका जवाब मिल चुका है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि नाला बहुत बड़ा है, साढ़े सात लाख रुपयों की मन्जूरी के लिये या उनकी उपलब्धि के लिये इन्तजार न करते हुए इस वर्ष थोड़ा सा काम शुरू करा दिया जावे, धीरे धीरे एक साल में नहीं, दो चार सालों में करा लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : सूचना जो थी, वह तो दी जा चुकी । अब निवेदन किया जा रहा है ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : कागज़ अकेले ही चक्कर खा रहे हैं या मन्त्री जी भी शामिल हैं ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : जनता चक्कर खावे तब काम चले ।

प्रश्न संख्या ४३०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

सीकर जिले में जनवरी, ५५ से दिसम्बर, ५७ तक हुई चोरियां

४३१. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले के हर थाने में १ जनवरी, सन् ५५ से लेकर ३१ दिसम्बर

[श्री ज्ञानचन्द मोदी]

१९५७ तक कितनी चोरियां हुई तथा कितने का माल बरामद हुआ ।

(ख) क्या यह सच है कि कांवट व नीम का थाना क्षेत्र में, लोग चोरियां के भय से सारी रात जागते रहते हैं ? यदि हां, तो चोरों के आतंक को कम करने के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ब्यौरा इस तरह है :

क्रम संख्या	नाम थाना	वर्ष	चोरी तथा नकबजनी की घटनाएं	मूल्य अपहृत सम्पति जो प्राप्त की गई ।		
१	कोतवाली सीकर	१९५५	३१	२३५०	८	०
		१९५६	३७	३०२९		
		१९५७	३१	२४४५	१३	६
२	लछमनगढ़	१९५५	१६	७१३६	७	०
		१९५६	२३	१८६०	८	०
		१९५७	२७	६९१	१३	०
३	फतेहपुर	१९५५	१८	१०७७०	१०	०
		१९५६	२०	२०९६	२	६
		१९५७	१०	६२७७	७	०
४	रामगढ़	१९५५	७	२९७०	८	०
		१९५६	१०	२७९८	४	०
		१९५७	९	१३६२		
५	सदर सीकर	१९५७	२०	१०८३		
		१९५६	२७	३४३७		
		१९५७	३२	१९६२	४	०
६	रघुनाथगढ़	१९५५	११	१९९०	०	०
		१९५६	१०	५४१	०	०
		१९५७	२६	२६२८	४	०
७	नीछवा	१९५५	१३	३१११		
		१९५६	१३	१६००		
		१९५७	७	२४४१		
८	सिंघरावट	१९५५	१८	२८९०	१०	६
		१९५६	९	७६४	८	०
		१९५७	१५	३१७४	१	६
९	दांता रामगढ़	१९५५	२२	१६०५	९	३
		१९५६	१९	२४५०		
		१९५७	३४	४३१२	३	०

१	२	३		४		
१०	खाटू	१९५५	१६	६४८	५	६
		१९५६	३२	२२६	१	६
		१९५७	३०	३४८४	०	०
११	नीम का थाना	१९५५	१७	१५३०		
		१९५६	३४	२१०७		
		१९५७	४८	३५१२		
१२	खंडेला	१९५५	१२	५३०		
		१९५६	२७	२११३		
		१९५७	२०	२३७८		
१३	श्री-माधोपुर	१९५५	३६	२८६१	७	०
		१९५६	४३	२२७८	६	०
		१९५७	४८	४०६२		
१४	थोई	१९५५	२४	७०५	१३	३
		१९५६	३१	२२७८	६	०
		१९५७	४४	२५५१	१२	०
१५	पाटन	१९५५	२०	उपलब्ध नहीं है ।		
		१९५६	१२	८७६		
		१९५७	२१	२३७६	८	६
योग		१९५७	२८७	५०४४६	७	३
		१९५६	३४७	२६६३७	६	०
		१९५६	४०४	४४६८८	१३	६

(ख) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह रुपया जो बरामद हुआ है यह उनको लौटाया गया है या नहीं जिनका यह था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : कुल कितना रुपया इस प्रकार से जमा कराना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आप को पता है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो जोड़ करने का सवाल है ।

श्री रामकिशोर व्यास :

सन् १९५५ में ५०,४४६ रु० ७ आना ३ पा०

सन् १९५६ में २६,६३७ रु० ६ आ०

सन् १९५७ में ४४,६८८ रु० १३ आ० ६ पा०

श्री मुरलीधर व्यास : यह ५५ का रुपया बरामद किया हुआ है वह किस के पास जमा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जमा थोड़े ही रहता है । केस चालान कर दिया जाता है ।

Page No.16

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो चोरियां हुई हैं और जो माल बरामद हुआ है क्या उससे सरकार को सन्तोष है कि यह बरामदगी ठीक है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे बरामदगी तो और भी ज्यादा होनी चाहिए ।

डॉ० चन्द्रकला : इतनी चोरियां हुई तो लोग नहीं सोते हैं, तो यह चोरियां तो जरूर ऐसी होंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, सोते हैं बराबर । ऐसी कोई बात नहीं है ।

प्रश्न संख्या ४३२.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह ।

सहकारी समिति

४३३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सहकारी समिति, दांता रामगढ़ के लगभग ७,०००) रु० वहां के मन्त्री श्री नारायणलाल चौधरी ने हड़प कर लिए ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या इस विषय में सरकार ने कोई आर्बिट्रेशन बोर्ड मुकर्रर किया था ? यदि हां, तो कब ?

(३) उक्त बोर्ड ने क्या फैसला दिया ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) श्री नारायणलाल चौधरी मन्त्री को और दांता रामगढ़ सहकारी भण्डार के ८,४८४ रु० ६ आ० ६ पा० उनके मन्त्री काल के समय के निकलते हैं ।

(२) हां, दिनांक २०-१०-५६ को ।

(३) आर्बिट्रेशन बोर्ड ने श्री नारायणलाल के विरुद्ध १४,४३१ रु० ५ आ० ६ पा० असल मय सूद व हर्जाना की डिक्री दी है ।

श्री तनसिंह : तो वह वसूली हुई क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, अभी हाईकोर्ट में रिट लेकर जायेंगे ।

श्री तनसिंह : जायेंगे या गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मामला चल रहा है ।

श्री तनसिंह : हाईकोर्ट से क्या स्टे ऑर्डर मिल गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टे ऑर्डर का तो मुझे ख्याल नहीं है, पता नहीं ।

श्री तनसिंह : तो फिर वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए कि हाईकोर्ट में मामला चला गया था ।

श्री तनसिंह : क्या प्रोसीजर यह है कि अगर मामला हाईकोर्ट में हो तो वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा ही है ।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने मामला हाईकोर्ट के सामने नहीं बल्कि सरकार के सामने रिप्रेजेन्ट किया कि इस वसूली की कार्यवाही को स्थगित किया जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे जानकारी नहीं है, उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जब हाईकोर्ट के पास अपील गई तो उसी के ऊपर सरकार ने स्टे दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वसूली इसलिए नहीं की कि हाईकोर्ट में मामला पेन्डिंग है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी को यह आदेश दिये हैं कि वसूली की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा, यह जानकारी भी मिल गई कि हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गये हैं ।

नगरपालिका, बीकानेर

४३४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

क्या बीकानेर, म्युनिसिपल अध्यक्ष ने सन् ५७-५८ का बजट पास किये जाने से पूर्व कोई अनाधिकृत खर्च किया ? यदि हां, तो उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई : नगरपालिका, बीकानेर ने सन् ५७-५८ का बजट कुछ कठिनाइयों के कारण सरकार के पास स्वीकृति के लिए देर से भेजा था । नगरपालिका ने केवल आवर्तक व्यय ही इस समय में किया है । भविष्य के लिए उनको समय पर बजट प्रस्तुत करने के लिए हिदायत कर दी गई है ।

भरतपुर के कृषि कार्यालय में ट्रेक्टर्स

४३५ **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :

(1) How many Tractors are there with the Agriculture office at Bharatpur ?

(2) How many are in working order ? How much acreage of land was broken or ploughed during the years 1950-51, 1952-1953-1954-1955-1956 and 1957 by the Caterpillar Tractor at Bharatpur office ?

(3) What is the annual cost of its upkeep and maintenance ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

1. There is only one Tractor with the District Agriculture officer, Bharatpur.

(2) This Tractor is at present in working order. The ploughing work done by this tractor for the years 1950 to 1957 is as follows :

1950-51		
1951-52	400	bighas.
1952-53	187	,,
1953-54	319	,,
1954-55	265	,,
1955-56	339	,,
1956-57	200	,,

(3) The Tractor is workedby the Department on 'no profit no loss' basis and the maintenance and propulsion charges are recovered from the cultivators. As such there is no expenditure of the Government on its maintenance except the expenditure on the certain unforeseen repairs and salary of the staff for the period the tractor remained idle as given below :

1950-51	Rs. 480/-
1951-52	962/-
1952-53	1066/-
1953-54	780/-
1954-55	1272/-
1955-56	752/-
1956-57	1540/-

श्री अध्यक्ष : Next.

नगरपालिका, सीकर

४३६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या वर्तमान सीकर नगरपालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ ?

(२) यदि हां, तो कब और इस पर सरकार ने क्या निश्चय किया ?

(३) क्या सरकार ने कलेक्टर, सीकर को इस सम्बन्ध में दिये गए प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री [श्री पूनमचन्द बिश्नोई] : (१) जी हां ।

(२) दिनांक १६—२—५७ को उक्त प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ । अभी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(३) जी हां.

श्री ज्ञानचन्द मोदी : कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी प्रिलिमिनरी जांच हो रही है क्योंकि इसका रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट से कन्सर्न है, पंचायत विभाग का भी कन्सर्न है और नगरपालिका का भी है । इसलिए इसके अन्दर अब जांच की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल ।

राजस्थान कैनाल

४३७. **श्री धर्मपाल पंवार**, (नौहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान कैनाल के नये स्टाफ में हरिजन उम्मीदवारों के कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितनों को स्थान मिले ?

(ख) क्या यह सच है कि उच्च अधिकारियों द्वारा हरिजन उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्रों पर कोई गौर नहीं किया जाता ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में जांच करवायेगी व हरिजनों को स्थान दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राजस्थान कैनाल के नये स्टाफ कर्मचारियों में हरिजन उम्मीदवारों के केवल दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें एक को स्थान मिला ।

(ख) भर्ती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज की मार्फत की जाती है और हरिजन उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्रों पर उचित गौर किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री धर्मपाल पंवार : आयन्दा हरिजन उम्मीदवारों का ख्याल रखा जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : हरिजनों का ख्याल पहले भी रखा गया है, रखा जाता है और आयन्दा भी रखा जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा जी हां, तो क्या इसमें ध्यान रखा जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर रखा जाता है ।

एक माननीय सदस्य : तो यह जो १२॥ पर्सेन्ट का कोटा है यह पूरा क्यों नहीं किया जाता ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्योंकि रिक्विज़िट क्वालिफिकेशन का आदमी नहीं मिलता ।

सहकारी समिति

४३८. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना): क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर व झुंझनू जिले में कितनी सहकारी समितियां बनीं, उनमें से कृषि के अलावा कौन कौन समितियां बनी, उनको कितना ऋण दिया गया और उनकी क्या प्रगति है ?

(ख) क्या यह सच है कि वे संस्थायें अभी कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उन समितियों के कितने मेम्बर्स हैं और वे यह क्या काम करते हैं ?

(ग) इन संस्थाओं को जो ऋण दिया वह किस काम आया ? क्या उस धन की जांच की गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(घ) सहकारी विभाग ने इन दो वर्षों में कितनी ऐसी संस्थायें बनाईं और इन वर्षों में कितनी संस्थायें लिक्विडेशन में आईं ?

(ङ) सरकार कृषकों की सहकारी समितियां बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ?

(च) क्या सरकार मजदूरों की, विशेषकर खान खोदने वालों, शहद बेचने वालों की तथा फुटकर धन्धा करने वालों की सहकारी समिति बनाने को तैयार है ?

(छ) क्या सरकार जन-साधारण की सुविधा के लिए सहकारी विभाग के फार्मों व नियमों में कुछ सुधार करना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) : (क) कुल २४० समितियां बनीं जिनमें कृषि समितियों के अलावा १५६ विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

१. बुनकर सहकारी समितियां	६२
२. चर्मकार सहकारी समितियां	२६
३. छीपा सहकारी समिति	१
४. खादी उत्पादन सहकारी समितियां	२
५. यातायात सहकारी समितियां	४
६. सहकारी भण्डार समितियां	५०
७. अन्य (औद्योगिक)	८
कुल—	१५६

केवल १० बुनकर सहकारी समितियों को १,५५,०६२) का ऋण दिया गया है। जिन समितियों को ऋण दिया जा चुका है, वे सुचारु रूप से कार्य प्रारम्भ कर चुकी हैं।

(ख) जिन समितियों को ऋण मिल चुका है वे ठीक कार्य कर रही हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य सहकारी समितियों की सदस्य संख्या १६,५३६ है। जो समितियां ऋण प्राप्त कर चुकी हैं इन समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों के सदस्यों ने अभी काम प्रारम्भ नहीं किया है।

(ग) इन समितियों को जो ऋण दिया गया है वह सदस्यों के लिए सूत क्रय किये जाने के काम में लिया गया है। जिन सहकारी समितियों को ऋण दिया गया है, उनका अंक परीक्षण सहकारी विभाग के परीक्षकों द्वारा हो चुका है।

(घ) सीकर तथा झुंझनू जिलों में १-१-५६ से लेकर अब तक १३० ऐसी समितियों का पंजीयन किया गया है तथा उस समय से अब तक तीन समितियों को बन्द करने की आज्ञा दी जा चुकी है।

(ङ) कृषकों की सहकारी समितियां बनाने

(श्री दौलतराम सारण)

के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:—

१. कृषकों में सहकारिता के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए भावी सदस्यों, सदस्यों तथा प्रबन्धकारिणी समितियों के सदस्यों की सहकारी शिक्षा की योजना कार्यान्वित की जा रही है। ताकि ग्रामीणजन सहकारिता के प्रति आकर्षित हों और समितियों के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझें।

२. सहकारी विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। ग्रामों में सहकारी समितियां बनाने का काम सहायक निरीक्षकों व निरीक्षकों का है और उनकी संख्या सन् १९५६–५७ व ५७-५८ में क्रमशः २ व ५ बढ़ाई गई है। इसके अलावा एक सहायक पंजीयक का कार्यालय मय अमले के इन जिलों के लिए पृथक कायम कर दिया गया है।

३. ग्रामीण सहकारी समितियों का प्रायः मुख्य काम ऋण देना होता है। अतः समितियां बन सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि उन्हें ऋण प्रदान करने का उचित प्रबंध हो। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए १ शीर्ष सहकारी बैंक का निर्माण किया गया है, जो रिज़र्व बैंक से उचित धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करता है। और

४. विभाग की प्रचार शाखा देहाती क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से सहकारिता का प्रचार कर लोगों को सहकारी समितियां बनाने को प्रेरित करती है।

इस प्रकार सहकारी शिक्षा, प्रचार, संगठन और अर्थ सहायता द्वारा ग्रामों में सहकारी समितियां बनाने में राज्य सरकार का सहकारी विभाग गतिशील है।

(च) जी हां।

(छ) सहकारी विभाग में काम में आने वाले फार्मों के सम्बन्ध में समय समय पर विचार किया गया पर उनमें किसी सुधार की सम्भावना नहीं पाई गई। नियमों में यथासम्भव सुधार किया गया है। वैसे ऋण सम्बन्धी नियमों में कार्यकारिणी के स्थान पर बैंकों में ऋणदात्री उपसमितियां बना दी गई हैं जो शीघ्रतापूर्वक समितियों को ऋण स्वीकृत कर देती है।

श्री ज्ञानचंद मोदी : क्या आपने यह जांच कराई है कि रुपया जिस काम के लिए दिया गया है वह उसी में लगा?

श्री दौलतराम : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच किसके द्वारा करवाई गई?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्सपेक्टर और ऑडीटर्स होते हैं वही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन समितियों को ऋण दिया गया उन समितियों की प्रारम्भिक जांच नहीं हुई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कैसे।

श्री भैरोंसिंह : ऋण देने से पहले।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर कोई सोसाइटी, रूल्स के अन्तर्गत रजिस्टर नहीं है तो उसको लोन ही नहीं मिलता।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि उनकी पूरी जांच होने के बाद ही उनको ऋण दिया गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

Page No.21

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

डाक्टरों की नियुक्ति

४३९. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चिकित्सा विभाग में दो डाक्टर सी. ए. एस. श्रेणी २ के तारीख १-४-५२ व २१-११-५२ को नियुक्त किये गये थे ?

(२) यदि हां, तो उन डाक्टरों के क्या नाम हैं और उन्हें नियुक्त करने वाले अधिकारी का क्या नाम है ?

(३) वे प्रारम्भ में कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे तथा उनकी उक्त अवधि को बढ़ाने के लिये सरकार ने जन सेवा आयोग को कब लिखा ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) जी हां ।

(२) उनका नाम क्रमशः डा० मिस एस. के. सतीजा तथा डा० एस. एल. बुंदेला है । वे डा० कर्नल एम. के. केलवेकर द्वारा नियुक्त किये गये थे ।

(३) वे आरम्भ ३ माह के लिए अस्थाई तौर पर नियुक्त किये गये थे । उनकी अवधि को बढ़ाने के लिये जन सेवा आयोग को १४ फरवरी, १९५५ को लिखा गया था ।

श्री तनसिंह : यह तीन महीने के लिए एप्वाइन्ट किये गये हैं और ३ वर्ष के बाद में जन सेवा आयोग को लिखा है कि उनका एक्सटेन्शन किया जाय, इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : उस वक्त सी. एस. दो नॉन गजेटेड में थे, इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर नहीं करना पड़ता था । दूसरे डाक्टरों के साथ-साथ गजटेड होने के फलस्वरूप सी. एस. दो को भी भेजा था ।

श्री तनसिंह : जिन्होंने इनका एप्वाइन्टमेंट किया था क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे जन-सेवा-आयोग को भेजते ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): नान गजेटेड पोस्ट्स को जन सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं बतलाई गई । डाइरेक्टर को अख्त्यार था ।

श्री तनसिंह : कब से आवश्यकता नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब आवश्यकता हुई उसके बाद रेफर कर दिया गया है। ५५ में गजटेड पोस्ट्स हुई तो रेफर कर दिया गया है ।

श्री तनसिंह : अमेंडमेंट कब से हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : संभवत: ५४ या ५५ में ।

श्री तनसिंह : ५४ या ५५ में अमेंडमेंट हुआ है तो उस समय क्यों नहीं किया गया ? उसके बाद एक साल के बाद क्यों लिखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: फरवरी १९५५, में उनको रेफर किया गया ।

औषधि वितरण

४४०. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार ने देहातों की डिस्पेन्सरीज़ में मुफ्त दी जाने वाली दवाइयों की

(श्री शिवचरणदास)

सूची निश्चित की है ? यदि हां, तो वह सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) करेडा डिस्पेन्सरी (जिला भीलवाड़ा) में गत तीन वर्ष में दवाइयों पर कितना खर्चा किया गया ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : फारमोकोपियल ड्रग्स के अतिरिक्त जो दवाइयां सभी और डिस्पेन्सरीज़ में मुफ्त दी जाती हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) करेडा डिस्पेन्सरी में गत तीन वर्षों में दवाओं पर निम्नलिखित खर्चा हुआ:—

१९५५–५६ १०७२ रु. १४ आना ३ पाई

१९५६–५७ १३६५ रु. ११ आना ६ पाई

१९५७–५८ ८४४ रु. ७८ नये पैसे ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : औषधियां जितनी भी डिस्पेन्सरीज़ में भेजी जाती हैं वह वहां के डाक्टर की राय से भेजी जाती हैं या ऊपर से ही ?

श्री भीखाभाई : दवाइयां आवश्यकतानुसार भेजी जाती हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : लिस्ट वहां का डाक्टर देता है या ऊपर के डॉयरेक्टर वगैरह ही लिस्ट दे देते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : जो लिस्ट सरक्युलेट की गई है वह उपयुक्त है ।

डॉ० बहादुरसिंह : डिस्पेन्सरियों की जो सूची होती है उन सब की सूची वह वहां का डाक्टर देता है या ऊपर से ही भेजी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पेटेन्ट दवाइयां भेजते हैं । जो आवश्यकता हो वे दवाइयां भेजी जाती हैं, वह फिक्स्ड हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : आवश्यकता की जांच हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट करता है या स्थानीय डाक्टर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मरीजों की संख्या का हर साल रेकार्ड इकट्ठा होता है उस बेसिस पर ।

श्री मुरलीधर व्यास : करेडा में मरीजों की संख्या कितनी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस वक्त मेरे पास यह गिनती नहीं है, मरीजों की संख्या का हिसाब नहीं है ।

श्री शिवचरणदास : इस सूची के अलावा दूसरी दवाइयां जो कीमतन दी जाती हैं, ऐसी क्या-क्या हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सूची यह फ्री दवाइयों की है । बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो हर जगह प्रोवाइडेड नहीं होती हैं । बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं कि वे हर जगह नहीं मिलते हैं।

श्री शिवचरणदास : कीमतन देने का क्या मतलब है ? उससे गरीबों का क्या हित होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो दवाइयां फ्री मिलती हैं उसकी सूची रखी है सदन की मेज पर ।

श्री शिवचरणदास : लेकिन कीमत न देने से गरीबों का क्या हित हो सकता है; इस तरफ भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है क्या ?

श्री भीखाभाई : कीमती की बात ही तो कही गई सवाल के उत्तर में ।

श्री मुरलीधर व्यास : पर-केपिटा कितना खर्चा होता है ? वहां पर इतने मरीज़ हैं और इतने रुपये खर्च हुए तो पर-केपिटा मरीज़ कितना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : संख्या बतला दी गई। इस वक्त मेरे पास पर-केपिटा खर्च नहीं है।

श्री शिवचरणदास : ५७–५८ में कमती खर्च क्यों किया गया ?

श्री भीखाभाई : इसमें दो महीनों का हिसाब जोड़ना बाकी है। वह अभी खर्च नहीं जोड़ा है इसमें।

सिरोही-जोधपुर के बीच सीधी बस सर्विस

४४१. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही): Will the Minister for Transport be pleased to state:

Is the Government contemplating to start a direct bus service from Sirohi to Jodhpur ? If not, why ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मामला विचाराधीन है।

श्री मोहब्बतसिंह : कब से विचाराधीन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : शायद ३–४ महीनों से।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने एक दफा निर्णय ले लिया था कि सिरोही से जोधपुर डाइरेक्ट बस सर्विस चलाई जायगी। इसी निर्णय के अनुसार यहां से वहां दो गाड़ियां पहुंच गई हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार भी एक पार्टी की हैसियत से आर. टी. ओ. और आर. टी. ए. के पास जाती है। वे परमिट पास करें या नहीं, यह उनकी मरजी की बात है।

श्री मोहब्बतसिंह : और कितने समय में निर्णय होने की सम्भावना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह इन्डिपेन्डेन्ट बॉडीज़ के पास मामला है।

बलवन [उप त० इन्द्रगढ़] के तालाब की मरम्मत

४४२. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि उक्त तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम बलवन में एक तालाब है जिसमें ६, ७ ग्रामों के मवेशी पानी पीते हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब के टूट जाने एवं उथला हो जाने से पानी वर्ष भर के लिए पर्याप्त नहीं होता ?

(ग) क्या यह भी सही है कि इस तालाब को बड़ा बनाया जाने पर लगभग ४०० एकड़ भूमि में पानी दिया जा सकता है ?

(घ) यदि हां, तो क्या मवेशियों के पीने के पानी की सुविधा एवं सिंचाई की दृष्टि से उक्त तालाब को गहरा तथा बड़ा बनाने के लिए सरकार ने कोई आवश्यक कदम उठाया ? यदि हां तो क्या ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास : (क) मालूम होता है कि तालाब मवेशियों के पानी पीने का है सिंचाई का नहीं था, इसलिए यह तालाब महकमा इरिंगेशन की लिस्ट में नहीं है और ऐसे तालाबों की मरम्मत मकहमे इरिंगेशन से नहीं होती है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ख) तालाब सिंचाई विभाग में नहीं होने के कारण इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) शीघ्र जांच की जायगी।

(घ) इसकी जांच पड़ताल की जायगी।

प्रशिक्षित नर्सेज़

४४३. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Medical & Public Health be pleased to state:

(a) What is the total number of trained nurses required in this State and how many are available ?

(b) How does the Goernment propose to meet with this shortage, if any ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) इस विभाग में स्वीकृत स्थिति के अनुसार ३४५ नर्सों की आवश्यकता है किन्तु फिलहाल १२१ नर्सें कार्य कर रही हैं।

(ख) कमी को पूरा करने के लिए नर्सों के प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर जोधपुर तथा अजमेर में खोले जा चुके हैं जहां पर इस समय ६० अभ्यार्थी ने शिक्षा प्राप्त कर ली है। प्रशिक्षण काल पूर्ण होने पर इनको नौकर कर लिया जावेगा तथा इसी प्रकार कमी को पूरा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त ट्रेन्ड नर्सेज़ किसी प्रकार उपलब्ध होंगी तो उनको नौकरी दी जावेगी।

श्री मोहब्बतसिंह : यह कमी सरकार द्वारा कितने समय में पूरी करने की सम्भावना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको फिगर्स दे दिये हैं कि इतनी ट्रेन्ड हैं हमारे यहां और इतनी जगहें खाली हैं। जैसे जैसे मिलती जायंगी, नौकर रखी जायंगी।

श्री भीमसिंह : बीकानेर का नर्सेज़ का ट्रेनिंग सेन्टर कब से बन्द किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी जानकारी नहीं है कि बन्द दिया गया। वहां कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग का है।

श्री भीमसिंह : बीकानेर का नाम लिस्ट में नहीं है। इसलिये मैंने पूछा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग का इन्तजाम वहां पर है।

श्री भीमसेन : बीकानेर में नर्सेज़ ट्रेनिंग सेन्टर है।

स्टॉक होल्डर्स का रजिस्टर

४४४. **श्री शिवचरणदास** (श्री पी० के० चौधरी की अनुपस्थिति में) : Will the Minister-in-charge, Water Works be pleased to state :

(a) What are the rates per 1,000 gallons of water ?

(b) What are the penalty rates charged from consumers ?

(c) Is it correct that Consumers staying in government bungalows at Gandhi Nagar, Jaipur city are charged at a flat rate of Rs. 2/- per month only ?

(d) Is it also correct that rates for public Hydrents have been raised from Rs. 2/-per month to Rs. 5/-Per month and also meters have been fixed to these public Hydrents ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) (a) The rate per % gallons

Page No.25

(श्री नाथूराम मिर्धा)

of water charges is Re. 1/- at Jaipur.

(b) In Jaipur the water charges are Re. 1 % gallons in case of payment of water charges is not made by the 25th. of the month, the water charges are realised at the rate of Rs. 1/4/- per %o gallons upto 10th. of the next month & Rs. 1/8/- per %o gallons after10th of the next month. In case the payment is not made within 45 days, the water supply is disconnected as per water workes regulations.

(d) Yes.

(e) No. The meters have been fixed at certain public hydrants and the charges are being levied actually on consumption from the Municipality concerned.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट् ।

सहकारी भंडार

४४५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) श्री माधोपुर कोओपरेटिव स्टोर का हिसाब कब ओडिट हुआ था ?

(ख) ओडिट रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ? रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपसहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारन) (क) १-५-५४. को

(ख) ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी है। ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों को दूर करने की जिम्मेदारी समिति की प्रबंधकारी समिति की है। जहां तक जानकारी है आक्षेप अब तक दूर नहीं किये गये हैं।

(ऑडिट रिपोर्ट की प्रति अनुपलब्ध)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गबन के मामले के बारे में उक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो आप पढ़ लेंगे उसमें है।

श्री भैरोंसिंह : यदि गबन का उल्लेख रिपोर्ट में है तो क्यों नहीं इस केस को पुलिस में रजिस्टर कराया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने शायद सुना नहीं, यह कहा गया था कि यह प्रबन्ध समिति का कार्य है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद सरकार के द्वारा प्रबन्ध समिति को आदेश दिया गया था कि इसकी जांच कराई जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई आदेश नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या रजिस्ट्रार कोओपरेटिव डिपार्टमेंट ने प्रबन्ध समिति को लिखा है कि गबन की जांच कराई जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कहा है, लिखा है, समझायश की है। बोर्ड एक जनतांत्रिक बोडी है यदि वह नहीं माने तो कितना कदम उठाना चाहिये, यह सोचने की बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव विभाग की ओर से प्रबन्ध समिति को लिखने के बाद पुलिस में नहीं लिखा गया ?

Page No.26

श्री नाथूराम मिर्धा : पुलिस को लिखने की बात नहीं है यदि ऐसा करना है तो पहले उस बोडी को खत्म ही करना चाहिये, ले लेना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : जब प्रबन्ध समिति ने आदेश का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : समझायश की कार्यवाही की गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या समझायश से गबन का मामला हल हो गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस गबन के मामले में यदि आपसी समझायश से कोई हल निकलता हो और वे स्वीकार करते हों तो पुलिस में भेजने की क्या जरूरत है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस गबन में प्रबन्ध समिति के सभी मेम्बर्स शामिल हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब शामिल नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें सब हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो के खिलाफ है आप पढ़ें अच्छी तरह ।

श्री भैरोंसिंह : शायद आपने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी नहीं है । दो तो सेक्रेटरी और अध्यक्ष हैं । दो ऑफिस बेअरर्स के खिलाफ जब गबन का मामला है तो प्रबन्धकारिणी समिति किस तरह से काम करेगी, क्या इस बारे में भी आदेश सरकार ने दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : समझाया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि प्रबन्ध समिति गबन के मामले को रजिस्टर नहीं करवा रही है और सरकार भी इसमें कुछ नहीं करना चाहती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको समझाया कि जनतांत्रिक बोडीज़ हैं, उनको समझायश से जहां तक काम ठीक हो सकता है करना चाहिये और वह किया जा रहा है । उससे अगर ठीक नहीं हुआ तो आगे सोचा जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या समझायश की कार्यवाही अब तक चालू है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमेशा चालू रहती है ।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक चालू है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चालू है ।

श्री भैरोंसिंह : अंतिम रूप से कौनसी तारीख को की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : समझायश जब जब मौका मिलता है तभी की जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसका रेकॉर्ड रखा जाता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्सपेक्टर्स का दौरा होता है तब समझायश करते हैं । उनकी रिपोर्ट लिखी हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या समझायश की डेट लिखी हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे कहा कि बराबर रिपोर्ट रहती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : गबन के मामले में क्या समझाया जाता है ?

Page No.27

श्री अध्यक्ष : यह बहस का मामला नहीं है। जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया गया।

लोहा व इस्पात के रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर्स

४४६. श्री तेजाराम (सोजत) : Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state :

(1) Is it a fact that the Government has recently appointed new Registered Stock Holders for Iron and Steel ?

(2) If so, how many have been appointed ?

(3) Is it also a fact that Banshi Lal Chothu Mal is appointed as new Registered Stockist to draw the quota in Jodhpur city proper while some of the Registered Stockist of Jodhpur, who have their establishment in Jodhpur as well as in district are being asked to curtail their quota ?

(4) Is it a fact that Government has issued orders to the Stockist to open their depot in the district?

उप रसद मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (1) Registered Stock-holders for Iron & Steel Controller, Government of India, Calcutta.

(2) Four only.

(3) Yes.

(4) No. This firm has been appointed as Registered Stockist for Jodhpur District. The quota of Iron & Steel for Jodhpur city has neither been curtailed nor the old stockists asked to curtail the quota in Jodhpur.

(5) Yes.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्

सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी

४४७. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने एक ऐसा सर्क्युलर प्रसारित किया है कि सरकारी मुलाजमान को, यदि किसी कारण गिरफ्तार किया जाय तो उनके हथकड़ी ना डाली जाय तथा उनकी जमानत लिये जाने का अदालत में विरोध नहीं किया जाय ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) व (ख) ऐसा कोई सर्क्युलर कि यदि किसी मुकदमे में मुलाजिम सरकारको गिरफ्तार किया जावे तो उसके हथकड़ी न डाली जाय, जारी नहीं हुआ है। पुलिस को मुलाजिमान सरकारी से जिन पर मुकदमात काबिल दस्तनदाजी का इल्जाम हो, पूछताछ में बहुत दिक्कत पेश आती थी। आम ख्याल यह है कि सरकारी मुलाजिम बिना मौत्तिल किये व बिना इज़ाजत हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, न उससे पूछताछ की जा सकती है। इस दिक्कत को दूर करने की गरज से और मुलाजिम व गैर मुलाजिम सब के साथ एक तरह का व्यवहार हो इस सिलसिले में सरकार ने ऐसा आदेश जरूर दिया है कि जिन मुकदमात में पुलिस कानूनन जमानत ले सकती है तो ऐसे मुकदमात में उन्हें मुलजिमान सरकार की भी जमानत आम तौर पर मंजूर कर लेना चाहिये। यदि मुकदमा नाकाबिल जमानत हो तो सिवाय ऐसी सूरत के कि जुर्म

(श्री रामकिशोर व्यास)

हीनियस हो या और कोई ख़ास वजह हो तो आम तौर से जमानत के लिये विरोध न किया जावे ।

श्री भैरोंसिंह : एक सरकारी मुलाज़िम और आम जनता में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अदालत डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अदालत की बात नहीं करता । एक पब्लिक प्रोसीक्युटर को सरकारी मुलाजिम के विरुद्ध बैल एप्लीकेशन रिजेक्ट कराने की कार्यवाही नहीं की जाय, ऐसा आदेश क्यों दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हीनियस क्राइम्स के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा गया है । मामूली मामलों के बारे में कहा गया है कि बेल होती हो तो आपत्ति नहीं की जाय ।

श्री भैरोंसिंह : बेल एप्लीकेशन के मामले में पब्लिक और गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को एक सा ट्रीट न करके डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा गया है, यह मेरा पूछने का मतलब है ?

श्री रामकिशोर व्यास : काम में दिक्कत होती है ।

श्री भैरोंसिंह : काम में दिक्कत आने की बात नहीं है । एक जमानत लेने न लेने का मामला है । जमानत एप्लीकेशन को रिजेक्ट कराने में कामयाब होने में पब्लिक प्रोसिक्युटर की एफिशियेन्सी मानी जाती है । लेकिन गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट की बेल एप्लीकेशन को अपोज़ न किया जाय ऐसा कहा गया है, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अदालत का डिस्क्रिमिनेशन है ।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक प्रोसीक्यूटर द्वारा जो कार्यवाही की जाती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन रखने का आदेश क्यों दिया गया है ? गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट का केस हो तो अपोज़ नहीं किया जाय और पब्लिक का हो तो किया जाय, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक का हो तो ऑपोज़ किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने बताया था ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह कहा था कि काबिल जमानत केस हो तो जमानत करा देनी चाहिये ताकि काम में, दिक्कत न आवे ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : जब इसके लिये कानून मौजूद है तो क्या जरूरत पड़ी सर्क्युलर निकालने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के मामले में हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को पूछे बगैर इन्टीमेट नहीं कर सकते इस तरह की दिक्कत आती हैं, इसलिये मामूली मामलों में बेल (Bail) हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : कानून है जमानत लेने का, तो दुबारा आदेश की क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया गया है ।

प्रश्न संख्या ४४८.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए । श्री हरिभाऊ उपाध्याय ।

Page No.29

१२ मध्यान्ह

सदन की मेज पर रखे गये पत्र नियोजन लेखा १९५६-५७ (१ अप्रैल से ३१ अक्टूबर, १९५६) की प्रस्तुति

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (उप वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियोजन लेखा, १९५६-५७ (१ अप्रेल, १९५६ से ३१ अक्टूबर, १९५६ तक) तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखता हूं।

अजमेर राज्य का वित्तलेखा १९५५–५६ व अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५६ की प्रस्तुति

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर राज्य का वित लेखा १९५५–५६ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५६ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

१२.२ म० प०

राजस्थान भार व नाम (प्रचलन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (रसद मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वेट्स एन्ड मैज़र्स (एन्फ़ोर्समेंट) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

१२.५ म० प०

सामुदायिक विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों सम्बन्धी अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के विषय में जो बहस चल रही थी, वह जारी रहेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : (पूर्वक्रम से) अध्यक्ष महोदय, सदन में कल सामुदायिक विकास योजना और उसके अन्तर्गत डीसेन्ट्रलाइज़ेशन ऑफ पॉवर्स, इस विषय के ऊपर विचार-विमर्श किया जा रहा था। मैंने कल इस सदन में अपने शुरूआत के भाषण में यह बताया था कि आज विकास सम्बन्धी कामों में सरकारी मशीनरी और पब्लिक रिप्रज़ेन्टेटिव बॉडीज़, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन न होने के कारण इन दोनों संस्थाओं, गवर्नमेंट मशीनरी और पब्लिक रिप्रज़ेन्टेटिव बॉडीज़ में कुछ मतभेद रहते हैं और उस मतभेद का परिणाम आगे चल कर विकास के कामों में एक रुकावट के रूप में हमारे सामने आता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो प्रश्न हैं, पिछले पांच वर्षों के अनुभव के आधार पर, सरकार की जो विकेन्द्रीकरण की नीति है, उसको दो भागों में विभक्त करने पर मजबूर होना पड़ता है, एक है, डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स और दूसरा है डीसेन्ट्रलाइज़ेशन। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों में, मैं समझता हूं, रात दिन का अन्तर है। यदि हम किसी पब्लिक रिप्रज़ेन्टेटिव बॉडी को पॉवर्स डेलीगेट करते हैं तो उन पॉवर्स का हक बहुत ही सीमित होगा और अपने सीमित दायरे के अन्दर अगर वे कुछ काम करना चाहेंगे तो जिस सरकार ने उसे पॉवर्स डेलीगेट की हैं, वह सरकार उसको आज़ादी से अपनी पॉवर्स का

(श्री भैरोंसिंह)

इस्तेमाल नहीं करने देगी और कहीं चल कर ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं कि सरकार ने जो पॉवर्स दी हैं, उनको वापिस लेना पड़ता है और जनता से विकेन्द्रिकरण की नीति के कारण विकास के कामों में जिस सहयोग की अपेक्षा की जाती है, उस प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, हमें इन दो बातों पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। पिछले पांच वर्षों में डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के नाम पर हमने कुछ पॉवर्स डेलीगेट किये हैं और उन पॉवर्स को डेलीगेट करने पर और डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन करने पर जो कुछ कार्य हुए हैं, उसके परिणाम को चाहे हमारी राज्य सरकार तारीफ करें या आंकड़े तैयार कराये, बाहर से आने वाले अतिथियों को ब्लॉक डेवलपमेंट वर्क दिखाये और उनसे सर्टीफिकेट प्राप्त करें, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से हम समाज में जिस प्रकार की प्रगति करना चाहते थे, उस प्रकार की प्रगति न तो हुई है और अगर इस प्रकार की व्यवस्था रही, तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, कि उस प्रगति की हमें आशा भी नहीं करनी चाहिए। यह बात दूसरी है कि हर क्षेत्र में इस बात की इच्छा प्रगट की जाती है कि वहां पर विकास खंड खोले जायं और विकास खंडों के द्वारा जो धन-राशि खर्च होती है, उस धन-राशि को वहां पर खर्च किया जाय। लेकिन प्रश्न यह आता है कि केवल विकास खंड खोलने का काम, गांवों के अन्दर कुए बनाने का काम, इर्रिगेशन फेसेलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम, अन्य इस प्रकार के विकास सम्बन्धी काम हमें करने हैं, यह एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इन सारे कामों से हमें समाज में एक चेतना पैदा करनी है, यह दूसरा भाग है। इसके ऊपर जितने भी डेवलपमेंट वर्क आधारित हैं, उनमें यह दूसरा भाग अभी तक सुषुप्त है। ऐसी स्थिति के अन्दर हमें आश्चर्य होता है कि आज किसी भी ब्लॉक एरिया में जाकर देखें, अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी गांव में कुए बने होंगे, कुछ डेवलपमेंट के काम हुए होंगे, लेकिन जिस प्रकार के कॉपरेशन की हम उम्मीद करते थे, लोगों से जिस प्रकार के सहयोग की हम आशा करते थे, उस कॉपरेशन और सहयोग का अभाव है। राज्य सरकार यह कह सकती है कि डेवलपमेन्ट के कामों में जितना पैसा खर्च हुआ है, उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि इस खर्चे के अधिकांश अंश का दुरुपयोग हुआ है या नहीं, यह एक विवाद का मामला है, जिस पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह समझ कर चलना पड़ेगा कि जिस स्प्रिट में, जिस तादाद में हम पब्लिक कॉपरेशन चाहते थे, वह हमें मिला है या नहीं; मैं समझता हूं, कि प्लान बनाने से लेकर प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने तक जितनी भी कार्यवाही है, उसमें पब्लिक कॉपरेशन की कमी महसूस हुई है। बलवन्त राय कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात का संकेत किया गया है कि ब्लॉक लेवल पर जो एडवाइज़री कमेटी हैं, विलेज़ लेवल पर जो एडवाइज़री कमेटी है, वह केवल एडवाइज़ करे और उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या उस गांव के मुखिया सरकारी रूप में उसे स्वीकार करें या नहीं, यह उनके सोचने की बात है। एडवाइज़री कमेटी कुछ सलाह दे, उसके सरकारी अधिकारी हैं, डेवलपमेन्ट अधिकारी हैं, वे उसको मानें या न मानें, यह उनके सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, जहां न मानने का प्रश्न आता है, वहां पर मतभेद पैदा होता है और जो सलाह देने वाले हैं, वे स्वयं विचार करते हैं कि हम सलाह देते

Page No.31

(श्री भैरोंसिंह)

हैं लेकिन सरकार हमारी सलाह के अनुसार काम नहीं करती है, इसलिए सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा एडवाइज़री कमेटी के मेम्बर महसूस करते हैं और अगर कोई मीटिंग होती है, तो उसमें वे भाग नहीं लेते हैं। ऐसी अवस्था में अगर गांवों में डेवलपमेन्ट करना है, तो उसके लिए, अध्यक्ष महोदय, कोई योजना बनाई जा सकती है, सलाह दी जा सकती है, एडवाइज़री कमेटी से सलाह ली जा सकती है, लेकिन उन पर कार्यवाही को थोपने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किसी गांव में नहरों की आवश्यकता है या नहीं, किसी गांव में कुए बनाने की आवश्यकता है या नहीं और किसी काम की आवश्यकता वे महसूस करते हैं या नहीं, इस पर विचार करने की प्राइमरी रैस्पोन्सिबिलिटी अगर किसी की हो सकती है तो वह गांव के लोगों पर हो सकती है। अगर इस चीज को जिला स्तर पर कलेक्टर, सब डिविजन स्तर पर एस. डी. ओ. और ब्लॉक लेवल पर बी. डी. ओ. करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस कॉपरेशन को गांव वालों से लेना है, वह नहीं मिलेगा; क्योंकि वहां के व्यक्ति ऐसा महसूस करते हैं कि यह स्कीम ऊपर से आई है और इसकी हमें जरूरत क्या है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी बनाई हैं, एडवाइज़री कमेटी बनाई हैं, डेवलपमेन्ट के सम्बन्ध में वे केवल सलाहकार समिति नहीं होनी चाहिए और डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के नाम के ऊपर जो पॉवर्स डेलीगेट करने की और उस एडवाइज़री कमेटी से एडवाइज़ लेने की बात करते हैं, वह एडवाइज़री कमेटी केवल एडवाइज़ देने के लिए ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें एग्ज़ीक्यूट करने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर यह कमेटीज़ काम को एग्ज़ीक्यूट करने वाली कमेटीज़ समझी जायंगी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, कि कलेक्टर, एस० डी० ओ०, बी० डी० ओ० आदि जो हैं, जो विकास अधिकारी हैं, उन्हें इस प्रकार की स्कीम्स में निश्चित रूप से लोगों का सहयोग मिलेगा। लेकिन आज एक दूसरी हवा चलती है और वह यह है कि सहयोग नाम मात्र को लिया जाता है, इस चीज़ में कि गांव में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका विकास करना है, इसकी जानकारी कलेक्टर से मिलेगी, गाँव वालों से नहीं ली जाती है। अगर गांव वालों से इसकी जानकारी नहीं लेंगे तो वेस्टेज होगा और गांव वालों का कॉपरेशन कम होगा। अब एक प्रश्न आता है कि सारे डेवलपमेंट वर्क का ढांचा पंचायत से कराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष का पंचायतों का अनुभव कुछ कटु सा रहा है और उस कटु अनुभव के कारण मैं ऐसा नहीं समझता कि पंचायतों को जो अधिकार दिये हैं, उन अधिकारों को छीना जाय, उन अधिकारों में कुछ हस्तक्षेप किया जाय, उन अधिकारों में कुछ कमी वेशी की जाय। लेकिन वह एक एक्सपेरीमेंट था कि हम डीसेन्ट्रलाइज़ेशन करना चाहते हैं, उसको हमें किस रूप से करना है। इसके लिए पंचायतों की स्थापना से लेकर अब तक पंचायतों के तीन वर्ष तक के कार्यकाल को देखें और उसके बाद हम अनुभव करें, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछले अनुभव को सामने रख कर, वर्तमान में अनुभव प्राप्त करके आगे के लिए अपना मार्ग बनायें तो निश्चय ही पंचायत राज्य हमारे यहां हो सकता है, लेकिन हमने पंचायतों के मूल में एक गलती की है, जिसका कि बलवन्त राय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में संकेत किया है कि पंचायतों की फॉर्मेशन लोगों की

(श्री भैरोंसिंह)

इच्छा के आधार पर, जहां तक सम्भव हो, होना चाहिए ।

एक गांव के व्यक्ति कहते हैं कि हम उस गांव की पंचायत में शामिल नहीं हैं, दूसरे गांव की पंचायत के लोग कहते हैं कि अमुक गांव के लोगों को हमारी पंचायत में शामिल नहीं करेंगे और सरकारी मशीनरी कहती है कि चाहे दोनों गांवों में किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं हो, भौगोलिक दृष्टि से अथवा अन्य किसी दृष्टि से साम्य न हो, फिर भी उन गांवों की एक ही पंचायत बनेगी, अलग अलग पंचायतें नहीं बन सकतीं, चाहे राजनैतिक कारण हो या अन्य कोई कारण हों, उन कारणों के आधार पर एक करना पड़ेगा, तो हमारा अनुभव कहता है कि जो हमने इस प्रकार की पंचायतों का निर्माण किया है, उनमें काम नहीं हुआ, यही नहीं बल्कि जो श्रद्धा पंचायतों के प्रति निर्माण होनी चाहिये थी, उस श्रद्धा की बजाय अश्रद्धा का निर्माण हुआ, अश्रद्धा उत्पन्न हुई । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी यहां नहीं हैं, वे स्वयं कहते हैं कि पंचायतों का निर्माण गलत हुआ है, उन्होंने मुझसे कहा कि पंचायतों के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं, टेलीग्राम्स के रूप में शिकायतें आती हैं उनका एवरेज है २० प्रतिदिन का। आप अन्दाज लगाइये, राजस्थान में पंचायतें हैं उनकी शिकायतें होती हैं, टेलिग्राम्स के रूप में शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों का २० का ऐवरेज है । इसका मतलब यह हुआ कि पंचायतों का एक ढांचा बनाया था उससे जनता में असंतोष पैदा हुआ । मैं यह नहीं कहता कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिये जायें, मैं यह भी नहीं कहता कि जो अधिकार उनको दे दिये गये हैं वे वापस ले लिये जायं, पर जो अधिकार उन्हें दिये गये हैं, उन अधिकारों के दुरुपयोग को रोका जाय । पंच लोगों की संख्या पक्षपात करने के लिये नहीं, पंचायतें लोगों को सस्ता न्याय देने के लिये, विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिये, पंचायतें बनाई गई हैं और इसी दृष्टि से काम किया जाय तो लाभ होगा ।

इसमें जुडिशियल पंचायतों की व्यवस्था दी है, पिछला अनुभव बताता है कि पिछले तीन वर्षों में जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनसे लोगों में कटुता बढ़ी है । चाहे कोई स्वीकार करे या नहीं, राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़ कर समूचे राजस्थान में जातीयता के आधार पर इलेक्शन्स हुए हैं । एक राजपूत इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उस वार्ड में जितने राजपूत हैं वे बगैर किसी क्वालिफिकेशन को देखे राजपूत को वोट देंगे, अगर कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ है तो ब्राह्मण को ही उस वार्ड के ब्राह्मण वोट देंगे और इसी तरह अगर एक जाट खड़ा हुआ है तो जाट केवल उस जाट को ही वोट देंगे, तो इस तरह पंचायतों के इलेक्शन्स के द्वारा जो हम कॉम्युनिटी फीलिंग्स को डवेलप करना चाहते थे, उसके स्थान पर आज कॉम्युनल फीलिंग्स डेवलप हुए हैं और वह कॉम्युनल फीलिंग्स केवल पंचायतों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि संविधान जो एकता पैदा करना चाहता है उसके लिये यह विषाक्त बनता जा रहा है ।

ऐसे वातावरण में हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि आज की पंचायतों का फार्मेशन जातीयता को बढ़ावा देता है, सत्ता का दुरुपयोग करता है, आपस में दुर्भावना पैदा करता है, तो कौनसा ऐसा तरीका है जिसे लेकर इन तीनों चीजों को समाप्त कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, इन

(श्री भैरोंसिंह)

तीन चार बातों के आधार पर व्यवस्था दी है कि विषाक्त वातावरण में किसी पंचायत से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह जुडिशियल फंक्शन्स को इम्पार्शियली एग्ज़ीक्यूट करेंगी। यू. पी. में जुडिशियल पंचायतें हैं, उनके आधार पर दूसरी सलाह दी है, इस प्रकार भी डेमोक्रेसी में जहां पंचायतों की चुनाव के ज़रिये स्थापना होती है, जिससे पार्टी फीलिंग्स बन सकते हैं, एक पार्टी के प्रति स्वामी भक्ति बताने के लिये अपनी पार्टी के व्यक्ति का पक्ष लिया जायगा और इस तरह न्याय में निष्पक्षता कैसे आ सकती है, इस लिये न्याय में निष्पक्षता लाने के लिये जुडिशियल पंचायतों की स्थापना होनी चाहिये, यह सुझाव दिया गया है। मैं भी मानता हूं कि पंचायतों के फैसले होते हैं, ह्यूमन वीकनेस है, एक व्यक्ति से वोट लेता हूं तो कमज़ोरी मेरे में रहेगी कि उस व्यक्ति की मांग को चाहे वह अनुचित हो या उचित हो, उसको रिप्रेज़ेन्ट करूं। एक गांव में दो आदमियों के आपस में मुकदमा हुआ, उनमें से एक व्यक्ति ने चुनाव में एक पंच को वोट दिये और दूसरे ने किसी दूसरे को वोट दिया, दोनों की राय पर निर्णय होगा पर इस प्रकार का निर्णय होगा कि जिसको हम प्रज्युडिशियल ओपिनियन कह सकते हैं। एक दूसरे ने एक दूसरे को वोट दिया है इसलिये जिसने जिसको वोट दिया है वह पंच उस वोट देने वाले का पक्ष लेगा।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि हम पंचायतों को दो भागों में बांट सकते हैं कि नहीं, हमें पंचायतों को दो भागों में बांट देना चाहिये और इस कारण से बांट देना चाहिये कि इन पंचायतों के कारण गांव-गांव में संघर्ष पैदा हुए, घर घर में संघर्ष पैदा हुए। यदि हम आज के क्राइम्स की पहले के क्राइम्स से तुलना करें, थानों में तहसीलों में जितने क्राइम्स रजिस्टर होते हैं, उनकी तुलना करें तो पता चलेगा कि पंचायतों के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कितने क्राइम्स बढ़े हैं। पंचायतों के बनने के बाद पहले से चार पांच गुने क्राइम्स बढ़े हैं, क्राइम्स तो उतने ही हुए होंगे, बढ़े नहीं होंगे पर रजिस्टर ज्यादा हुए हैं। क्राइम्स को रजिस्टर करने का प्रश्न आता है तो पंचायतों के एस्टेब्लिश करने की जो मूल भावना है उसके प्रति अन्याय करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग सस्ता न्याय प्राप्त करें और आपस में सम्पर्क स्थापित कर के लोगों के आपस के झगड़ों को समाप्त करने की कोशिश करें, पर हुआ इसके विपरीत। पंचायतें बनीं, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के थप्पड़ लगा दिया, एक व्यक्ति का जानवर किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में चरने चला गया और रिपोर्ट्स पंचायत में दर्ज हो गईं, वैसे कानून की भाषा में ये ऑफेन्सेज़ हैं परन्तु पंचायतों का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस समय तक इस प्रकार के ऑफेन्सेज़, थानों में तहसीलों में, या जिले की अदालत में नहीं जाते थे, उसी गांव के चार पांच मौज़िज आदमी बैठ कर दोषी को दंडित करते थे, समाज में उसे दण्डित किया जाता था और भविष्य में अपराध नहीं करने के लिये उसे आगाह कर दिया जाता था; पर आज पंचायतें जुडिशियल अदालतों का रूप धारण करें, इलेक्शन के बाद बनी हुई बॉडी जुडिशियल फंक्शन के रूप में, हमारे सामने अदालत के रूप में खड़ी होती है और न्याय का ध्यान नहीं रखती, इलेक्टोरेट का ध्यान रखती है। ऐसी सूरत में हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनसे और प्रकार का काम लें, उन्हें यह काम न सौंप कर डवलपमेंट का काम उनसे लें, चुनावों में जीते हुए पंचों की पंचायतें कॉन्स्ट्रीट्यूट करायें पर

(श्री भैरोंसिंह)

जुडिशियल पंचायतें ऐसे लोगों के हाथों में दी जांय जिनको कभी इस प्रकार का ख्याल नहीं हो कि हम न्याय के विरुद्ध फैसला करें। इसके लिये ऐसा रखा जाय कि पंचायतें पैनल बना कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगी और उनमें से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनोनीत करके उनका पैनल बनाया जायगा। इससे यह नुकसान हो सकता है कि जिस पंचायत में जिस फिरके की मेजोरिटी हुई, वही फिरका पैनल बनायेगा तो अपने फिरके के व्यक्तियों का पैनल बनेगा तो अल्पमत जिले, हम किसी भी रूप में डिस्कार्ड नहीं करना चाहते, वह अल्पमत पैनल में नहीं आ सकता, बहुमत ही वहां अपने व्यक्तियों को पैनल में भेजेगा, एस. डी. ओ. या कलेक्टर के द्वारा, पंचायतों द्वारा भेजे हुए पैनल में से ही सलेक्शन होगा वह उन्हीं के दल का पैनल होगा, तो फिर क्या किया जाय? इसके लिये मैं एक सुझाव पेश करता हूं, वह यह है कि जितने इलेक्टेड पंच हैं वे अपनी तरफ से एक एक आदमी का नाम प्रोपोज़ करें, सब पंचों को अधिकार होना चाहिये कि एक एक व्यक्ति का नाम प्रोपोज़ कर के भेज दें। आगे जिस अधिकारी को सेलेक्शन का काम सौंपते हैं वह एक दो या तीन जितनों को चाहें उनको ले लें। इससे पैनल में बहुमत वालों के आदमी भी जायेंगे और अल्पमत वालों ने जिनको प्रोपोज़ करके भेजा है वे लोग भी जायेंगे। जिनको लेना होगा उनको वह अधिकारी सलेक्ट कर लेगा, जो योग्य होंगे इस काम के लिये, फिट होंगे वे जुडिशियल पंचायत के रूप में आ जायेंगे, उनका जो फैसला होगा वह वोटों के आधार पर नहीं होगा बल्कि जुडिशियल माइन्ड के होने के कारण, न्याय करने के आधार पर वे जुडिशियल पंचायतें फंक्शन करेंगी।

जुडिशियल पंचायतों के बनने के बाद इन पंचायतों का क्या काम होगा, यह भी एक समस्या है। आज जो पंचायतों को अधिकार दिये हैं वे जुडिशियल पंचायतों के रूप में उनके अधिकार छीनते हैं तो यह सवाल आ सकता है कि सारी पंचायतें इस बात को लेकर आन्दोलन खड़ा कर दें और इस आन्दोलन को चलाने की हमारे में सामर्थ है या नहीं। लेकिन अगर हम ठीक ढंग से उन पंचायतों का जिनका कि निर्माण विशेष परिस्थितियों में हो गया है, ठीक ढंग से अपनाने की चेष्टा करेंगे और पंचायतों के निर्माण में या उनको जो अधिकार दिये गये हैं, उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उनके ये अधिकार अपने आप धीरे धीरे पूरे हो जायेंगे। आज एक तरफ पंचयतों का राज्य है तो दूसरी ओर पंचायतों में पटवारी और एक तरफ राज्य के बी० डी० ओ० का राज्य है और अगर वहां पर पी० डब्ल्यू० डी०, एग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट आदि के अलग-अलग व्यक्ति हैं तो उनका अलग से राज्य है। यदि हम इन सभी व्यक्तियों के अधिकारों को पंचायत में दे दें तो एक तरफ हम उनसे जुडिशियल डिपार्टमेंट के पॉवर लेते हैं तो दूसरी तरफ यह सब काम उनको दे देते हैं कि सारे कर्मचारी उनके (पंचायतों) के सुपरविज़न में काम करेंगे और वे सब लोग लगन से पंचायतों की एक्सपेन्शन की कोशिश करेंगे। एक तरफ जुडिशियल पॉवर को पंचायतों से निकालें और दूसरी तरफ डेवलपमेंट का काम पंचायतों को दे कर उनको अधिकार दे देते हैं तो इससे एक प्रकार की जो संघर्ष की स्थिति बन जाती है नहीं बनती।

अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि जितनी इलेक्टेड बोडीज़ हैं, क्या जुडिशियल काम करने के नाकाबिल हैं? अध्यक्ष

Page No.35

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय, यह एक प्रश्न ऐसा है जिस पर विचार करना होगा। मैंने बलवन्त राय कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी और विदेशों में जो व्यवस्था है उसको देखा है और उस पर कुछ पुस्तकें भी पढ़ी हैं। विदेशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी, मगर उसका नाम दूसरा था। अव्वल तो उन्होंने उनको अधिकार नहीं दिये और ऑप्शनल बेसिस पर अधिकार दिये। लेकिन एक जुडिशियल पंचायत और एक गांव की पंचायत है। यदि कोई व्यक्ति अपना न्याय ग्राम पंचायत से कराना चाहता है तो वह उससे करा सकता है और अगर वह ग्राम की पंचायत में विश्वास नहीं रखता तो जुडिशियल पंचायत से अपना न्याय करा सकता है। इससे ग्राम की पंचायतों के लिये लोगों में विश्वास की भावना ही पैदा कर सकेंगे और जिस समय इस स्थिति पर पहुंच जावेंगे कि कितने केसेज़ के फैसले होते हैं उनमें से कितने केसेज़ पंचायतों से, जो जुडिशियल अख्त्यार रखती हैं और कितने केसेज़ ग्राम पंचायतों से तय हुए हैं उसको देखने के बाद उस निर्णय पर पहुंचेंगे कि आया जुडिशियल पंचायतों को भंग किया जाए या ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया जावे। इसके अलावा जिस तरह से किसी व्यक्ति को यह पावर दिये जाते हैं कि यदि वह चाहे तो अपना केस अदालत में जा कर चलाए या वह चाहे तो किसी पंचायत कोर्ट में चलाए। उसी तरह से हमको दूसरी पार्टी को भी अधिकार देना होगा। जिस तरह मुकदमा दायर करने वाले की इच्छा पर यह छोड़ा गया है कि अगर वह चाहे तो ग्राम पंचायत से न्याय प्राप्त कर सकता है और अगर वह नहीं चाहे तो वह जुडिशियल पंचायत से अपना न्याय ले सकता है। इसमें किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि दोनों पंचायतें अपना अपना काम अच्छी तरह से करेंगी और दोनों को अपनी अपनी योग्यता और एफिशियेन्सी शो करने का अवसर होगा। यदि जुडिशियल पंचायत अच्छी तरह से काम नहीं करेंगी तो उसको भंग कर दिया जावेगा और अगर ग्राम पंचायत ठीक तरह से काम नहीं करेंगी तो लोगों को जुडिशियल पंचायतों के द्वारा न्याय प्राप्त करने का अवसर मिल जाएगा और उनको भंग कर दी जानी चाहिये।

अब दूसरा प्रश्न पंचायत समिति का आता है। मैं मानता हूं कि इसकी आवश्यकता है और हमारे यहां उसी प्रकार की तहसील पंचायतें हैं। उसका नाम चाहे कुछ भी रहे, चाहे तहसील पंचायत रहे या पंचायत समिति रहे। लेकिन हमें यहां पर यह निश्चित मान कर चलना होगा कि तहसील पंचायत एक इलेक्टेड बॉडी है। वह ग्राम पंचायतों के पंचों द्वारा चुनी हुई संस्था है। जितने पंच जाते हैं, वे उसको चुनते हैं। वे लोग मामूली हैसियत के व्यक्ति नहीं होते। उनकी हैसियत मामूली भले ही हो, जो हो सकती है, लेकिन वे पब्लिक के चुने हुए होते हैं उस लिहाज़ से उनकी हैसियत मामूली नहीं कही जा सकती। हो सकता है कि ये लोग गलत हों या गलतियें करते हों और कार्य करने में जितने एफिशियेंट होने चाहिये नहीं होते, उनको एफिशियेन्टली एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि इनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया जाए और इसके लिये मेहता रिपोर्ट में यहां तक कहा है कि उन लोगों को काम करने और गलतियें करने का मौका दिया जावे, और

(श्री भैरोंसिंह)

गलतियें करने से उनको भविष्य में गलतियें न करने का मौका मिलेगा और जो गलतियें वे करेंगे उनको रोकी जावेगी। इसलिये ऐसी हालत में जितने बी० डी० ओज़० हैं, तहसील में काम करने वाले एग्रीकल्चरिस्ट हों, पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर हों वे सब इस ढंग से पंचायतों से कॉओपरेट करें कि जिससे अलग अलग होने की कभी भावना ही पैदा न हो और वह साथ हो जाए और जनता को सस्ता न्याय मिल सके और इसीलिये कि वे काम नहीं जानते किसी रेवेन्यु अधिकारी को या बी० डी० ओ० को सेक्रेट्री बना कर रखा जाए, मेरी समझ में उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हम यह मान कर चलें कि म्युनेसिपेल्टीज़ में एक्सपर्ट ऑफिसर के रूप में हम कुछ ऑफिसरों को एपॉइन्ट करते हैं लेकिन अक्सर यह देखने में आया है कि उनके नीचे के कर्मचारियों में आपस में संघर्ष चलता ही रहता है और कई दफा ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उस स्थिति के कारण या तो उन ऑफिसरों का ट्रान्सफर करना पड़ता है या म्युनिसिपल बॉडीज़ को भंग करना पड़ता है। इस प्रकार के कई अवसर आए भी हैं। जहां हम जुडिशियल अधिकार देते हैं और अपीलेट को रखते हैं, उसके अन्दर यदि सलाहकार के रूप में उसका सेक्रेट्री बी. डी. ओ. रहता है तो वह बी. डी. ओ. एक सरकारी अधिकारी होने और पढ़ा लिखा होने के नाते अपना इन्फल्यूएन्स काम में लाएगा और अपनी मर्जी से काम करेगा, क्योंकि गांव के पर्सोनल्स ऐसे है जो पढ़े लिखे नहीं होते और जब हम देखते हैं कि जहां पर लोग अनपढ़ और अनफिट होते हैं वहां पर सारा काम सेक्रेट्री ही करता है और जिस तरह से वह काम को चलाता है उसी तरह से काम होता है। यदि किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के या दूसरे बोर्ड के सेक्रेट्री अच्छे होते हैं तो सारा सेक्रेटेरियेट उनके हाथ में रहता है। और हम यह भी जानते है कि तहसील पंचायत के सदस्य अपना पूरा समय उस काम में नहीं लगा सकते और जहां पर तहसील पंचायत के सदस्य यदि अपना पूरा समय तहसील के काम में नहीं दे पाए या महीने में ७ या १० दिन ही काम देते हैं तो सारा का सारा काम बी. डी. ओ. के पास रहता है और उन लोगों के अनुभव की कमी का वे लोग फायदा उठाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप चाहें तो डेवलपमेंट के काम के लिये भले ही सेक्रेट्री बना सकते हैं लेकिन कोर्ट के काम के लिये उसको मंत्री बनाना न्याय की दृष्टि से अभी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिये यह जो सिफारिश है कि बी. डी. ओ. को उसका सेक्रेट्री बनाया जाय, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

दूसरा प्रश्न जिला बोर्ड का आता है। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि राजस्थान में जितने जिला बोर्ड हैं भंग कर दिये जावेंगे। कल की सदन की बहस से ऐसा लगता है कि कि सदन का कोई भी सदस्य जिला बोर्ड के पक्ष में नहीं है। एक बात यह हो सकती है है कि आया हम इन जिला बोर्डों को हटा सकते हैं या नहीं। यह सब कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई दलील नहीं। मगर मैं यह कहूंगा कि जिस समय जिला बोर्ड का निर्माण हुआ था उस समय पंचायतें नहीं थीं, पंचायत एक्ट जरूर बना था, मगर पंचायतें नहीं बनी थीं। तहसील पंचायतें भी नहीं बनी थीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सेस लेना था, वसूल करना था इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव जल्दी से कर लिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को क्या पॉवर्स दिये जावेंगे यह विचाराधीन था। उसके पास छोटा

(श्री भैरोंसिंह)

मोटा काम था, उसके लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना और टैक्स लगाया गया। एक प्रश्न यह आता है कि गांवों के लेवल तक हमने गांव वालों को इन्साफ देने के लिये जुडिशियल कोर्ट के अधिकार की पंचायतें बनाई और उनकी अपील के लिये तहसील पंचायतों का निर्माण किया और यह सब सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये किया। अध्यक्ष महोदय, सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने के लिये राज्य में विधान सभा है और उसके द्वारा मिनिस्टरों की कौंसिल बनाई और मिनिस्टर सारे प्रान्त में प्रशासन रखते हैं। ऐसी सूरत में यह डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन की बात है, हमें डिविजन बेसिस और डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर करनी होगी। पंचायतों और गांवों के बेसिस पर हमने कर रखा है। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर आज सत्ता के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, प्रान्तीय सरकार है और उस प्रान्तीय सरकार के प्रशासन की व्यवस्था गांव गांव में पहुंच गई है। प्रान्तीय सरकार की सत्ता गांव गांव में पहुंच गई है। इससे प्रान्तीय विधान सभा का संबंध रहता है, प्रान्तीय विधान सभा द्वारा निर्मित सरकार का सम्बन्ध रहता है और आज इस प्रकार के ढंग से आते हैं कि पॉवर्स का रीडिस्ट्रिब्युशन न होकर डीसेन्ट्रलाइज़ेशन हो। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब कि हम डेवलपमेन्ट के कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो कार्य पंचायतें और तहसील पंचायतें कर सकती हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि आज जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बने हुए हैं और उनके अन्तर्गत जो औषधालय हैं, छोटी मोटी उनके अन्तर्गत डिस्पेन्सरियां हैं, वे चल रही हैं उनके अन्तर्गत और कई विकास के कार्य उन्होंने हाथ में ले रखे हैं। आज जो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स चल रहे हैं उनमें अलग अलग व्यवस्थायें हैं। लेकिन एक समस्या आती है और वह समस्या यह आती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्तर्गत चलने वाले सीकर के अध्यापक की तनख्वाह ३० माहवार, झुंझुनू में चलने वाले अध्यापक की ४०) रुपया है और जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक की तनख्वाह ३५) है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में एक नियम नहीं है कि औषधालय के वैद्य को ४०) और अध्यापक को ३५) की ग्रेड मिलेगी। इसका कारण यह है कि यदि एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ६० हजार की आमदनी होती है तो वह उस हिसाब से ही खर्च करेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने अध्यापक हैं, जितने वैद्य हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, कम्पाउन्डर्स हैं, उन सबको उस बोर्ड की आमदनी के हिसाब से ही तनख्वाह मिलेगी, इसलिए एक यह प्रश्न आता है कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में वैद्यों की तनख्वाह में, डाक्टर्स की तनख्वाह में, कम्पाउन्डर्स की तनख्वाह में, अध्यापकों की तनख्वाह में इस प्रकार अन्तर रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा सकती है वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा नहीं दी जा सकती है और अन्तर रहता है, जिस प्रकार से भारत सरकार के कर्मचारियों और प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों के बीच वेतन का अन्तर रहता है, तो इससे एक प्रकार का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों में असंतोष जाग्रत होगा, एक प्रकार का अविश्वास जाग्रत होगा और वह असंतोष और अविश्वास जाग्रत ही नहीं होगा किन्तु उन लोगों का माइन्ड रिवोल्ट करेगा और उसके

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

कारण आगे जाकर परिस्थितियां गम्भीर भी बन सकती हैं। इसलिए यदि सर्विसेज़ की दृष्टि से भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देखते हैं तो एक प्रश्न सामने यह भी आता है कि आये दिन पंचायतों में वहां की सर्विसेज़ के ट्रान्सफर को लेकर, तरक्की और तनज्जुअली के प्रश्न को लेकर, आज तक यह अनुभव रहा है कि पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में झगड़े चलते रहते हैं और इन झगड़ों के चलते रहने के कारण जो विकास कार्य होना चाहिये वह नहीं होता है और विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है, उस विकास के मार्ग में अवरुद्धता पैदा करते हैं इसलिये इस प्रकार के जो विकास के कामों में अवरुद्धता पैदा करने वाली चीजें हैं उनको पंचायतों के क्षेत्रों से, पंचायतों के लेवल से अलग रखेंगे तो बहुत अच्छा है। हम सरकारी स्तर पर यदि औषधालय के वैद्यों की, अध्यापकों की तनख्वाहें निर्धारित कर रहे हैं, तो उनके सुपरविज़न का कार्य है यदि वह कार्य तहसील पंचायतों को ही दे दें। लेकिन इस प्रकार के जो आये दिन झगड़े होते रहते हैं उनसे पंचायतों और तहसील पंचायतों को अवश्य ही हमें बचाना पड़ेगा और उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या स्टेटुएरी बोडी बनायें, उनके अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट कर दिये जांय। वे न कर्मचारियों की तनख्वाहों के बारे में, न उनकी तनज्जुअली और तरक्की के बारे में कोई ओपिनियन दें और न ही रूल्स बनायें, जिससे उनके कार्य काल में, उनकी कुशलता में कोई बाधा उत्पन्न न हो और न वेरियेशन का निर्माण हो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इमें लाभदायक न होकर नीचे के कामों का केवल ओवर लेपिंग है इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह आता है कि पंचायतों का काम टैक्सेज़ से चलेगा, पंचायत समितियों का काम टैक्सेज़ से चलेगा और जिला बोर्ड रखते हैं तो टैक्सेज़ वहां भी लगेंगे। आज हम देखते हैं कि जिला स्तर पर जिला बोर्डों का टैक्सेज़ का भार जिला स्तर पर जिलों की केपेसिटियों पर नहीं पड़ता है, राजा और महाराजों पर भी उनका भार नहीं पड़ता लेकिन उनका भार पड़ता है जाकर पंचायतों पर, पंचायत समितियों के ऊपर और इस प्रकार से जितनी भी आमदनी उनकी होने वाली है उसका सीधा सम्बन्ध काश्तकारों से होगा। गांवों में काश्तकारों का बहुमत है, पंचायतों और तहसील पंचायतों में काश्तकारों का बहुमत है। चाहे जिला स्तर पर बनायें, चाहे तहसील पंचायत के स्तर पर बनायें, उन टैक्सेज़ का भार सीधा काश्तकारों पर पड़ने वाला है। गांवों के लोगों की यदि आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वह केवल गांव के लोगों से ही सुधरेगी। सरकार कह सकती है कि हम लैंड रेवेन्यू से उनको आर्थिक सहायता देने वाले हैं। मैं मानता हूं कि लैंड रेवेन्यू से आर्थिक सहायक उनको मिलेगी। लेकिन जो टैक्स इम्पोज़ करने की व्यवस्था है उसके कारण गांव के रहने वाले काश्तकारों के जानवरों पर, कैटल पोन्डस के रूप में और चरागाहों के रूप में हो, इसलिए जो गांव में रहने वाले लोग हैं, काश्तकार हैं, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए जो आज टैक्सेशन का डुप्लीकेशन चल रहा है, तहसील पंचायतों में और डिस्ट्रिक बोर्डों में जो टैक्सेशन का डुप्लीकेशन चल रहा है, उसको समाप्त करना पड़ेगा और यह समाप्त करने की अच्छी बात हो सकती है जिला बोर्ड के लिए,

(श्री भैरोंसिंह)

इनको भंग कर दिया जाय और इसीलिए मैं जिला बोर्ड के पक्ष में नहीं हूं।

विकास का काम ऐसा है अध्यक्ष महोदय, कि यदि ग्रुप बाज़ी को दूर रख कर, सत्ता को दूर रख कर करने की चेष्टा करें तो कॉपरेशन की जो आज अपेक्षा की जाती है वह कॉपरेशन जनता से अवश्य मिलेगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह बदकिस्मती है कि राजस्थान में पंचायतों के इलेक्शन होते हैं उनमें ग्रुप पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स डेवलप हुई है। आज हम देखते हैं कि यदि एक पंचायत में एक ग्रुप आ जाता है, एक ग्रुप की पंचायत हो जाती है तो उससे वहां दूसरा ग्रुप हमेशा नाराज रहता है। यदि वहां कोई डेवलपमेंट का कार्य हुआ तो उसमें दूसरे ग्रुप ने सहयोग नहीं दिया और सहयोग इसलिए नहीं दिया कि उन दोनों का आपस में झगड़ा है, ग्रुप पोलिटिक्स के कारण ऐसा हुआ, इसलिए अमुक व्यक्ति के हाथ में वह पंचायत आ गई है इसलिए हम सहयोग नहीं देते। इस प्रकार के झगड़े चलते हैं। बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट में भी इस ओर इंगित किया गया है और मैं समझता हूं कि सौराष्ट्र और मध्यप्रदेश इन दो राज्यों की व्यवस्था का सर्वेक्षण किया और यह राय दी कि इस प्रकार के झगड़ों को मिटाने के लिए मध्यस्थ मण्डल स्थापित किया जाय। वे मध्यस्थ मण्डल यह कोशिश करता था कि पंचायतों के चुनाव निर्विरोध हों, आपस में चुनावों को लेकर जो कटुता पैदा हो जाय उसको समाप्त करने की कोशिश की जाय और जहां जहां इस प्रकार के झगड़ों को समाप्त किया गया है वहां वहां डेवलपमेन्ट के काम आगे बढ़े भी हैं। मेरा भी यही अनुभव है बल्कि बलवन्तराय कमेटी ने इस पोइन्ट का सर्वेक्षण करके यह राय दी है। जहां निर्विरोध चुनाव हुए हैं, किसी प्रकार का आपस में कोई संघर्ष नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ, उन पंचायतों में विकास के काम आगे बढ़े हैं, उनमें डेवलपमेंट के काम हुए हैं और वे डेवलपमेंट के कार्य एक कॉओपरेटिव स्प्रिट से किए गये हैं और यदि कॉओपरेटिव स्प्रिट में डेवलपमेंट का कार्य कराना चाहते हैं तो वह मूहर्त रूप में ही डेवलपमेंट होगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की एक विपरीत व्यवस्था है। दो, तीन परसेन्ट ही राजस्थान में ऐसी पंचायतें होंगी, इस समय मेरे पास इस प्रकार के आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन मेरी यह मान्यता है कि दो तीन परसेन्ट पंचायतें ही राजस्थान में ऐसी होंगी जहां पर निर्विरोध चुनाव हुए हैं, बाकी की अधिकांश पंचायतों में जो चुनाव हुए हैं उनमें भयंकर संघर्ष हुआ है, भयंकर इस माने में कि वहां पर लाठियां चली हैं, आपसी झगड़े इतने कटु हो गये कि पुलिस को वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को उन पंचायतों के चुनाव भंग करने पड़े। यह कटुता इतनी बढ़ी है, अध्यक्ष महोदय, कि इस सदन के सब ही माननीय सदस्य जानते हैं कि आज पंचायतों के निर्माण में चुनावों के प्रश्नों को लेकर काफी कटुता है और दिन ब दिन किसी न किसी प्रकार वह कटुता बढ़ती ही जा रही है। आज हम देखते हैं कि यह कटुता जमीन के प्रश्न को लेकर बढ़ती जा रही है, डेवलपमेन्ट के कार्य में जो सरकार की ओर से ऋण मिलता है उसके कारण जो गड़बड़ियां होती हैं उसको लेकर बढ़ रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की दृष्टि से भी यह कटुता बढ़ती जा रही है। हम चाहते थे कि पंचायतों का प्रशासन अच्छा हो, हम चाहते थे कि लोगों को सस्ता न्याय मिले, लेकिन चुनावों के प्रश्नों को लेकर आज राजस्थान में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि लोगों को सस्ता

(श्री भैरोंसिंह)

न्याय नहीं दे सकते, डेवलपमेन्ट के कार्यों में जो एक कोऑपरेटिव स्प्रिट की भावना लोगों में क्रियेट करना चाहते थे वह भावना उनमें क्रियेट नहीं कर सके और इसके कारण जो डेवलपमेन्ट के कार्यों में लोगों का सहयोग चाहिये था वह सहयोग हमें नहीं मिल सका। बलवंतराय कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि पंचायतों में और गावों में लोगों को इस डेवलपमेन्ट के कार्यों का महत्व दिखाया जाय। यह न हो कि यहां जयपुर में बैठे बैठे ही राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री, या चीफ पंचायत ऑफिसर ने पंचायतों के लिए हिदायतें पंचायत पत्र में या राजस्थान गजट में प्रकाशित करा दीं और बस काम हो गया। आज हम देखते हैं कि होता क्या है कि पंचायतों को एक तरफ भंग कर दिया जाता है और फिर गजट में नोटिफिकेशन निकाल दिया, हिदायतें निकाल दीं कि अमुक अमुक पंचायतें तीन वर्ष के लिए बना दी गई हैं, न लोगों के उजरात सुने और न कुछ। बस बना दीं और उसका परिणाम क्या होता है, अध्यक्ष महोदय, कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के नाम बता सकता हूं जहां कि लोगों में उनमें भाग नहीं लिया और जब उन्होंने भाग नहीं लिया तो विकास के कार्यों में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनमें उन्होंने भाग नहीं लिया, उनके उजरात नहीं सुने गये। आज हम देखते हैं कि जो केन्द्र स्थापित किये गये हैं वे भी दूर दूर हैं। हम यह भी देखते हैं कि कई पंचायतें बनी हैं लेकिन लोगों के आपस में झगड़े हैं और इसीलिए वे उनमें भाग नहीं लेते। इसलिए भाग नहीं लेते हैं कि उनके गावों से बहुत दूर है, उनमें उनकी रुची नहीं। अध्यक्ष महोदय, कमेटी की सिफारिश ऐसी है और मैं स्वयम् उससे सहमत हूं कि पंचायतों के निर्माण के प्रश्न को लेकर छोटी बड़ी पंचायत बनाने की भावना के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। तीन तीन गांवों की भी अगर पंचायतें बनानी हों तो बना लेनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है एक गांव की नहीं तो दो तीन गांवों को मिला कर पंचायत बना देनी चाहिए और इससे जो गांव की भावना है वह समाप्त होगी और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की भावना बढ़ेगी। उसमें एक्सेप्शन हैं कि यदि गांव वालों की इच्छा न हो कि दो तीन गांवों को मिला कर एक पंचायत कान्स्टिट्युट करें तो उनकी राय की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए और जहां तक संभव हो मेजोरिटी के द्वारा पंचायतों के चुनाव से लेकर उनके निर्माण तक निर्विरोध कार्यवाही हो और यदि कटुता बढ़ रही है तो उसको समाप्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, विकास खंड खोले हैं और उनसे माननीय मुख्य मंत्री जी को काफी संतोष है ऐसा उन्होंने सदन में बताया है।

अध्यक्ष महोदय, विकास खंड जहां जहां खुले हैं वहां मुख्य मंत्री महोदय भी चलें और मैं भी चलूं और मैं उनको बताऊं किस प्रकार केवल स्लोगन्स लिखे जाते हैं दीवारों पर। गन्दे शहरों की सफाई की भी बहुत आवश्यकता है लेकिन केवल स्लोगन्स के लिख देने से तो ये काम नहीं चल सकता, अन्न की पैदावार केवल स्लोगन्स के लिख देने से, या बता देने से बढ़ नहीं सकती। आजकल होता क्या है कि कोई भी चीज़ करानी हो उसको एक स्लोगन की तरह दीवारों पर चिपका दिया जाता है, क्या इससे तरक्की हो सकती है, कदापि नहीं। हमार

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य सरकार डॉइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की आउट ऑफ वे जाकर तारीफ करते हैं उनका कहना है कि इन्हीं के कारण खेती की पैदावार बढ़ी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री के साथ किसी भी ब्लॉक में चलने को तैयार हूं, वहां जाकर देखें कि हमारे जो कृषि के साधन थे उनको किस प्रकार मैनेज किया जा रहा है। उनको किस प्रकार खाद दिया जा रहा है, किस तरह के इम्पलीमेन्टस उनको प्रोवाइड किये जा रहे हैं, क्या इसमे उन ज़मीनों की पैदावार बढ़ी है या जो जमीन नई लेकर उसको तोड़ कर खेती की पैदावार बढ़ायी है इन दोनों में काफी अन्तर है। हमारे पास जो साधन थे उनमें किसी प्रकार की विशेष तरक्की नहीं हुई है लेकिन मेजर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स और कुछ माइनर इर्रिगेशन से कुछ तरक्की जरूर हुई क्योंकि ज़मीन चाही बनायी गई है। इस प्रकार कुछ तरक्की हो जाना एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की एफीशियेन्सी को प्रगट नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह देखना है कि इन प्रोजेक्ट्स के अन्दर कितना खर्च किया गया उसका इवेल्युएशन किया जाय तो सही परिस्थिति का ज्ञान हो जायगा।

१२.४१ म० प०

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं निवेदन करूं पिछले वर्ष जो बीज वितरण किया गया उसमें तीन तरीके अपनाये गये, उसमें पचास लाख रुपये का अच्छा बीज लाकर दिया गया। उसके खरीदने का तरीका किस प्रकार था इस बहस में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन जो तकलीफ किया गया उसके बारे में निवेदन करूंगा। बीज अच्छा है या बुरा यह किसी ने देखा नहीं केवल एक विलेज़ लेवल का कर्मचारी जाकर गोदाम में पड़े हुए बीज को देख कर कह देता है यह बीज अच्छा है इसको ले लिया जाय। उसका किसी प्रकार केमिकल एनेलिसीस नहीं, उस विलेज़ लेवल वर्कर के पास उसकी जांच के साधन नहीं। मेरी इस संबन्ध में विलेज़ लेवल के जो कर्मचारी थे उनसे इस संबन्ध में बातचीत हुई थी। उनसे ऐसा पता चला कि अच्छे बीजों के संबन्ध में निर्णय लेने के लिये कोई पर्याप्त ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी इनके कहने पर ही बीज लिया जाता है और उसके बाद में वह अनाज तीन प्रकार से दिया जाता है। एक तो सवाई बाटी के रूप में दूसरा कीमत के ऊपर और तीसरा कुछ रियायती कीमत पर भी दिया जाता है, इस प्रकार तीन तरीकों से वह बीज देने की व्यवस्था है। सवाई बाटी के रूप में जिनको दिया जाता है उनके लिये यह है कि वह या तो अनाज के रूप में उसको वापिस चुकाये या अनाज की कीमत अदा करें। पिछले वर्ष में जो सवाई बाटी पर अनाज दिया गया जहां वह दस रुपये मन के हिसाब से खरीदा गया था उसके लिये यह अपेक्षा की थी कि वह बीज खेतों में बोया जायगा और इससे जो पैदावार बढ़ेगी उस अनाज में अगर अच्छा बीज होगा तो उसको खरीद कर दूसरों को देंगे। माननीय कृषि मंत्री आंकड़े उठाकर देख लें राज्य सरकार को इसमें घाटा हुआ है। सवाई बाटी पर देने से जो वापिस लिया गया वह दस रुपये का सवाल नहीं तीन रुपये मन के हिसाब से खरीद कर जमा करवाया गया। उससे दस बीस हजार रुपये का ही घाटा नहीं हुआ बल्कि दो लाख रुपये का घाटा हुआ है। जहां तक रुपये का प्रश्न है, काश्तकार को रियायतें देने का प्रश्न है मैं यह मानने

(श्री भैरोंसिंह)

के लिये तैयार हूं, किन्तु साथ ही दूसरा प्रश्न यह भी उपस्थित हो जाता है कि अच्छा बीज समय पर उपलब्ध न होने से और जो खर्चा इसमें करते हैं उसका इवेल्यूएशन नहीं करते हैं तो यह उचित नहीं है। मैं अपने गांव का ही उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं, तहसील दांता रामगढ़ में एक ब्लॉक खुला है, पिछले दो वर्षों में जो बीज वहां तकसीम किया गया, लेकिन तकसीम करने के बाद में कितना वसूल किया जाय। वसूल करने का काम करते हैं उसमें ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता कि जहां दस रुपये मन के हिसाब से खरीद कर बीज तकसीम किया गया वहां जमा कराया जा रहा है वह है तीन रुपये मन का और वह भी रद्दी से रद्दी खरीदकर....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, I think we are discussing Community Development and the Report of the Balwant Rai Mehta Committee. We are going a little astray from the subject- माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि हम बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब खत्म ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you will please resume the debate.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था आज जो एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट की जो बातें कही जाती हैं वहां मेरा यह कहना है कि अगर पंचायतों के मार्फत बीजों को तकसीम करवाया जाय क्रोप एक्सपेरीमेन्ट की प्रोड्यूस किस तरह से बढ़ाई जाती है, फर्टीलाइज़र्स किस प्रकार के प्रोड्यूस किये जाने चाहिये, तकावी किस किस को दी जानी चाहिये, कुएं खुदवाने के लिए किस व्यक्ति को सहायता देनी चाहिये, अगर इस बारे में पंचायतों को अधिकार दे देते हैं तो उनको सब व्यक्तियों की जानकारी रहती है और जो गांव में काम करने वाले हैं वे अधिक से अधिक काम कर पायेंगे। आज जो पंचायतों में डेवलपमेन्ट के कार्य होते हैं उनकी जानकारी पंचायतों को नहीं रहती है इसी के कारण रुपयों का गबन और धन का दुरुपयोग के मामले हमारे सामने आते रहते हैं। मान लीजिये एक पंचायत में किसी व्यक्ति को तकावी दी और वह कुआ खुदवाने के लिए, अगर वह किसी दूसरे काम में उस रुपये को लेता है तो गांव वालों को तो उसका पता रहेगा; इसी प्रकार मान लीजिये कहीं कोऑपरेटिव सोसायटी चल रही है कौन कौन उसके सदस्य हैं उसको कितना धन दिया गया है। किस किस डेवलपमेन्ट के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है, यह सब जानकारी पंचायतों के लेवल पर पब्लिसिटी की तरह लोग जानने लग जांय तो न कोई गलत हिसाब दे सकेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि मैं अगर गलत हिसाब देता हूं तो पंचायत की मार्फत उसकी जानकारी अधिकारियों को मिल जायगी, मैं पकड़ा जाऊंगा, इस तरह से उस व्यक्ति को एक प्रकार से भय रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, उनकी जानकारी पंचायत की मार्फत सारे पंचायत के व्यक्तियों को मिल सकती है, इससे डेवलपमेंट के काम में जो धन का दुरुपयोग होता है वह नहीं हो पायेगा, अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो धन का दुरुपयोग नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ जो पंचायतों को पॉवर डेलीगेट करने की व्यवस्था की है वह न

(श्री भैरोंसिंह)

करके ये पॉवर्स डीसेन्ट्रलाइज़ करके पंचायतों को दे दिये जांय ताकि पंचायतें यह महसूस कर सकें कि विकास सम्बन्धी निर्णय उन्हें लेने हैं और उसके अन्तर्गत जो निर्णय पंचायतें लेंगी उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इस तरह से तहसील लेवल पर पंचायत समितियों का निर्माण करते हैं तो उनको आजादी से विचार करने का मौका मिलेगा।

जब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हटाकर जुडिशियल पंचायतों को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो लोकल बॉडीज़ की मार्फत इनको एग्ज़ीक्यूट कराया जावे इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव पद्धति में हमें सुधार करना चाहिये। पंचायतों के चुनावों को लेकर कई प्रकार की बातें होती हैं। राजस्थान पंचायत एक्ट में पंचायतों के चुनाव किस प्रकार हों इस संबन्ध में व्यवस्था है। पिछले पंचायतों के चुनावों में वोटर्स लिस्ट नहीं बन पायी थी, कई गांव वालों को वोटर्स लिस्ट का अनुभव तक नहीं है, तो होता क्या है कि एक गांव वाले दूसरे गांव में जाकर वोट दे देते हैं, वहां कह देते हैं कि हम तो इसी गांव के वोटर हैं, इस तरह से जो पंचायत के चुनावों में धांधली होती है उसको रोकना आवश्यक है। आम चुनावों में हम जिस प्रकार वोटर्स लिस्ट को काम में लेते हैं, पंचायतों के चुनाव में भी उसी प्रकार की लिस्ट से काम लें। हम अब इस बात को महसूस करने लग गये हैं कि हम सीक्रेट बेलट से पंचायतों के चुनाव करायें। अगर हम एक साथ सब के चुनाव सीक्रेट बेलट से नहीं करवा सकते तो वार्ड्स के पंचों का इलेक्शन तो हाथ उठाकर करवा सकते हैं लेकिन जहां तक सरपंच के चुनाव का प्रश्न है उनके लिये सीक्रेट बैलट से अवश्य होना चाहिये। ऐसी हालत में होगा क्या कि एक व्यक्ति यदि पंच के चुनाव में हाथ खड़ा करके वोट दे सकता है तो उसको वोट देने का साहस होगा तो सरपंच का जो सीक्रेट बैलट होगा तो उसमें भी वह वोट दे सकता है। और दोनों काम निरन्तर इस ढंग से चलेंगे कि कहीं कटुता नहीं दिखाई देगी। इस ढंग से हमें गांवों की कटुता को दूर करना पड़ेगा।

अब प्रश्न आता है चुनाव की पद्धति का। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी तो वे भी चाहते थे कि चुनावों का तरीका बदला जावे। मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय जो चुनाव कराने में बड़ी उत्सुकता रखते हैं, इस प्रकार के सुझाव का स्वागत करेंगे।

अब प्रश्न आता है उपाध्यक्ष महोदय,....

(कुछ माननीय सदस्यों को संकेत कर)

श्री उपाध्यक्ष : They will not talk across the table.

श्री भैरोंसिंह : वन मन्त्री महोदय कुछ डिस्टर्ब करते हैं।

(हंसी)

वह तो बड़े लम्बे-चौड़े होते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो मेरे साथी से बात कर रहा हूं। आपको बाधा पड़े, ऐसी बात नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order !! Will resume debate.

श्री भैरोंसिंह : मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसी डिस्टरबेन्स वन में करते हैं वैसी सदन में भी करते हैं वे, डिस्टर्बेन्स न करें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जारी रखिये, दूसरा पॉइन्ट क्या है ?

[हंसी]

श्री भैरोंसिंह : दूसरा पॉइन्ट यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आजकल पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं; सब जगह आदेश दे दिये हैं कि ज्यों-ज्यों मियाद समाप्त हो चुनाव करा दिये जावें, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि जिस रिपोर्ट को हम आज डिसकस कर रहे हैं उसके अनुसार जो परिवर्तन लाने वाले हैं कि पंचायतें किस प्रकार बनेंगी, उनके पॉवर क्या-क्या होंगे, जिलाबोर्ड रहेगा या नहीं, उसके अधिकार क्या होंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में कौन-कौन सी बातें रहने वाली हैं। ये जिला परामर्शदात्री समितियां कैसी होंगी, उनके फंक्शन क्या-क्या होंगे। जैसे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि अभी इन सब बातों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। तो निर्णय लेने से पूर्व मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से और विशेष रूप से स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चाहे यह बुरी बात हो सकती है पर जिन पंचायतों की मौजूदा मियाद खत्म हो गई है, हम इस विषय में जब तक अन्तिम निर्णय न ले लें तब तक उन पंचायतों के दुबारा चुनाव तीन महीने के लिये अभी स्थगित करा दें और इस बीच राज्य सरकार जल्दी से जल्दी एक ऐसी समिति नियुक्त करे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट को पंचायत एक्ट को और मेहता रिपोर्ट को सामने रख कर और सदन ने इन पर जो विचार प्रस्तुत किये हैं उनसे सलाह लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर ऐसी व्यवस्था करे कि लोकल बॉडीज़ में कोआर्डिनेशन हो और भविष्य में उसी आधार पर इन पंचायतों का गठन हो। यदि हमने पंचायतों के चुनाव अभी कराये तो हम उस पुराने वैमनस्य को और राग द्वेष को खत्म नहीं करेंगे बल्कि तीन साल बाद में इन्जेक्शन देकर उसे और जागृत करेंगे।

तो जिस चीज को जिस ढंग से आप लाना चाहते हैं उसके पहले निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनावों को जो दो चार दिनों में ही शुरू होने वाले हैं, स्थगित करा दें और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेकर कोई भी स्कीम जल्दी लागू कर दें। यह कानून की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अर्से से सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय सेवा खण्डों के रूप में एक प्रयोग देश के विभिन्न हिस्सों में और हमारे प्रान्त में भी कई जगह चलते रहे हैं। उनके द्वारा हमने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया है। इसकी जो सफलता विफलता का परिणाम सामने आया और जो उसकी आलोचना प्रत्यालोचना हुई उससे स्पष्ट है कि हमें इस बात की आवश्यकता मालूम हुई कि हम ज़रा ठहरें और इस पर सोच विचार करें, क्योंकि यह साफ है कि जिस आशा और उच्चतम उद्देश्य को लेकर हम चले थे वे आज भी हमसे उतने ही दूर हैं जितने दूर ये पहले दिन थे।

उपाध्यक्ष महोदय, तो इस आवश्यकता को महसूस करके, हमारी भारत सरकार ने श्री बलवन्तराय मेहता जी के सुयोग्य नेतृत्व में एक समिति बनाई। वह समिति देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की कुछ चीजों को देख कर, विदेशों को भी कुछ को देखकर जिस निष्कर्ष पर पहुंची उसकी एक रिपोर्ट उसने हम लोगों के सामने पेश की है। इस

(डॉ० चन्द्रकला)

रिपोर्ट का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के विषय में अधिकृत रूप से कहने की मैं अपने आप में पात्रता नहीं पाती हूं क्योंकि पहली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट को मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकी हूं और दूसरी बात यह है कि इसकी एक वाल्यूम अभी तक हम लोगों के पास में आनी बाकी है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखते हुए मुझे एक बात की कमी अवश्य लगी कि इसमें जहां एक ओर देश की प्रगति के विविध कार्यक्रमों की चर्चा है, विदेशों की भी कुछ बातों की चर्चा है, वहां पर हमारी अपनी प्राचीन परम्पराओं का जिक्र नहीं है, जहां कि हमने गणतन्त्र का, प्रजातन्त्र का बहुत अच्छा विकास देखा है, इतिहास हमारा बताता है कि प्राचीन काल में हमारे यहां का प्रजातन्त्र, हमारे यहां का विकास उच्चतम सीमा पर था, तब हमारे यहां के ही साधन थे, हमारे यहां के ही कार्यक्रम थे, हमारे यहां सब कुछ बातें थीं और हमारे पूर्वजों ने उन्हीं का उपयोग करके ऐसी स्थिति अपनी बनाई थी कि हम उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गये थे। जहां हम आज विदेशों की ओर देखते हैं, वहां पर वे विदेशी हमारे यहां आते थे और हमारे यहां से सब सीखते थे। उस वक्त न केवल हमारे गांव ही खुशहाल थे, बल्कि हमारी कला, साहित्य और विज्ञान ये सब उन्नत अवस्था में थे। तो अच्छा तो यह होता कि यह समिति उन बातों पर भी विचार करती और यह देखती कि उनमें से किन चीजों को आज के इस वैज्ञानिक युग के अनुकूल बनाकर ग्रहण किया जा सकता है।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह सुझाव देना चाहती हूं मेहता समिति को, यदि वह अभी भंग नही हुई हो तो, उसको और उसको नहीं तो फिर मैं अपनी सरकार को कि वह अब भी उन प्राचीन परम्पराओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करे और उनमें से जो ग्रहण करने लायक मिले उनको अवश्य ग्रहण करके अपनी योजना बनाने में उन प्रक्रियाओं को स्वीकार करे।

जहां तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और सामुदायिक विकास योजनाओं के लक्ष्य का प्रश्न है वह अत्यन्त सराहनीय है। विकास किसको प्रिय नहीं होता ? विकास सब चाहते हैं और जब हमने अपनी राजनैतिक आजादी प्राप्त कर ली तो इसके बाद दूसरा कदम हमारे सामने विकास की दिशा में निर्माण का ही था। हमारे बापू ने भी, जिनके नेतृत्व में हम आगे बढ़े थे, यही कहा था कि अब कांग्रेस का एक लक्ष्य राजनैतिक आजादी प्राप्त करने का पूरा होता है। आगे हमको विकास के काम में लगना चाहिये और हमारी उस कांग्रेस की संस्था को एक लोक सेवक संस्था के रूप में काम करना चाहिये। बापू ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया था कि यदि हम इस लक्ष्य को भूल गये और किसी दूसरे चक्कर में आ गये तो सम्भव है कि अपने रास्ते को भूल बैठें। पर उस समय हमें सत्ता आती हुई दिखाई पड़ी और बापू के बेटों ने देखा कि सत्ता को हमने यदि छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जायगी। उन्होंने बापू के सामने यह दलील भी दी कि सम्भव है सत्ता का प्रयोग करके बहुत अच्छी तरह अपने विकास को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बापू ने उस समय देख लिया था कि सत्ता आ गई तो यह हमारे देश में एक शासित और शासक का वर्ग भेद पैदा करने वाली होगी, वह हमारे चतुर्मुखी विकास में बहुत बड़ा रोड़ा सिद्ध होने वाली है। बापू की न चली और इस कांग्रेस संस्था ने सत्ता को स्वीकार किया और सत्ता में हम गये और वहां कोयलों की दलाली

(डॉ० चन्द्रकला)

में काले हाथ करके आज हम सोचने बैठे हैं कि हम विकास की दिशा में किस ओर चले गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सत्ता हमें मिली, वह सत्ता हमें पश्चिम से मिली। वह बहुत वर्षों तक इंगलैंड में रह कर आई थी। वह पश्चिम के बाने को धारण करके आई, इस लिए यह सत्ता हमें कुछ पश्चिमी रंग-ढंग में मिली। जो नेता लोग जनता को साथ लेकर एक समय हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने में अगुआ थे वे वहां से चल कर विधान निर्मात्री परिषद् में आये, वहां इकट्ठे होकर उन्होंने एक विधान देश का बनाया और बनाया क्या वही वायसरीगल लॉज़ को राष्ट्रपति भवन बनाया, वही पार्लियामेन्ट, वही बंगले वही कुर्सी और वही टेबुलें। केवल वहां अपने अपने आदमियों को बिठा दिया पहले वालों के स्थान पर और कह दिया पहले जो चाबी हिलाते थे वही अब तुम हिलाना शुरू करो और इससे फिर वह बाधा जो थी, जिसके लिए हमें बापू ने आगाह किया था, वही बाधा प्रारम्भ हुई और शुरू से हुई। वे राजेन्द्र बाबू जो एक समय लाखों लोगों के अगुआ बनकर जनता के साथ साथ चलते थे, आज जब शाही गाड़ी में चलते हैं तो सेना और पुलिस के पहरे लगते हैं। आम जनता को उनके दर्शन दुर्लभ हैं, उन्हें दो मील तक दूर हटाया जाता है। और यही हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधा सिद्ध होती जा रही है। जाने दीजिए दूसरी बातों को। हमें तो राजस्थान को देखना है। राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं वे देश के दूसरे हिस्सों से भिन्न हैं। हमारी विकास योजनायें भी आज हमारे ढंग से नहीं चलती हैं, वह पश्चिमी ढंग से चलती हैं। उसी तरह से एक ढांचा है फोर्ड फाउन्डेशन का पी. ओ. और बी. डी. ओ. हैं, फिर तरह तरह के ऑफिसर्स हैं, बी. एल. डब्ल्यूज़. हैं और फिर इस तरह के ढांचे का जब चलना शुरू हुआ तो इस प्रांत के अन्दर इतना और इसके अन्दर इतना और उसके अन्दर इतने बैठा दिये जायें और फिर उसमें रुपया पानी की तरह बहना शुरू हुआ और उसका जो नतीजा आया वह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हमको शुरू करना चाहिए था इस प्रकार से कि जब हम आजाद हुए तो देखना चाहिए था कि राजस्थान कितनी इकाइयों का था और फिर उन सारी इकाइयों का एकीकरण करना था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूं कि उस एकीकरण के सवाल को हमने बखूबी हल किया और कुछ दिन लगा कर के उस सवाल को पूरी तरह से हल कर लेने वाले हैं। अब थोड़ी बहुत जो कोर कसर बाकी है उसको भी हल करेंगे और एकीकरण की जो थोड़ी सी दरार पड़ी हुई है वह भी ठीक हो जाने वाली है। आजादी के साथ ही देश की तरह राजस्थान को भी बहुत बड़े सवालों का सामना करना पड़ा। उनमें एक बड़ा सवाल था शरणार्थियों का सवाल। यह सवाल राजस्थान के सामने इसलिए सबसे ज्यादा आया कि यह पंजाब और सिंध के नज़दीक था। इस सवाल को हल करने में हम आज भी पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। हम विकास की बातें करते हैं लेकिन जिस जनता का विकास करना है, जिस जनता के बीच में विकास करना है उसमें आज भी भेदभाव है। राजस्थान में रहने वाले १॥ करोड़ लोगों में आपस में मतभेद है। हिन्दी और सिन्धी का भेद है और भी दूसरे दूसरे भेद हैं। यदि हमें विकास करना है तो सबसे पहले सारी जनता को यह महसूस करना पड़ेगा कि हम राजस्थानी हैं और राजस्थानी सब मिल कर के अपना

(डॉ० चन्द्रकला)

विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने सबसे पहले सत्ता का भूत बताया और वह सत्ता का भूत जब चला तो हमारी जो विकास की बातें चलीं वह ऊपर से चलीं। हमने पश्चिमी ढांचे को स्वीकार किया जो कि हमें दिल्ली से मिला। वह दिल्ली से प्रान्तों में बिखरा और प्रान्तों से वह जयपुर में भी आया और यहां से अलग-अलग जिलों में गया और फिर जिलों से गांवों गांवों में गया। गांव वाले महसूस करें या नहीं लेकिन हम तो महसूस करते हैं कि आज हमें विकास की जरूरत है। आज रोगी को यह जरूरत नहीं है कि वह डाक्टर के पास जाये और कहे कि मुझे दवा चाहिए। आज रोगी को इसकी खोज नहीं है कि वह जाये और डाक्टर को दवाई के लिए खोजे। लेकिन डाक्टर को यह जरूरत दिखती है कि तुम रोगी हो और तुमको दवा लेनी है और तुमको दवा लेनी चाहिए। वह कहता है अगर तुमको स्वस्थ होना है, मोटा होना है तो दवा लो। मेरा कहना यह है कि हमको जिनका कि विकास होना है, उनको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जिनको विकास करना है उनको अवश्य पता है: क्योंकि उनकी सत्ता है, क्योंकि उनको काम करना है, इसलिए वह करते हैं। तो सबसे पहले जो इस विकास के मूल में कमियां हैं, खराबियां हैं, वह यह हैं कि हमारी जो विकास की भावना है या विकास के प्रोग्राम हैं वह ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं और मुझे खुशी है कि इसको तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि गांव वालों में ऐसी चेतना लानी पड़ेगी कि वह इसके प्रति जागरुक हों और वह यह समझें कि विकास की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि यह उन्होंने स्वीकार किया कि गांव वालों का विकास गांव वालों के सहयोग से ही होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि गांव का विकास गांव वालों से ही हो और गांव वाले ही उसको करें लेकिन यह हो कैसे? इसके लिए सीधी सी बात है कि ग्राम पंचायतें होंगी और वह इस काम को करेंगी। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा भूत सवार है चुनावों का ऊपर से चुनाव शुरू होते हैं और गांव गांव तक फैलते हैं और चुनाव क्या यह तो एक तरह से दंगल होता है। मानलो कि किसी छोटे से सरपंच का चुनाव होता है और उसके लिए कुर्सी ऊपर से नीचे तक हिलती है और उसके अन्दर सब हिस्सा लेते हैं। बहुत से लोगों को पंचायतों के चुनावों में कमियां मालूम हुईं और कहा गया कि चुनाव हाथ उठाकर नहीं बल्कि बैलट से होने चाहिए। लेकिन यह नहीं सोचा कि यह चुनाव हैं ही ऐसे जो सारी जगह भेद और वर्ग को पैदा करने वाले हैं। इसलिए चुनाव होने ही नहीं चाहिए। नहीं तो मुझे डर लगता है कि अभी तो चुनाव जिलों से चलकर गांव तक चले हैं और अब यह गांवों से कहीं परिवारों में न फैल जाये कि बच्चे भी बहुमत से तय करें कि हमारे माता पिता कौन हैं? इसलिए सबसे अच्छा तो यह है कि गांवों का चुनाव कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके लिए मैं कहूंगी कि उस गांव के जितने भी परिवार हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सभी परिवार के एक आदमी सदस्य हो जायें। मैं कहती हू कि चुनाव की जरूरत ही नहीं मालूम पड़ेगी। या फिर छोटा परिवार हो तो एक सदस्य और बड़ा परिवार हो तो दो सदस्य उसमें आ जायें और हर एक चीज़ सर्व सम्मति से हो। अगर यह कोशिश होगी तो सब एक ही मत की बात होगी और वहां बहुत समझौते हो जाते

(डॉ० चन्द्रकला)

हैं। इसका अनुभव तो कभी कभी हम छोटे चुनावों में कर लेते हैं। एक मत से चुनाव होंगे तो सब एक होने की कोशिश करेंगे। इसलिए ग्रामों में पंचायतों के निर्माण में सर्व सम्मत्ति की बात करेंगे, तो गांवों की पंचायतें बहुत सुन्दरता से बन जायेंगी और न्याय के लिए उन्हीं में से जो बुजुर्ग हों वही लोग सर्व सम्मत्ति से अपनी एक कमेटी बना लें और उनका जो मुखिया हो वह उसके काम को करे और ऐसे दस बीस गांवों का एक मण्डल हो या जिसको जिला परिषद कहते हैं, एक ही बात है। तो यहां तक तो चुनाव समाप्त हो जायें और फिर वही लोग उसके जिम्मेदार हों और जो गांव की छोटी मोटी आवश्यकता हैं उसकी जिम्मेदारी वहीं पूरी करलें। अब इसके अलावा कोई बड़ा काम करना हो, कोई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना पड़े उसके लिए फिर दूसरे ऊंचे ऊंचे संगठनों की आवश्यकता है। लेकिन यह सारी योजनायें तो केवल बहस से ही हल होने वाली नहीं हैं। इसके लिए तो विशेषज्ञों की समिति हो जो इस प्रान्त की सारी स्थिति का जानती हो और यहां की सारी स्थिति को देखकर एक योजना बनाये, योजना बन सकती है, बहुत अच्छी योजना बन सकती है लेकिन इसकी सफलता अच्छी योजना पर ही निर्भर नहीं है, इसके लिए हमारे सामने सबसे पहला सवाल आयेगा और जो सबसे पहले कठिनाई आयेगी वह यह आयेगी कि योजना को कार्य रूप में लाने वाला कौन होगा? जो हमारी सबसे बड़ी असफलता रही है वह इसलिए रही है और मेहता जी की जो रिपोर्ट है उसमें भी स्त्री और बच्चों के काम के बारे में लिखा हुआ है उसको मैंने देखा और उसमें जो ग्राम सेवकों के संबंध में है उसको भी देखा। उसमें मुझे यह कमी महसूस हुई कि जो ग्राम सेवक हैं या ग्राम सेविका हैं या दूसरे काम करने वाले हैं वह वास्तव में उस काम के करने लायक हैं नहीं। इसके लिए मैं कहूंगी कि उसमें उनका भी क्या दोष है। मैंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक केन्द्र को देखा। यहां की जो मुख्य सेविका थीं वह एम० ए० संस्कृत प्रथम श्रेणी में हैं और उन्हें अच्छी तनख्वाह दी गई और हिज़ हाइनेस के फ्लेट में उनको रहने के लिए स्थान दिया गया। वह जयपुर क्षेत्र के आसपास दस बीस मील में कार्य कर रही हैं। उनका इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि इस काम में उनकी संस्कृत की शिक्षा क्या काम आने वाली है। परन्तु उन्होंने सोचा कि जब तक प्रोफेसरी नहीं मिल जाती है तब यह काम क्या बुरा है? इसको ले लो। अगर हम इसे सही रूप में लें तो वास्तव में हम अपकी विकास योजना की सफलता में आगे बढ़ जाते है।

लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इसमें न केवल हमारी सेविकाओं में, न केवल हमारे सेवकों में और न केवल उनके बाद के ऑफिसरों में, बल्कि यह जो कमी है सामूहिकता की, सहकारिता की, वह ऊपर से नीचे तक मालूम पड़ती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता के साथ अनुभव करती हूं कि उस दिन जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था, उस पर हुई बहस के उत्तर में जब हमारे नेता महोदय यह दावा करने लगे कि १२ साल के बाद मैंने अपनी झोपड़ी नहीं बनाई, लेकिन ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please. आप ऐसे रेफरेन्स न दें यहां जो प्रज़ेन्ट

(श्री उपाध्यक्ष)

में चल रहा है वह प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में है.......

१.१० म० प०

डॉ चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय....,

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! पहले भी जो रेफरेन्स आपने दिये हैं, आपने बातें सदन के बाहर की बताई हैं। वे वाद-विवाद के नियमों के विरुद्ध हैं। यह रेफरेन्स वाद-विवाद के नियम के विरुद्ध है, इसलिए मैं इनको एलाउ नहीं करता हूं। आप आरंभ रखिये।

डॉ चन्द्रकला : हमारे कार्यकर्ता लोग, काम करने वाले लोग हैं इनकी ट्रेनिंग का सवाल बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग कैसी दी जाय, किस तरह उन्हें काम के लायक बनाया जाय, यह सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसके विषय में इस रिपोर्ट में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इसलिए अच्छा हो कि हम कोई योजना बनाने लगें तो योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले लोग कौन होंगे, उसका ध्यान रखा जाय और उनको किस तरह प्रशिक्षित किया जाय, यह बहुत आवश्यक होगा। अभी जब माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने इस वाद-विवाद के प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किस तरह से करना है, हमको सहकारिता की भावना का विकास किस तरह से करना है और ग्राम पंचायतों के द्वारा किस तरह से इस काम को क्रियान्वित कराना है ? तो उसके साथ ही यह सोचना पड़ेगा कि यह सब बातें करने के लिए हमको बहुत अच्छे योग्य व्यक्तियों की जरूरत होगी। यदि वे नहीं होंगे तो योजनायें कितनी भी सुन्दर हों वे सफलता से क्रियान्वित नहीं हो सकतीं। इसलिए इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, राजस्थान की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रान्त की सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अपनी योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करनी पड़ेंगी।

हम लोग जो भी अपना कार्यक्रम बनाते हैं उसकी जांच के लिए बहुत सही माप दण्ड रखना पड़ेगा। हम किसी तरह अपने आपको गलतफहमी में रख कर नहीं चल सकते हैं। आज हमने जो सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रयोग किया, विस्तार सेवा खण्ड जो चलाये, उनसे कितना लाभ हुआ इसको नापने के लिए सही मापदण्ड लेकर चलना पड़ेगा और वह मापदण्ड अगर सही नहीं होता तो हम धोखे में रहेंगे। इतना रुपया खर्च कर दिया यह सही मापदण्ड नहीं हो सकता। हमें देखना पड़ेगा कि वस्तुतः जिस चीज को हम चाहते हैं, जनता में जिन भावनाओं का विकास, जनता में जिस तरह का उत्तरदायित्व का विकास करना चाहते हैं, उसको करने में सफल हुए या नहीं।

अन्न समस्या को ही लीजिये हम कहते हैं कि हमने अपने अन्न के उत्पादन को बढ़ाया है, मैं इसको स्वीकार करती हूं। इसमें हमारी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। इसको भी मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन आज सारे अन्न के उत्पादन का सारा श्रेय केवल विकास योजनाओं को हो, यदि ऐसा हम मानते हैं तो बहुत बड़े भ्रम को लेकर चलते हैं। यह हमारे अन्न का उत्पादन इसलिये नहीं बढ़ा है कि दूसरे प्रगतिशील उपाय काम में लाये गये, बल्कि इसका एकमात्र कारण है कि हमने बड़ी होशियारी के साथ अनाज के भावों को गिरने से रोका है, इससे किसान की खुशहाली हुई है, उसका उत्साह बढ़ा है।

[डॉ० चन्द्रकला]

उनके पास पैसा आया है और उन्होंने उत्पादन बढाया है, यदि ऐसा भी नहीं है तो केवल अनाज के भाव गिरा दिये जायं और नतीजा देख लिया जाय• उससे आपका मध्यवर्ग खुश हो जाय और उसकी रोज़ रोज़ की तनख्वाह बढ़ाने की मांग जो आती है वह नहीं आयगी। पर आप जो उत्पादन बढ़ाने का दावा करते हैं वह झूठा हो जायगा, आज अन्न के भाव गिर जाते हैं तो किसान आपको सहयोग नहीं देगा। वह आपको सहयोग तब तक दे रहा है जब तक की वह लहलहा रहा है। उसका खुद का स्टेन्डर्ड बढ नहीं रहा लेकिन पैसा हाथ में आता जा रहा है, उसको पैसा ही पैसा दिखता चला जा रहा है, किसान खुशहाल है। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी २ योजनाएं बनाईं इसका दावा नहीं कर सकता। लेकिन सामुदायिक विकास योजना या और जो योजानाएं बनाई गईं, वे कहां तक सफलता की ओर हमें ले जा सकी हैं उसका पहले उचित मापदण्ड तै कर लेना पड़ेगा। उससे नापते हुए आगे बढ़ते हुए चलेगें तो टीक रहेगा।

तो फिर, माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस मेहता कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत करती हूं। इन सुझावों के साथ साथ राजस्थान में मेहता कमेटी की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी तरह से योजना बनानी चाहिए। उन योजनाओं के अनुसार कार्यकर्त्ता तैयार करने चाहिएं और फिर योजना को क्रियान्वित करके विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

[तीन–चार माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर]

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी [डीग]: उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के सम्बन्ध में कल से विचार विनिमय चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं, वे मुझे प्रासंगिक से प्रतीत हुए अधिकांश में, सब तो नहीं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, अपनी सामुदायिक विकास योजनाओं में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में अभी तक का जो कार्य रहा है, इसके उपरान्त भी जो बलवन्त राय जी मेहता की रिपोर्ट अपने सामने आई है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? इसको सब जानते हैं कि अब से लगभग १० वर्ष पूर्व तक हमारा देश एक विदेशी सत्ता के आधीन रहा है। एक ऐसी विदेशी सत्ता थी, जिसमें सारा शासन और सत्ता केन्द्रीभूत थी, जो जनता से बहुत दूर थी और विशेषतः ग्रामीण जनता से, उस विदेशी शासनकाल में हमारे देश का शोषण हुआ और वह शोषण गरीबों का अधिक हुआ। एक बीच का तबका साम्राज्यवाद के साथ पूंजीवाद के रूप में मिलकर अपनी उन्नति कर सका, लेकिन जो गरीब तबका था, गावों के रहने वाले थे, किसान थे, छोटे मजदूर थे, छोटे व्यापारी थे, उनकी दशा दिन व दिन खराब होती चली गई और यही कारण था, कि जिस समय हम स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ रहे थे, हमारे सामने एक लक्ष्य था कि हम देश की आजादी चाहते हैं और देश की आजादी का मतलब था कि हम अपने देश के निम्नतर स्तर के लोगों को सुखी और सम्पन्न देखना चाहते हैं। इस आशय को लेकर हम ने स्वतन्त्रता का युद्ध किया। स्वन्त्रता प्राप्ति से भी लगभग १० वर्ष पहले हमारे देश के लिए यह जिसको आज

[श्री जुगलकिशोर]

हम पंचवर्षीय योजना के नाम से ग्रहण किये हुए हैं, उसका आरम्भ हुआ था और उसको आरम्भ करने में हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का हाथ था।

इस समय हमारे सामने जो विचार प्रकट किये गये हैं उनमें कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक है, विशेषतः इस रूप में कि कुछ चीजें हमने विदेशों से इम्पोर्ट की हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बतलाना चाहता हूं कि स्वभाव से मैं पुरातन प्रेमी हूं। नई चीजों से, विदेशी चीजों से और विदेशों के जो तौर तरीके हैं उनसे मुझे विशेष प्रेम नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ भी मैं नहीं लगा सकता कि विदेशों से कोई अच्छी चीज़ यहां आती है, जिससे कि देश के लोगों का लाभ होता है, उसको केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया जाय कि वे विदेशों से आई हैं। उदाहरण के तौर पर पंचवर्षीय योजना के लिए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हमारे देश की कोई देशी चीज नहीं है। यह भी विदेशों से आई है और खास तौर से यह तो रूस से आई है जिसको हम कांग्रेसी और दूसरे लोग सिवाय कम्युनिस्ट भाइयों के बहुत अधिक पसन्द नहीं करते हैं। वहां से पंचवर्षीय योजना आई है लेकिन हमारे देश ने उसको स्वीकार किया हुआ है और उसी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड चल रहे हैं; ये उसी के अंग हैं। यह नमूना चाहे बाहर से आया हुआ है, बाहर उनका प्रयोग हुआ है, लेकिन आज हमारे देश में यह आई है और इस इरादे से इसको यहां पर लाया गया कि इससे हम अपने देश की जनता को सुखी और समृद्ध बना सकें।

अब देखना केवल यह है कि क्या पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास खंड और राष्ट्रीय सेवा खंड, इनसे हमारे देश के लोगों का अपेक्षित या जिसकी हम आशा करते थे वह लाभ हुआ या नहीं। मेरी यह मान्यता है कि आरम्भ में यह प्रयोग के तौर पर ही समझ लिया जाय कि यहां आरम्भ किया, पंचवर्षीय योजना हमने लागू की, उसका एक मसौदा बनाया। देश में जो अच्छे समझदार, उन मामलों को समझने वाले लोग थे, उनके विचार, उन लोगों के सुझाव आये और इस प्रकार अच्छे समझदार लोगों ने मिल कर योजना स्वीकार की। इसके अंतर्गत ही सामुदायिक विकास योजनाओं का उल्लेख हुआ और उसी आधार पर ही उनको हमारे देश में प्रचलित किया गया और उसके लिये कुछ खास खास भाग पहले चुने और यह प्रयोग चलता रहा, लगभग पांच वर्ष तक चलता रहा। इस प्रयोग में जैसा कि बहुधा दूसरों में होता है, कुछ कमियां रही कुछ गलतियां रहीं, इनका ठीक तरह से उपयोग नहीं किया गया और कुछ दूसरी चीजें भी नजर आईं। सारी चीजों को देखने के अनन्तर हमारी सरकार ने अनुभव किया कि हमारे यहां जो अब तक की प्रगति रही है, जो कुछ सामुदायिक विकास योजना का कार्य रहा है, उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इन बातों को देखने के लिये एक समिति का गठन किया गया और वही समिति यह समिति है जिसके श्री बलवन्तराय मेहता अध्यक्ष रहे हैं। यह इस रूप में हमारे सामने आती है।

हमारे देखने का कार्य यह है कि जो समुदायिक विकास योजना, विस्तार खंड का कार्य हमारे देश में चलता रहा है, उसमें जो जो त्रुटियां रही हैं, जो जो खराबियां रही हैं, जिन बातों का ठीक तरह से उपयोग नहीं हुआ है, ये सब बातें श्री बलवन्त राय ने

(श्री जुगलकिशोर)

अपनी रिपोर्ट में बताई हैं । इन दोनों को देखकर हम किस चीज को स्वीकार करें, यह हमारा काम है जो हमारे विचाराधीन है ।

हम एक चीज़ को मान कर चलते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया, हमारे यहां विदेशी शासन था, केन्द्रीभूत शासन था, ऊपर का शासन था जिसकी डोर हमारे यहां के रहने वाले अधिकारी नहीं खींचते थे बल्कि इंगलैंड से चलकर आती थी और ऊपर से नीचे तक चलती थी, जिसके पीछे जनता की कोई सलाह नहीं थी । इसलिये सबसे पहले यह आवश्यकता अनुभव की गई कि हमारे यहां अब जो शासन चले और उसके द्वारा जो कार्य किया जाय उसमें जनता का सहयोग लिया जाय । जहां तक प्रशासन का संबंध है, जनता का सहयोग इस रूप में लिया गया जिस रूप में हम यहां बैठे हैं । हर राज्य में विधान सभा इस रूप में बनी । जनता क्या चाहती है और जनता की क्या राय है उसे हम लोगों के द्वारा, जो कि जनता द्वारा चुन कर यहां आते हैं, प्रकट किया जाय और उसी प्रकार के कानून बन सकें, जिस प्रकार के कानून जनता चाहती है । इसी प्रकार केन्द्रीय संसद में भी जनता के प्रतिनिधि जाकर कानून बनाते हैं और जनता की जिस प्रकार की राय होती है उसी प्रकार के कानून बनाये जाते हैं । इसके साथ ही साथ इससे भी अधिक आवश्यक बात जो थी वह यह थी कि इस देश को सुखी और समृद्ध बनाया जाय । इसके लिए अपेक्षित था कि यहाँ पर जो जो रोजगार थे, यहां पर जो जो धंधे थे उनके न रहने से जिस तरह से इस देश का ह्रास हुआ और जिस तरह से अवनति हुई है उसको किस तरह से ठीक करके उन्नत किया जाय, किस तरह से विकास किया जाय, इसीलिए इसका नाम 'विकास' रखा गया । हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में विकास हो, खेती में विकास हो, उद्योग में विकास हो, स्वास्थ्य में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो और हर प्रकार से हर क्षेत्र में विकास हो, इसकी आवश्यकता महसूस की गई । इस विकास के लिए ही यह हमारी सामुदायिक योजना है और खास तौर से इसमें ध्यान यह रखा गया कि शहरों में तो कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं जिनसे फायदा उठाया जा सकता है । उसी तरह से कस्बों में और जिला और तहसील हैड क्वार्टर्स में भी कई प्रकार की चीजें हैं जिनसे जनता फायदा उठा सकती है । लेकिन जो ग्रामीण समुदाय २००, ३०० वर्षों से उपेक्षित रहा था, न तो वह खेती ठीक ढंग से कर सकता था, न उसको न्याय की सुविधा थी, न वह रोग से मुक्त हो पाता था, न उसको शिक्षा की सुविधा थी उसकी उन्नति कैसे हो? इसलिए जो राष्ट्रीय सरकार बनी उसका ध्यान सबसे पहले इस ओर गया कि हम गावों की उन्नति करें और उसके लिये ही विशेष रूप से सामुदायिक विकास योजनायें हुई । जैसा कि मैंने कहा, यह शब्द बाहर का है । कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट, बाहर का शब्द है । लेकिन इस रिपोर्ट की भूमिका के आरम्भ में ही बता दिया गया है कि इस "कम्युनिटी" शब्द का अर्थ दूसरा नहीं लिया जाय, जो आम तौर से लिया जाता है । वह नहीं लिया जाय । आज कल इसका नाम जाति व वर्ग विशेष के लिए लेते हैं लेकिन इस मेहता रिपोर्ट की भूमिका में बताया है कि कम्युनिटी का मतलब वह नहीं है जो आजकल लिया जाता है । चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों या किसी भी परम्परा के हों, लेकिन कॉम्युनिटी का मतलब होगा, विलेज कॉम्युनिटी ।

(श्री जुगलकिशोर)

विलेज समुदाय में जो लोग वहां रहते हैं वे चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, उन सब को मिला कर जो चीज बनती है, उसे समुदाय कहते हैं । इसलिए गांव अपने ही पैरों पर खड़ा हो, अपने ही साधनों का प्रयोग करे और अपनी स्थानीय चीजों का अधिक से अधिक विकास करे और उसके जरिये सारे देश का विकास हो, यह लक्ष्य रहा है । इसके लिये सबसे पहले लक्ष्य यह रखा गया कि वे संस्थाएं जो इसको चलावें उनमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो । सोचा यह गया है कि इन विकास योजनाओं में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो । केवल सलाह के तौर पर, टेकिनकल सलाह देने के लिये, साधन जुटाने के लिये और कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकारी अधिकारी हों और बाकी के सारे के सारे काम स्थानीय जनता के आधीन हों और उनके द्वारा ही किये जावें । इसलिये यह सोचा गया कि वे संस्थायें कैसी हों ?

इसके लिये यह निश्चय किया गया कि इसके प्रतिनिधि निर्वाचित हों और डेमोक्रेटिक ढंग से वे चलें । मैं समझता हूं इसी तरह का ढांचा आरम्भ होगा ।

आज यहां पर पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में बहुत सी बातें कही गईं । मैं समझता हूँ यह रिपोर्ट पंचायतों को किस रूप में देखना चाहती है इस ओर ध्यान कम गया है । इसमें जिन पंचायतों का जिक्र है वह उन पंचायतों का जिक्र नहीं है जो न्याय व्यवस्था करती हैं या, जो प्रशासनिक कार्य करती हैं, बल्कि उसका ध्यान उन पंचायतों की ओर है जो स्थानीय विकास को संपन्न करें । वे उन पंचायतों को चाहते हैं । इसके लिये मेहता समिति ने इस बात की ज्यादा चिन्ता नहीं की कि उनके पास न्याय का काम रखा जाय या नहीं, उनके पास प्रशासन का काम रखा जाय या नहीं बल्कि समिति ने इस बात का ध्यान अवश्य रखा है कि उसमें स्थानीय लोगों का समूह हो और उनका ध्यान हो स्थानीय कार्यों का विकास करने में । इसलिये उन्होंने देखा है कि जो पंचायतें हों वे विकास का कार्य किस प्रकार करें । जो आलोचना प्रत्यालोचना की गई वह मैं समझता हूं जाति के आधार के बारे में की गई । लेकिन इसके लिये सबसे पहली चीज समिति ने यह बताई है कि पंचायत का चुनाव जहां तक हो, सर्व समिति से हो, दलीय आधार पर न लड़ा जाय, आजकल जो संघर्ष गांव गांव में चल रहा है वह न हो । हमारी माननीया एक सदस्या ने भय व्यक्त किया है कि यदि चुनाव प्रणाली गांव से घरों में चली गई तो बच्चे भी माता पिता का निर्वाचन करेंगे । मैं समझता हूं उनका भय ठीक है । चुनाव-प्रणाली पाश्चात्य देशों की देन है, लेकिन जब तक उसका कोई विकल्प हमारे सामने न हो, तब तक वह बुरी होते हुए भी एक नेसेसरी इविल है, और उसे एक अनिवार्य बुराई के रूप में लेना ही पड़ेगा । लेकिन चुनाव प्रणाली को हम सुधार सकते हैं, चुनाव का सुधार किसी न किसी तरह करना है, नहीं तो जनता के द्वारा जनता के लिए, इस प्रकार का शासन हो नहीं सकता, यह केवल चुनाव के द्वारा ही हो सकता है । चुनाव का सुधार कैसे हो, वह दूसरी बात है । मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, पंचायतों के चुनाव के बारे में जो विचार

Page No.54

(श्री जुगलकिशोर)

व्यक्त किये गये हैं, उसमें एक भावना रखी है कि आजकल पंचायतों के लिये चुनाव प्रणाली रक्खी है वह इसलिए बुरी है कि इन पंचायतों के लिए खड़े होने के लिए लोग संघर्ष करते हैं, इसका एक कारण है कि पंचायतों में भी सत्ता समा गई है, अधिकार की भावना पंचायतों में घुस गई है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि विकास समिति जो बनेगी, उनका काम सर्वथा सेवा-भाव का होगा, वे केवल लोगों की सेवा लिए होंगी, उनमें यदि अधिकार और पद लिप्सा नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो बुराई देख रहे हैं, पंचायतों के लिए जिस संघर्ष की भावना को देख रहे हैं, घर घर के अन्दर झगड़े करने की भावना को देख रहे हैं, यह केवल उस वक्त तक है, जब तक कि उनमें जो सत्ता की भावना घुसी हुई है, वह सत्ता की भावना उनसे दूर नहीं हो जाती है और प्रशासन और न्याय को अलग-अलग रूप में कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि विकास के लिए ही पंचायतों का निर्माण होता है, उसमें इस दलबन्दी की आवश्यकता नहीं रहती है जिससे कि उनके अन्दर लोग जाकर संघर्ष करें। मैं समझता हूं कि जिन पंचायतों का चुनाव गांव की बहबूदी के लिए होता है, उसके अन्दर दलीय भावना के आधार पर भेद भाव पैदा न करें, अगर पंचायतों में एक दल के कुछ व्यक्ति और दूसरे दल के व्यक्ति पहुंचते हैं तो वे आपस में लड़ते हैं। मुझे स्मरण है कि जब पिछले चुनाव हुए तो कई दलों ने, कांग्रेस और पी० एस० पी० ने यह फैसला किया था और उस फैसले को कांग्रेस के पास पहुंचाया गया था कि जहां तक हो सके, पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े जायं, पंचायतों के क्षेत्र को, जहां तक हो सके, दल के दलदल से मुक्त रखा जाय, क्योंकि पंचायतें कोई बड़े बड़े कानून नहीं बनाती हैं, पचायतें कोई नीति निर्धारित नहीं करती हैं, पंचायतों को कोई सेना नहीं रखनी पड़ती, पंचायतों को विदेशों से युद्ध नहीं करना पड़ता, पंचायतों को केवल गांवों का विकास करना होता है, उसमें गांवों का सामूहिक स्वार्थ होता है और गांवों के विकास में अलग अलग पार्टीज़ की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि राज्य सरकार इस चीज पर विचार करे, वैसे यह दल वालों पर निर्भर करता है और इसे कोई राज्य सरकार नहीं रोक सकती कि कोई दलबन्दी के आधार पर पंचायतों के चुनाव न लड़ें, फिर भी कोई व्यवस्था हो सके कि दल के आधार पर चुनाव न हों, तो इसमें सुधार हो सकता है।

इसी प्रकार मत देने का सवाल है। यह जो खुला हुआ मतदान है, हाथ उठा कर मतदान देने की प्रणाली है, मेरा अनुभव है कि इससे झगड़े फैले हैं, इससे भेदभाव की भावना फैली है, इससे मन-मुटाव फैला है, जहां तक हो, यह हाथ उठाकर मत देने की प्रणाली को दूर किया जाय। यदि सर्व सम्मत चुनाव हो जाता है तो उससे अधिक श्रेष्ट चीज नहीं है। अगर इस प्रकार की चीज नहीं होती है तो जहां तक हो, पंचायतों को निर्दलीय रखा जाय।

अब जो पंचायतों का ढांचा है, इस ढाचे के अलावा विकास कार्य के लिए निर्वाचित कोई दूसरी संस्था नहीं है, केवल पंचायत ही निर्वाचित संस्था है जो विकास कार्य करती है। बाकी रही तहसील पंचायत, मैं समझता हूं कि तहसील पंचायत के अधिकार का जो क्षेत्र है, वह केवल अपील सुनने का है। जो पंचायतें या ग्राम पंचायतें न्याय करती हैं, उनकी अपील तह-

(श्री जुगलकिशोर)

सील पंचायत में की जा सकती है, ये तहसील पंचायतें कोई तहसील के विकास का कार्य नहीं करती हैं। उसके लिए जो सरकार ने व्यवस्था की है कि तहसील की एक विकास समिति या एडवाइज़री समिति बनाई है, उसमें सदस्य मनोनीत होते हैं, चाहे वे सरपंच के रूप में हों, चाहे एम. एल. एज़. के रूप में हों, चाहे एम. पी. के रूप में हों, जब वे समिति में बैठते हैं तो वे मनोनीत किये हुए जैसे होते हैं। इसलिए मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि वह भी जहां तक सम्भव हो, वहां तक चुने हुए प्रतिनिधियों की समिति हो और उसका नाम पंचायत समिति रखा है, मैं समझता हूं नाम कोई भी हो, जहां तक इस रिपोर्ट के अन्दर जो जो चीजें, जो जो सुझाव दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मेरी मान्यता है कि कोई उनमें हार्ड एन्ड फास्ट नियम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसके लिए हर एक मजबूर हो कि उसे उसी तरह मानें। मैं समझता हूं कि मेहता समिति ने एक पेटर्न, ढांचा सुझाया है, अगर उस सुझाव को हम अपने राज्य के अनुकूल पायें, देश के अनुकूल पायें, आवश्यकताओं के अनुकूल पायें, चाहे उसका कुछ भी नाम रख लें, उनका किसी प्रकार से रूप निश्चित कर लें, लेकिन वे चाहते यह हैं कि वह समिति इलेक्टिव हो, वह समिति चुनी हुई हो और उसमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो। उसका नाम जिला समिति, या जिला परिषद् जो भी रखा है, उसमें यह रखा है। आज जिला बोर्ड की आलोचना होती है, मैं समझता हूं वर्तमान जिला बोर्ड इसी लायक है कि उसकी आलोचना की जाय, जिला बोर्ड पुराने ढांचे से चले आ रहे हैं। मुझे मालूम है यू. पी., पंजाब आदि में जिला बोर्ड हैं, उनके बारे में आम तौर पर यह शिकायत रही है कि जिला बोर्ड की जो सड़कें हैं, वे सड़कें कभी भी ठीक नहीं रहतीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों के लिए आम शिकायत रहती है कि २० साल तक, ३० साल तक उन सड़कों की मरम्मत नहीं होती है। जिला बोर्ड के जो औषधालय है, जिला बोर्ड के जो स्कूल चलते हैं, उन औषधालय और स्कूल के चलने में दिक्कत होती है, उनमें पार्टी फ्रेक्शन होते हैं और उनकी हालत खराब रहती है। ये जिला बोर्ड आज जनता के लिए सर्वथा निरुपयोगी साबित हो चुके हैं। ये जिला बोर्ड विकास कार्यों में जितनी सहायता करते हैं, वे उससे ज्यादा अड़चनें डालते हैं, इन बोर्डों का कोई उपयोग नहीं रहा है। इसलिए कोई संस्था इस प्रकार की हो, जो उसका स्थान ले सके, इसकी आवश्यकता अवश्य रहती है, इसको मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिला-परिषद् के रूप में बताया है। अब इन संस्थाओं के लिए, जितनी भी संस्थायें हों, यह सुझाव है की वे जनतंत्रीय आधार पर होनी चाहिए। उसमें यह अपेक्षा की गई है कि विकास के लिए जनता अपनी ओर से सोचे कि कहा पर वे क्या चाहते हैं, उनके यहां अगर पानी की कमी है तो क्या वे पानी का प्रबन्ध करना चाहते हैं, उनके यहां अगर सड़कों की जरूरत हो, तो वे सड़कें बनाना चाहते हैं, यह सोचने का सवाल उन पर छोड़ा जाय। यह निश्चित बात है कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना बनी, तो वह ऊपर से बनी, किन्तु वह स्वाभाविक था। उस समय तक हम लोग अभ्यस्त नहीं हुए थे, ग्रामीण जनता यह नहीं समझ सकी थीं कि सुझाव कैसे दें। उस समय हम इस प्रकार से अभ्यस्त थे जो कुछ काम राजा करें, उस वक्त जो हुकूमत थी, अंग्रेजी सरकार,

(श्री जुगलकिशोर)

वह जो कुछ करती है, उसको गांव वाले क्या, शहर वाले भी नत मस्तक होकर मान लेते थे। जनता को कभी भी यह मौका नहीं हुआ कि वह अपने विकास के सम्बन्ध में, अपनी उन्नति के सम्बन्ध में, अपने लिए किस प्रकार का शासन चाहते हैं, इस सम्बन्ध में अपनी राय दे सके, इस प्रकार का कोई मौका नहीं होता था, इसलिये पहली जो योजना बनी, वह अवश्य ही ऊपर से तैयार की गई। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है यह जो दूसरी पंच-वर्षीय योजना बनी है, इसमें अवश्य ही जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है, उसने राज्य सरकार से सुझाव मांगे और राज्य सरकार ने कलेक्टर की मार्फत ही सही यह कोशिश की कि जनता की ओर से सुझाव आयें, कुछ संस्थाओं ने, कुछ दलों ने भी अपनी ओर से, ग्रामीण जनता के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए वे क्या चाहते हैं, बताने की कोशिश की। यह हो सकता है कि सभी लोगों ने भाग न लिया हो, सभी लोगों को पता न चला हो, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था की गई और मेहता समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में सबसे अधिक इस बात पर जोर दिया है कि उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं लादी जाय, बल्कि स्थानीय जनता खुद इनीशियेटिव ले और उन्हें खुद को सोचने का मौका मिले कि वे क्या चाहते हैं और उसके लिए अधिक से अधिक कार्य करें। यह मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है। इसलिए हमको इस पर अपनी राय देते हुए, आज हमारी व्यवस्था है, पंचयतों के चुनाव कैसे हुए, जिला बोर्ड क्या है, इन सब बातों पर ध्यान न देकर, जो सुझाव मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिये हैं, उन पर अपनी राय देनी है कि वे कहां तक हमारे प्रान्त के लिए उपयुक्त हैं, कहां तक हमारे प्रान्त के लिए हितकारी हो सकते हैं।

मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया है कि जो पंचायत क्षेत्र है, पंचायत क्षेत्र के अन्दर जो विकास खंड है, उस क्षेत्र में एक ग्राम सेवक रहता है, वह ग्राम सेवक सही मायने में ग्राम सेवक हो, ग्रामीणों का शासक न हो। ग्राम सेवक को उस क्षेत्र में रखने का जहां तक सम्बन्ध है, इसके लिए आवश्यकता है कि पंचायत क्षेत्र और ग्राम सेवक का क्षेत्र एक ही हो और वह पंचायत क्षेत्र का अधिकारी भी हो। आज ग्राम सेवक, जो बी. डी. ओ. अधिकारी होता है, उसके अधीन रहता है। मैं समझता हूँ कि अगर उसका ज्यादातर सम्बन्ध उस पंचायत से रहे तो वह अधिक उपयुक्त होगा। बी. डी. ओ. या दूसरे अधिकारी केवल कुछ सुझाव दे सकते हैं। मान लीजिये कि पंचयत क्षेत्र में इतनी सामर्थ्य न हो कि वह कृषि अधिकारी को अपने यहां रख सके, डाक्टर को भी अपने यहां रख सके, योग्य शिक्षा विशारद को रख सके, ये सारे काम तो ऊपर से ही होंगे। लेकिन जहां तक पंचायत के अन्दर उनके कार्य का सम्बन्ध है, जो जो पंचायत के विचार के कार्य हैं, उनमें पचायतों की राय लेना आवश्यक है। वे जो जो काम उस पंचायत के क्षेत्र में करें, पंचायत समिति की बैठकों के अन्दर जो बैठते हैं, उन लोगों की राय इस सम्बन्ध में लें और जो सुझाव वे दें, उन सुझावों को देखने के बाद पंचायत जिस काम को गांव के उपयुक्त समझे उसे करें, ग्राम सेवक इस प्रकार का काम करें। ग्राम सेवकों के बारे में एक शिकायत आम तौर से होती है कि वे स्थानीय नहीं हो पाते, आज की

(श्री जुगल किशोर)

व्यवस्था में ग्राम सेवकों का चुनाव होता है वह केन्द्रीय ढंग से होता है। सभी जगह यदि ग्राम सेवक वहीं के लोगों में से चुने जायं तो वह ज्यादा उपयोगी होता है। पर होता यह है कि एक क्षेत्र के व्यक्ति को ग्राम सेवक बना कर दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है, राजस्थान इतना बड़ा प्रान्त है कि इसमें भाषा रहन सहन, खान-पान के लिहाज से, रीति-रिवाज़ के लिहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत अन्तर है, एक जगह से दूसरी जगह में इनमें बहुत फर्क हो जाता है। एक तरफ का ग्राम सेवक, उदाहरण के रूप में ले लीजिए यदि भरतपुर, धौलपुर का ग्राम सेवक कुशलगढ़ में, बाड़मेर में या जालौर इलाके में रखा जाता है तो वहां वह विशेष उपयोगी नहीं होता, कहा जाता है कि वहां लोग मिलते नहीं हैं, इस लिये बाहर के लोगों को भेजा जाता है। मैं कहता हूं कि यदि ग्राम सेवकों को ठीक तरह से उपयोगी बनाना है तो ग्राम सेवक उसी क्षेत्र के होने चाहिए, वहीं के होने चाहिये। यदि भील क्षेत्रमें ग्राम सेवक रखना है तो भील युवकों में से ही थोड़े बहुत पढ़े लिखे युवक को या दूसरे लोग जो पास के ही रहने वाले हों, उनके रीति रिवाज़ को जानते हों उनको रखा जाय तो यह अधिक लाभप्रद होगा। जहां तक विकास का सम्बन्ध है, क्षेत्रीय अधिकारी रखे जायं, या आस पास के ऐसे लोग हों जो उनकी सहायता कर सकें, जितने अधिकारी हों, यह हमको मान कर चलना पड़ेगा कि जो पुराना ढांचा शासन का था, उसे छोड़ना पड़ेगा, विकास कार्यों में जो भी अधिकारी हों, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी, विकास कार्यों के लिये रखा जाये सब शासक की भावना से काम करने वाले न होकर सेवक की भावना से काम करने वाले हों। हमारे प्रधान मन्त्री कहा करते हैं कि हमारे विकास कार्यों के अधिकारी गांवों में पहुंचते हैं तो हैट, कोट, पेन्ट, टाई लगा कर पहुंचते हैं, जिससे गांव वाले समझते हैं कि यह अनजबी कौन हमारे बीच में आ गया और इस तरह काम नहीं हो पाता है, ग्रामों में जो अधिकारी जांय जो अधिकारी हों उनका उसी तरह का सादा रहन सहन होना चाहिये जिससे गांव वालों को उनमें विश्वास हो और गांव वाले अपनी शिकायतों को, अपने अभाव अभियोगों को उनको बता सकें। तो मेरे कहने का आशय यह है कि ग्राम सेवक इस प्रकार के हों तो ज्यादा काम कर सकते हैं।

हमारी यूनिट, इकाई, इन विकास कार्यों के लिये होगी वह पंचायतें होंगी; वह पंचायतें इस प्रकार की हों कि सत्ता, प्रशासन, न्याय इससे अलग हो। इसमें जुडिशियल पंचायतों का सुझाव दिया है, उसे हमें ग्रहण करना है, न्याय के लिए अलग ही संस्था रखें। यू. पी. में ऐसा होता है कि दस, दस बारह, बारह गांवों को मिला कर अलग पंचायतें बनाते हैं और न्याय का काम उसमें जाता है। उनमें दोनों बातें हो सकेंगी, जैसी कि आशंका प्रकट की गई है, न्याय के आसन पर बैठते हैं तो किसी को दंड भी देना पड़ता है। आज दुर्भाग्य से न्याय करते हैं तो इस दृष्टि से देखा जाता है, हम सभी इसको अनुभव करते हैं, यदि मेरे क्षेत्र में कोई काम किसी के खिलाफ हो जाता है और वह देखता है कि हमारे चुने हुए व्यक्ति ने भी यही राय दी है जो कि विरोधी ने दी है तो वे समझते हैं कि अब आयन्दा चुनाव में इसे वोट नहीं दिया जाय। न्याय की दृष्टि में, उसके विरुद्ध और दूसरे के हक में कोई बात हो जाती है तो वे समझते हैं कि हमारा पक्ष नहीं लिया और उनका सबसे बड़ा रोष इस रूप में प्रकट होता है कि इनको आयन्दा वोट नहीं दें। पर वास्तव में पंचा–

(श्री जुगलकिशोर)

यतों में न्याय करने में पंचों को जो भय होता है वह नहीं होना चाहिये । जाति–पांति का असर पड़ता है, भाई-चारे का असर पड़ता है, साथ ही इस बात का भी असर पड़ता है कि कहीं मैं न्याय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तो नहीं दे रहा हूँ कि जो प्रभावशाली है, मुखिया होने के रूप में, धनवान् होने के रूप में जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके खिलाफ न्याय देने में उन्हें झिझक पैदा होती कि यदि मैंने इसके विपरीत न्याय दिया तो आयन्दा चुनाव में मुझे वोट नहीं मिलेंगे । इसलिये पंच ऐसे चुने जांय कि जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो, पैनल दे कर ऊपर के अधिकारी उनके नामों का चयन करें, यही उपयुक्त हो सकता है । तो फिर हमारी पंचायतों का मुख्य काम विकास का रहता है । तो जो पचायत समिति बनती है उनके सोचने की बात है कि तहसील के बराबर रखी जायं या ब्लॉक के बराबर । मैं समझता हूँ कि ब्लॉक के बराबर हों या निर्वाचन क्षेत्र के बराबर हों । सामुदायिक विकास योजना दो दो तहसीलों को मिला कर बनी हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का रूप अलग है, तहसील या निर्वाचन क्षेत्र का बराबर एक प्रकार का रूप हो तो अधिक सुविधाजनक हो सकता है । जिला परिषद् के पास अधिक साधन होंगे, ग्राम पंचायतों के पास कम साधन होंगे, पूरा ब्लॉक जो निर्वाचन क्षेत्र के लेवल का हो, उसके पास कुछ अधिक साधन होंगे, अधिकारी ज्यादा होंगे । उसमें भी किसी ग्राम पंचायत के लिये कोई उसमें जो सरकारी अधिकारी है, उनका कम से कम भाग होना चाहिए, उसमें भी ज्यादा चुने हुए हों, सलाहकार के रूप में सरकार हो सकती है, साधन जुटाने के मामले में सरकारी अधिकारी हो सकते हैं । जिला बोर्ड के लिये जैसे सुझाव दिये हैं, जिला बोर्ड निकम्मा साबित हो चुका है, उनकी जगह जिला परिषद् हो, सरकारी अधिकारी इनके अध्यक्ष रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, मेरी दोनों बातें हैं । इस युग में हरएक अधिकारी अपनी अलग-अलग हैसियत रखता है, कलेक्टर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत होती है, रेवेन्यु कलेक्टर की भी वही होती है । चुनी हुई संस्था के अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर भी समझ लें कि जिस प्रकार की भावना के चुने हुये लोग हैं, तो कलेक्टर भी अपने आपको उनके साथ घुला मिला देता है कि मेरे अलग स्वार्थ नहीं, सरकार ने जनता की भलाई के लिये ये अधिकार दिये हैं, जनता की भलाई के लिये अपने अधिकारों का उपयोग करूंगा तो कलेक्टर को अध्यक्ष रखने में कोई एतराज नहीं होगा, पर देखा यह जाता है कि बड़े सरकारी अधिकारियों का सहयोग इसलिये लिया जाता है कि जिले में जितने स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, शिक्षा के अधिकारी हैं या कृषि के अधिकारी हैं या और किसी विभाग के अधिकारी हैं, वे बड़े अधिकारी के आधीन रह कर ठीक काम कर सकते हैं, इसलिये जिला स्तर की समिति होती है, उसमें जिले के बड़े से बड़े अधिकारी को अध्यक्ष बनाने की या उनका सहयोग लेने की आवश्यकता रहती है ।

जैसा कि मैंने पहले कहा सरकार की नीति कहने के रूप में ही नहीं बल्कि अमल के रूप में ऐसी हो जाती है कि विकास कार्यों के जितने अधिकारी हैं वे शासक की दृष्टि से काम नहीं करेंगे बल्कि एक सेवक की दृष्टि से काम करेंगे । हम जानते हैं कि हर व्यक्ति इस प्रकार की भावना से काम करता है तो बहुत अधिक उपयोगी साबित हो सकता है, तो इस तरह उनका उपयोग यहां हो सकता है ।

(श्री जुगल किशोर)

एक बहुत बड़ा प्रश्न कल से हमारे सामने आया वह विकेन्द्रीकरण के संबंध में है। इसके बारे में आलोचना और प्रत्यालोचना बहुत हुई है। मैं समझता हूं कि जहां तक विकेन्द्रीकरण का विकास कार्यों से संबन्ध है, उपयुक्त है। वह तो सत्ता ग्राम पंचायतों में होनी ही चाहिये, उसके लिए हम विकास का कार्य जयपुर और दिल्ली से संचालित नहीं कर सकते। इसलिए विकेन्द्रीकरण होना बहुत आवश्यक है। मैं यह समझता हूं कि आज हमारा जो ढांचा है वह पुराने पैटर्न का हो सकता है मगर आज हमारे यहां सारे देश की एक सरकार है और कुछ ऐसे विषय हैं जिनको दूसरी सरकार चला नहीं सकती। यदि आज रेलवे, टेलीग्राफ और सेना का विकेन्द्रीकरण हो जाए तो मैं समझता हूं कि आज के युग में उचित नहीं होगा। हमारे संविधान में केन्द्र को दृढ़ बनाने की कोशिश की गई है। हमारे देश में जैसा कि कई जगह भाषा में भेदभाव है और कहीं ऐसा न हो कि क्षेत्रीय भावना से, संकुचित क्षेत्र की भावना से कभी हिन्दी और कभी द्रविड़ भाषाओं में नाम से भेद–भाव पैदा हो जाते हैं इसलिए केन्द्र को बहुत मजबूत बनाना है और उसमें कम से कम इतनी शक्ति तो होनी चाहिये ताकि संकुचित क्षेत्र की भावना का दुरुपयोग न हो।

इसी प्रकार राज्य सरकार है, उसके पास पुलिस और रेवेन्यु डिपार्टमेंट हैं, दूसरे काम करते हैं, वे राज्य सरकार के पास रहेंगे। उसका विकेन्द्रीकरण कैसे हो सकता है। लेकिन उसके नीचे जितने जिलों के स्तर हैं, डिविज़न्स हैं, उनमें हम देख सकते हैं कि हमारी स्थानीय जनता की जरूरत है वह कहां तक पूरी हो सकती है। इसमें मैं समझता हूं कि जो हमारे जिलों के स्तर हैं, ग्राम पंचायतें, तहसील पंचायतें और उन पर जिला, इन तीनों से जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यह अमूमन देखा गया है। क्योंकि आमतौर से जिले इस प्रकार बने होते हैं कि वे अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। उसमें दो तरह की भूमि हो सकती है। कहीं पर पहाड़ हो सकते हैं लेकिन आम तौर पर जिला छोटा होता है और जिस सामान की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति उसी जिले से अमूमन कर सकते हैं और जहां तक मेहता समिति की रिपोर्ट का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उनका मुख्य उद्देश्य शासन के विकेन्द्रीकरण का सबसे अधिक जरूरी है तो वह विकास कार्यों के लिए और जो सुझाव दिया है मैं समझता हूं बहुत विस्तृत है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा है जो मैं आपको बताऊं कि यदि हम ग्रामीण जनता को, ग्राम पंचायतों को अधिकार देते हैं और ग्रामीण लोग अशिक्षित होने के कारण न्याय और विकास के कार्यों को समझ नहीं पाते और वे गलतियां करते हैं तो उनको गलतियां करने का अधिकार है और वे सही भी कर लेंगे। आफ्टर ऑल लिबर्टी टीचेज़ लिबर्टी। गलतियां करते करते वे अपनी जिम्मेदारी को समझ जायेंगे। अंग्रेजों के जमाने में भी हमें कहा जाता था कि हिन्दुस्तानी शासन कर नहीं सकते और हिटलर ने भी लड़ाई के दौरान में कहा था कि हिन्दुस्तानी शासन नहीं कर सकते, उनको अंग्रेजों ने शासन करना सिखाया है। उसी तरह ग्रामीण जनता के लिए कहूंगा कि उनमें स्वाभाविक बुद्धि है, उनमें क्षमता है किसी चीज़ को समझने की। वे समर्थ हैं अपना

(श्री जुगलकिशोर)

कार्य करने के। जो लोग दूर से बैठ कर उनके कार्य को करते हैं उनसे कई गुना अच्छा काम वे लोग कर सकते हैं। इसलिए पब्लिक को ही सारे अधिकार देना आवश्यक है जिससे कि वे स्थानीय विकास कर सकें। उनके ऊपर तहसील पंचायत भी हैं और उस पर जिला भी है जो काम कर सकता है। इसके अलावा देश, काल और पात्र का ध्यान हर चीज में रखा जाता है। हम जिस समाज, पेटर्न और ढांचे में हैं उसको हमें ठीक तरह से समझना है और उस पर अमल करना है। इस प्रकार जो मेहता रिपोर्ट है वह उन्होंने अपने अनुभव पर दी है वह उचित है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. member to my left.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष, हालांकि इसके लिए हमें बहुत कम समय मिला है। अच्छा होता ज्यादा समय मिलता ताकि मेहता की रिपोर्ट को हम देख कर आते। हालांकि हमें यह पूरा मौका तो नहीं मिला कि हम इसको अच्छी तरह से देखते क्योंकि इसके कई वोल्यूम हैं और हर वोल्यूम इतना इन्ट्रेस्टिंग है कि उसको पूरे ध्यान से देखने से पूरी बातें मालूम कर सकते हैं। खैर, जो कुछ भी यहां चर्चाएं हुई हैं उन सब के बावजूद और मेहता की रिपोर्ट को सरसरी तौर पर देखने के बाद मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि मेहता कमेटी ने एक बात खास तौर से मानी है कि पब्लिक का सम्पर्क विकास के कार्यों मे जितना होना चाहिये, नहीं हो रहा है और सबसे बड़ा कार्य यह माना है कि जनता में जो मेन्टल आउट लुक बदलना चाहिये नहीं बदला गया है और न यहां पर कोई तरीका दिया है जिससे उसको बदला जा सके, जिससे पब्लिक यह समझे कि यह विकास का कार्य हमारा है और हमसे ही होगा। इस चीज को अभी तक पब्लिक में नहीं लाया गया है और पब्लिक के भावों को नहीं बदला गया है और यही कारण है कि पब्लिक विकास के कार्यों में इतना साथ नहीं दे रही है जितना दिया जाना चाहिये था। इस बात को मेहता कमेटी ने अच्छी तरह से माना है। उन्होंने सबसे पहले माननीय प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू के शब्दों को दोहराया है : "Para 1/2...The Community projects are of vital importance 'not so much for the material achievement that they would bring about but much more so, because they seem to build up the community and the individual and to make the latter the builder of his own village centres and of India in the larger sense." इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखते हुए यह पूरे जोर से इस बात की ताईद की है कि मेन्टल आउट लुक पब्लिक का बदलने के लिए पब्लिक का सम्पर्क हो, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा तादाद में विकास के कार्यों में भाग ले, दिलचस्पी लें और जोश के साथ यह समझें कि यह विकास का कार्य हमारे लिये ही है।

इस सिलसिले में मुझे यह और अर्ज करना है कि अपने यहां विकास कार्यों को खोलने का जो सबसे बड़ा सिद्धान्त माना है वह अमेरिकन ओर्गन का है। वह अमरीका से इम्पोर्ट किया है और जिसको एक्सटेन्शन मेथड माना है और इसको इसलिए माना है कि हम पब्लिक को समझाइश करके बिना किसी दबाव के हर एक व्यक्ति के दिमाग में यह बात डाली जावे और पैदा करनी चाहिए

(श्री अनूपसिंह)

कि इस प्रकार कार्य करने से एग्रीकल्चर में यह फायदा होगा, क्रोप में यह फायदा होगा इसलिए यह करना है । हर तरह से ग्रामीण के दिमाग में यह चीज लानी चाहिये कि इस कार्य के करने से यह, ग्राम का भला होगा। यह अमेरिका ओर्गन की चीज है । मैं समझता हूं कि जहां पर लोग समझने वाले हैं, वहां पर इस मेथड ने अच्छा काम दिया है। मगर यह बी० डी० ओ० के साथ या दूसरी सभी जगह सफल नहीं होगी । क्योंकि यह मेथड वहीं पर सफल अच्छी तरह से होता है जहां पर लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझा लिया हो, इसको रिसीट किया हो। जहां पर लोग रिसेप्टिव हैं, जहां उसका रेस्पोन्स है, वहां पर एक्सटेन्शन मेथड ने काम किया है लेकिन जहां पर रिसेप्टिव पॉवर लोगों की नहीं है, जहां लोगों में रेस्पोन्स नहीं है वहां पर एक्सटेन्शन मेथड ने काम नहीं किया है। इसलिए हर जगह आज एक्सटेशन मेथड को लोग समझते नहीं हैं और लोग तो यह समझते हैं कि यह मेथड तो हमारी प्रगति में एक रोड़ा है, वहां हम यह चाहें कि एकदम उनको ठीक कर देंगे, यह ठीक नहीं लगता है । वहां जरूर यह मेथड काम में लाना चाहिए जहां कि लोग इसको समझ सकें। ऐसी हालत में फिर क्या करना चाहिए ? जहां पर एक्सटेन्शन मेथड को लोग नहीं समझ सकते हैं, लोग अपनी प्रगति का अन्दाज़ नहीं कर सकते हैं, वहां क्या करना चाहिए ? क्या दबाव से और पॉवर से काम लेना चाहिए ? मैं समझता हूं कि इस बारे में एक मत नहीं हैं, लेकिन हमने देखा है कि कई चीज़ों में यह जरूरी है कि एक्सटेन्शन मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड लगाया जाय जिसको कि लोग आसानी से समझ सकें, यदि उससे उन्होंने अपनी लाभ और हानि को समझ लिया तो लोग उसको अपना लेंगे । लेकिन आज लोग एक्सटेन्शन मेथड को जानते नहीं हैं । लोग यह नहीं जानते हैं कि इससे उनका क्या फायदा होने वाला है, उससे उनकी क्या प्रगति होने वाली है, यह लोग नहीं जानते हैं और यही कहते हैं कि यह तो ठीक नहीं है और इसी कारण से हम इसमें कामयाब भी नहीं हो सके हैं । आखिर में अगर वे समझ गये कभी कि यह हमारे फायदे की चीज़ है, इससे हमारी प्रगति हो सकती है और उसको हमें माननी चाहिए तो वे जरूर मानेंगे । लेकिन अभी यहां यह बात नहीं है ।

मेहता कमेटी ने आगे दूसरी एक महत्व पूर्ण चीज़ रखी है कि हमारे विकास में सबसे बड़ी चीज़ यह होनी चाहिए कि हमारा इकोनोमिक डेवलपमेन्ट हो, हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरे, हमारे प्रोडक्शन में सुधार हो, हमारा जो रहने का स्टेन्डर्ड है उसमें सुधार हो, हमारी जो पर्चेजिंग पॉवर है वह बढ़े, हमारे पास धन की ज्यादा मात्रा में व्यवस्था हो जाय । इसलिए हमारी आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए, हमारी प्रगति के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ सामने आयी है वह यही है । फेसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ उसके बाद में आनी चाहिये और वह बाद में अपने आप भी आ जाती है । इसलिए प्रायोरिटी के हिसाब से भी इकोनोमिक डेवलपमेन्ट को, हमारी वेलबीइंग को, प्रमुख चीज़ माना है । इकोनोमिक डेवलपमेन्ट कैसे हो सकता है ? हम नये तरीकों से खेती करना सीखें, उपज को बढ़ाने का तरीका सीखें और इनके सीखने से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, इसलिए इस कमेटी ने भी आर्थिक डेवलपमेन्ट को, आर्थिक वेल बीइंग को प्रमुख

(श्री अनूपसिंह)

माना है और हैल्थ, सेनीटेशन आदि इन सारी चीजों को सेकेन्डरी चीज माना है।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it a fact that there is no quorum ?

श्री सोहनलाल भटनागर : है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : How many are we ?

(विराम)

We are 18.

श्री सोहनलाल : २१ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please resume the debate. Should we reduce and come to 18 ? He will resume the debate, Hon. member.

श्री अनूपसिंह : विकास के कार्यों में कौन दिलचस्पी लेता है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हम भी विषय के साथ कर सकते हैं।

श्री अनूपसिंह : पंचायत की मीटिंग हो तो कोरम नहीं हुआ करता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी की हो तो वहां कोरम कम होता है। ऊपर से शुरुआत नीचे तक भी पहुंच गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलाइये।

श्री अनूपसिंह : सबसे पहली बात जो मेहता कमेटी ने रखी है वह ग्रामीणों की रखी है, पंचायतों की रखी है, नीचे के स्तर पर विकास कार्यों में सहयोग और प्रगति के लिए रखी है। उनके ध्यान में सबसे पहली बात यह आयी कि जब तक पंचायतें विकास कार्यों में सहयोग नहीं देती तब तक हमारा जो लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते और विकास का जो लक्ष्य है हमारा, उसका जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में, उनके ढांचे को इस तरह नया रूप देकर प्रगति के कार्यों में आगे लाने के लिए जो अपने सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूँ, काफी हद तक अच्छे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं।

सबसे पहली बड़ी बात बताती है कि पंचायतों का विकास कार्यों के लिए जोश नहीं है। जिस तरह से पंचायतों को साथ देना चाहिये था, वह नहीं दिया और इस वजह से यह हुआ कि हमारी पंचायतों द्वारा जो असल में विकास कार्य किये जाने चाहिए, विकास कार्यों में जो उन्नति होनी चाहिए वह नहीं हुई। जो पैसा सरकार द्वारा दिया जाय उसका ठीक प्रकार से सदुपयोग हो सके, दुरुपयोग न हो और इस प्रकार की सारी चीजें पंचायतें किसी हद तक कर सकती थीं, पंचायतों ने नहीं किया और उन्होंने विकास कार्यों में साथ नहीं दिया। यदि, उपाध्यक्ष महोदय, इनके कारणों पर थोड़ा सा ध्यान करें तो यह बात सामने आवेगी कि पंचायतों के सामने, उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनकी बनावट, उनका ढांचा ऐसा था कि वे विकास कार्यों में सहयोग नहीं दे सकती थीं। लोगों के पास पॉवर्स नहीं थे, लोगों की पॉवर्स लेने

(श्री अनूपसिंह)

की इच्छा थी लेकिन पंचायतें मिलने के बाद पॉवर्स मिल गये तो उनके दिमाग में इतने फितूर आ गये और उनके दिमाग में इतनी खलबली मच गई कि वे उन पॉवर्स को एब्ज़ोर्ब नहीं कर सके, वे उन पॉवर्स को पचा नहीं सके और विकास कार्यों की बातों को छोड़ गये

२.८ म.प.

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

और अपने साथ किसी ने कुछ किया तो दूसरों के साथ बदला लेने की भावना या दूसरों पर रोब गांठने की भावना, इस प्रकार की छोटी भावनायें, इस तरह की नीच भावनायें उनमें उभर आयी और इसी कारण से विकास कार्यों से हाथ हटा कर जुडिशियल और सिविल केसेज़ में ज्यादा पड़ गये और आपस में गुटबन्दी होने से, आपस में फूट होने से इतना पतन हो गया कि हर एक गांव का वातावरण खराब हो गया और उसके लिए फिर आप यह कहें कि ये तो ग्रामीण थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके हाथ में पॉवर नहीं आयी वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन मैं कहता हूं कि यह बात नहीं है। उन ग्रामीणों की बुद्धि कैसी ही हो, सबसे ज्यादा नम्बर पंचायतों की व्यवस्था को बिगाड़ने में आज पढ़े लिखे लोगों का है, सत्ता जमाने का और व्यवस्था को बिगाड़ने का पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा हाथ है। मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई बात ग्रामीण में आयी होगी, लेकिन इस तरह से ग्रामीणों पर ही थोप देने से हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। जब ग्रामीण आपस में लड़ते हैं तो एक गुटबन्दी कराई जाती है, हमने ही उनको आपस में लड़ाया है और उनको लड़ा भिड़ा कर गांवों का वातावरण दूषित किया, हम इसके जवाबदार हैं, हमारी ही यह जिम्मेदारी है, मैं केवल जिम्मेदार अपने को ही नहीं मानता हूँ, लेकिन ऊपर से जो इन बातों को देखने वाले थे उन्होंने भी, जब जयपुर तक ग्रामीणों की समस्या आयी तो यहां मिनिस्टरों ने साथ दिया, उस गुटबन्दी में उनका साथ दिया और उन्होंने नाजायज तरीकों से उसमें दखल किया और इस तरह से वे लोग और उत्साहित हुए, गांवों में इस प्रकार की गुटबन्दी हुई, वहां का वातावरण इस प्रकार बिगाड़ा गया। जब मिनिस्टरों ने साथ दिया तो इस लिए यह भावना और उनमें पैदा हुई कि पंचायतें हमारे हाथ में हों, पंचायत हमारी जेब में हैं, फलाने फलाने मिनिस्टर साहब के हाथ में हैं, उनसे हुक्म निकलवा सकते हैं। हो सकता है आप इससे इत्तफाक न करें, मेरा पर्सनल अनुभव है, उसकी वजह से अर्ज कर रहा हूं। माननीय चैयरमेन महोदय, एक जगह तहसील पंचायत का चुनाव होने वाला था, उसके लिए चार बार नोटिसेज़ दिये गये, चार बार नोटिस देने के बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाया गया और पांचवी बार फिर नोटिस दिया गया और इस तरह से एक तहसील पंचायत के चुनावों को पांच बार पोस्टपोन किया गया और इस प्रकार पांच पांच बार तहसील पंचायतों के चुनावों को पोस्टपोन करवाने में मिनिस्टरों के सिवाय और किसी का हाथ हो नहीं सकता। एक मामूली आदमी गांव से आकर यहां कह देता है कि हमारी पार्टी को लोस है अभी चुनाव करवाये तो इसलिए अगर आप पोस्टपोन नहीं करते हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे हमारी नाक कट जायगी। पांचवी बार चुनावों को रोक देना यह किसकी जिम्मेदारी है ··

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री) आप पंचायत का नाम बता दें तो अच्छा रहेगा।

Page No.64

श्री अनूपसिंह : मैं पंचायत का नाम भी बता दूंगा। वह है पोकरण की पंचायत जिला बाड़मेर। जहां के इलेक्शन चार-चार बार पोस्टपोन किये गये, उसमें मिनिस्टर्स तक का हाथ है। कोई आदमी जो उनके ग्रुप का होता है आकर कह देता है कि हमारी पार्टी हार जायेगी, ऐसा करो, वैसा करो···

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट है उस तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री अनूपसिंह (जारी रखते हुए) : कोशिश तो यही कर रहा हूं चैयरमैन महोदय, किन्तु प्रसंगवश ऐसी बातें आ जाती हैं इसलिए अर्ज कर दिया है। मेरा मतलब यह था कि पंचायतों के चुनाव न होने देने में ग्रामीणों का हाथ नहीं रहता, बल्कि हमारे मिनिस्टरों तक का हाथ रहता है। इसमें ग्रामीण की कोई जिम्मेवारी नहीं इसमें मिनिस्टरों तक का हाथ रहता है·······

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आगे ठीक करेंगे।

श्री अनूपसिंह (जारी रखते हुए) : उम्मीद तो यही रखते हैं कि आगे आप ठीक करेंगे।

पंचायत के ढांचे को भी बदलने का सुझाव इस बलवन्तराय कमेटी ने दिया है, उनका कहना है कि विकास के लिए पंचायत समिति की स्थापना का सुझाव दिया है। इनको जुडिशियल पॉवर्स केसेज़ को डील करने के पॉवर्स नहीं माने हैं। पंचायतों का विकास कार्यों में हाथ रखना है, उनकी दिलचस्पी उसमें पैदा करनी है तो इस ढांचे को ठीक करने का भार पंचायत समिति को सौंपा गया है। इस प्रकार की समिति का सुझाव है वह बहुत अच्छा है अगर ठीक से लागू किया जाय तो। इसमें भी यह शंका है कि हर जगह हमारे कर्मचारीगण किसी न किसी के दबाव में या साम्प्रदायिक विचार के कारण और एक पार्टी का जो विष फैला हुआ है उस विष को यदि निकालकर जो रिकमन्डेशन्स इस बलवन्तराय मेहता कमेटी ने की हैं उनको लागू किया जाय तो मैं समझता हूं, ये पंचायत समितियां सफल हो सकती हैं। इस बारे में बलवन्तराय कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं कि हर पंचायत का एक एक आदमी हो जो इस पंचायत समिति में रहे, उसके सिवाय और इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राइब का मेम्बर भी रखने के लिये कहा गया है, इसके अलावा दो महिला सदस्यों को भी रखने की सिफारिश इस कमेटी ने की है। मेरा खयाल है कि अगर इस प्रकार सदस्य रखे गये तो अच्छे ढंग की पंचायत समिति बन सकती है जो विकास कार्यों को अच्छी तरह से चला सके।

सवाल अब यह रहता है कि सेक्रेटरी और ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर का उस एडवाइज़री कमेटी में हिस्सा रखा जाय या नहीं। यह ठीक है कि एडवाइज़री कमेटी में इनका हिस्सा रहता है तो कुछ हद तक ठीक भी है अगर वे विकास अधिकारी, जितना भी ब्लॉक एरिया है उस सबको अपना एरिया समझें और यह भी ध्यान रखें कि सभी गांवों को मुझे एक सा मौका देना है और उसी लगन के साथ काम करना है तो ऐसी हालत में इनको रखना भी जरूरी है जिनको जनता चाहती है।

बलवन्तराय मेहता कमेटी का इस बारे में पंचायत समिति को अधिकार देने का विचार

(श्री अनूपसिंह)

है सिवाय फ़ौजदारी और दीवानी शक्तियों के। जो कुछ भी विकास कार्य उनके हाथ में हैं वे काफी हद तक ठीक हैं। इस समिति ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ठीक नहीं समझा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी को ठीक नहीं समझा जिस चीज में जनता का सम्पर्क होना चाहिये जनता और सरकार का जिसमें सम्पर्क होना चाहिए। ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी ये काम पूरा नहीं कर सकती इसलिए पंचायत समिति हो और असल में देखा जाय तो पंचायत समिति ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी को रिप्लेस करने की चीज होगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, जिला परिषद् का जो सुझाव पेश किया गया, यह सुझाव कोई बुरा नहीं है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स होंगे पी. डब्लू. डी. के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के वे सब इनके साथ मिले हुए होते हैं। इसी तरहसे तहसील एडवाइज़री कमेटी मदद की पंचायतों की समितियों को मिल सकेगी। गवर्नमेन्ट के बीच में और पंचायतों के बीच में जिला परिषद् का होना बुरा नहीं है। गवर्नमेन्ट की नीति से और पंचायत समिति की नीति में कोऑपरेशन होना जरूरी है, इनका कोऑपरेशन नहीं होगा तो पंचायत समिति अपना काम पूरा नहीं कर सकेगी। तहसील एडवाइज़री कमेटी में डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होना चाहिए।

पंचायत समिति के बारे में यह अर्ज करना जरूरी है कि जो कर आदि लगाने के अधिकार दिये गये हैं अपनी फाइनेन्सिली पोज़ीशन को ठीक करने के लिए उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि जो सुझाव दिये हैं वे सब के सब मानने लायक नहीं हैं। इसमें बहुत से सैसेज़ और टैक्सेज़ का जो सुझाव दिया गया है उसमें है टैक्स ऑन प्रोफेशन, पिलग्रीमेज टैक्स, प्राइमरी एजुकेशन टैक्स ये इस तरह की चीजें हैं जो हम लागू नहीं कर सकते। यह मैं मानता हूं कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिये टैक्स का होना जरूरी है। इस तरह से टैक्स न लगा कर यदि धन की कमी होती है तो वह दूसरे उपायों से पूरी की जा सकती है, गवर्नमेन्ट मदद दे सकती है। प्राइमरी एजुकेशन टेक्स लागू करते हैं तो आज जब कि यह प्रान्त शिक्षा में वैसे ही पिछड़ा हुआ है और आज जब कि हम प्राइमरी एजुकेशन के लिये वातावरण पैदा करना चाहते हैं वह इस प्रकार के टेक्स से हो नहीं सकता। पंचायत समितियों को इस प्रकार के टैक्स लागू करने दिये गये तो वे बहुत जल्दी अन-पॉपूलर हो जायंगी और इससे क्या होगा कि जनता का सहयोग मिल नहीं पायगा। जनता यह समझती है कि उनको किसी प्रकार का टैक्स न देना पड़े तो अच्छा है। मैं यह मानता हूं बिना टैक्स के काम किसी भी सरकार का या किसी पंचायत का चल नहीं सकता। पैसा टैक्स से ही आ सकता है, मेरे ख्याल से टैक्स इस प्रकार के होने चाहिये कि वे इन डाइरेक्ट हों। इस तरह के टैक्स लगाये गये तो पंचायतों को बहुत जल्दी अन पॉपूलर होना पड़ेगा और उनको लोगों का सहयोग मिलना मुश्किल हो जायगा।

माननीय सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि हमारे ब्लॉक्स आज बहुत सन्तोषजनक रीति से रन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे अपने एरिया का ब्लॉक देखने का अवसर मिला मैं तो कह सकता हूं वहां कोई खास प्रगति नहीं है। केवल पैसा खर्च कर दिया, यह होने से हम यह मान लें रुपया खर्च होना प्रगति का सूचक है, तो मैं इससे बिल्कुल असह-

(श्री अनूपसिंह)

मत हूं, रुपया खर्च करना और प्रगति करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।

इसलिये जैसा बहुतों ने कहा कि हमारे ब्लॉक में बड़ा डेवलपमेन्ट हुआ है तो मैं यह मानने को यों तैयार नहीं हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक सिवाना ब्लॉक है वहां के बहुत से प्रतिनिधि सुमेरपुर ब्लॉक देखने गये थे। उनकी बात अर्ज कर दूं। उन्होंने वापिस आकर रिपोर्ट दी कि सुमेरपुर किसी तरह भी अच्छा नहीं है सिवाना से। तो यह मैं उस सुमेरपुर ब्लॉक की बात कह रहा था जिसके बारे में इतना हुल्लड़ हो चुका था। जिसे हमारी सरकार हिन्दुस्तान का One of the best block कहती है और जिसे इस तरह के सर्टीफिकेट कई लोगों से मिले हैं। तो यह अन्दाज उन्होंने कोई पैसा-टके पर नहीं लगाया है। प्रगति जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं है। वहां की ग्रामीण जनता की इन्कम कितनी बढ़ी इस पर देखना है। उनकी पर्चेजिंग पॉवर बढ़ी या नहीं। इन सबके देखने के आंकड़े वहां नहीं थे। मैं समझता हूं कि सुमेरपुर ब्लॉक ऐसी जगह है, जहां सेन्टर और राजस्थान के या और भी जगह के जो भी लोग या मन्त्री आदि देखने के लिये आते हैं उन सबको वहां ले जाया जाता है, एक आदर्श ब्लॉक के रूपमें दिखाने के लिये और यह दिखाने के लिये कि यह हमारा एक one of the best block है। वहां के रिकार्ड और मेंटीनेन्स को देखकर सर्टीफिकेट दे जाते होंगे। पर असलियत में कुछ नहीं है। मैं यह भी कहूं कि हमारे यहां से जो प्रतिनिधि गये वे कोई इस नीयत से नहीं गये थे कि वहां की खामियों को देखते, पर वे गये इसलिये थे कि जब उसकी ऐसी शोहरत है, तो वहां कुछ अधिक अच्छी बातें होंगी, उनको देखकर अपने यहां भी उनको लागू किया जाय, इस नीयत से गये थे। इसलिये कहने का मेरा मतलब यह है, कि वहां के कृषक भी आज उसी हालत में हैं, जिस हालत में पहले थे। हो सकता है वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हों पर इसका श्रेय तो पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टिर साहब को मिलना चाहिये। इसके सिवाय ग्रामीण जनता के सुधार के लिये और उनके स्तर को बढ़ाने के लिये वहां पर कोई खास चीज नहीं हुई।

इसलिये मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जब तक आप जनता के दिलों में यह नहीं बिठा दें कि यह विकास कार्य आपका है, आपके लिये है, आपके देश के लिये है और आपको ही इसे पूरा करना है तब तक यह काम चलने का नहीं है और अगर इसके अभाव में यह पैसा आपने ठीक तरह नहीं लगाया और इसी तरह इसका अपव्यय करते रहे तो हिन्दुस्तान अमेरिका के कर्ज के नीचे दब जावेगा और उसे चुका नहीं पावेगा। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी होगी। आज लाखों करोड़ों रुपया इस तरह से खर्च करके बताना चाहते हैं कि हमने गांवों की यह तरक्की कर दी है, उनकी यह प्रगति हो गई है, जिसका खाका मैंने आपको अभी बताया, तो यह मैं समझता हूं एक गलतफहमी की चीज है। इससे आप बचें। नहीं तो देश पर विदेशों के कर्जे का भार इतना भारी होगा कि हम उसे चुका नहीं सकेंगे।

अब इस कमेटी की रिपोर्ट पर सन्तोष और समर्थन प्रकट करते हुए मैं अर्ज करूंगा कि इस मेहता कमेटी ने तीन चीजें हमारे सामने

(श्री अनूपसिंह)

रखी हैं। वह है पहले पंचायत, ग्रामीण पंचायत, इसके बाद पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद् और इसके बाद यहां की सरकार। उन्होंने इन सबका रिलेशन, इन सबके आपसी सम्बन्धों पर काफी रोशनी डाली। इनका एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा क्या होगा यह भी समझाने की कोशिश की है। अब उस पर विस्तृत रूप से मैं अगर कहना शुरू करूं तो उचित नहीं होगा, और लोग भी बोलने वाले हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा इसलिए अब मैं इस बात पर आता हूं कि पंचायत समिति के गठन की बात का मैं समर्थन करता हूं। इससे आज के पंचायत के ढांचे से हमारा पिंड छूटेगा यह तो कम से कम होगा। जो आज पंचायतों में आपसी मतभेद, पार्टीबाजी के भेद और इसको लेकर कई प्रकार की जो गड़बड़ियां कराई जाती हैं वे तो नहीं होंगी। हो सकता है अब भी कराई जावें पर यह उतना तो नहीं हो पावेगा। हालांकि अगर अब भी वही पार्टीबाजी का विष रोपण किया गया तो यह हमारे लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। अमेरिका से कर्जा लेकर जो रुपया हम ले रहे हैं उसका अगर इसी प्रकार दुरुपयोग कराया गया इन पार्टीबाजियों में, तो यह हमारा और भी अधिक दुर्भाग्य होगा। पर जुडीशियल विभाग को अलग करने से सम्भव है हमारी पंचायतों को विकास कार्य करने की तरफ अधिक ध्यान देने का अवसर मिल जावे।

इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात उन्होंने सुझाव के रूप में अपनी रिपोर्ट में पेश की है वह सैक्शन दो के ४५ वें पैराग्राफ के लास्ट सेन्टेन्स में मुझे मिलता है कि "Development cannot progress without responsibility and power. The community development can be real cnly when the community uuderstands its problems, realises its responsibilities, exercises the necessary powers through its chosen representatives and maintains a constant and intelligent vigilence on local administration."

यह कॉन्स्टेन्ट विज़ीलेन्स, यह कॉन्स्टेन्ट रिएलाइज़ेशन बाई दी फ्लो ऑफ देअर प्रोब्लेम इस चीज को समझाने के लिये मैं समझता हूं कि मेहता कमेटी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। मैं उनके इस सुझाव को यहां तक आगे बढ़ाना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट कोई भी चीज ऐसी न करे जो कि जनता को साथ लेकर न हो। गर्वनमेंट उस चीज में दखल न दे जिसका जनता अपोज़ करती हो या ऐसी चीज न करे जो जनता की राय के माफिक न हो। अगर इस पार्टी के विष को निकाल कर सरकार जनता को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे तो शायद मेहता कमेटी की रिपोर्ट को सफल बना सकते हैं। अन्यथा अगर वह पार्टी विष अपने दिमाग में और ढांचे में रख दिया तो मैं ठीक तरह से कह सकता हूं कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद दो और कमेटियां भी बैठ जावें तो हमारे देश का और हमारे गांवों का उत्थान नहीं हो सकेगा। सभापति महोदय, क्योंकि मेरे और कई साथी बोलने को उत्सुक लगते हैं ...

श्री सभापति : समय बहुत हो गया है।

श्री अनूपसिंह : इसलिये अब मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री सोहनलाल भटनगर (सलूम्बर) : माननीय सभापति जी, आजादी प्राप्त होने के

(श्री सोहनलाल)

बाद सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने थी वह यह थी कि देश के पांच लाख गांवों में रहने वालों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, जो दरिद्रता में डुबे हुए हैं और अविकसित दशा में चले आ रहे हैं, उनका विकास कैसे हो। इस समस्या को हल करने के लिए सामुदायिक विकास खण्ड और राष्ट्रीय विकास खण्ड जगह जगह खोले गए। इससे हमने देखा कि गांवों में एक नई लहर फैली, नई चेतना आई, उन दबे हुए लोगों ने अंगड़ाई ली और इस परीक्षण के लिये कहा जा सकता है कि इस सारे विश्व में एक प्रकार से नया परीक्षण था। इन विकास खण्डों के परिक्षण को आगे बढ़ाने के बाद, इस आन्दोलन के चलने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें हमें शत प्रतिशत सफलता ही मिली हो, हमें कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने भी और देश के दूसरे कई विद्वानों ने और दूसरे देशों से आने वालों ने भी इसे देखा और इसकी प्रगति से प्रभावित हुए। पर इससे हमें इस भुलावे में भी नहीं आना चाहिये कि जो कुछ किया गया है वह सब ठीक था। जो कमी और खराबी इसमें हमें मिली उसको भी देखना था और इसी हेतु इस कमेटी का निर्माण किया गया था। बलवंतराय मेहता कमेटी के निर्माण के साथ जो उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स थे, उसमें मुख्य चीजें ये थीं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय विकास खण्डों में और सामुदायिक विकास खण्डों में कार्य हो और उनमें एफिशियेन्सी लाई जा सके। तो मेरे ख्याल से जो मुख्य बात थी वह यह थी। लेकिन जैसा कि कई माननीय सदस्यों के भाषणों में सुना, तो उनसे विदित हुआ कि उनका भाषण ज्यादातर जनरल नेचर का था और उन्होंने कोई खास रोशनी इस समस्या के ऊपर नहीं डाली। मैं मानता हूं कि इस रिपोर्ट के अन्दर बहुत ही छोटा सा हिस्सा विकेन्द्रीकरण के बारे में है और विकेन्द्रीकरण का जिक्र उसमें किया गया और इसके बारे में इसमें कुछ रोशनी डाली है। लेकिन जो मुख्य समस्या थी वह यह थी कि जो राष्ट्रीय विकास खण्डों में कार्यवाही चल रही थी उसमें किस प्रकार से तीव्रता लाई जाये, किस प्रकार से जो वेस्टेज हो रहा है वह दूर किया जाय और गांव वालों में जो नई चेतना और शक्ति उत्पन्न होनी चाहिये थी और जो सफलता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है और अब उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाय, इस चीज को ध्यान में रखकर मैं कुछ विचार सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस रिपोर्ट के अन्दर जो मुख्य चीजें हैं वे हैं एफिशियेन्सी और इकोनामी लाने की। तो इकोनॉमी और एफिशियेन्सी लाने के लिये जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है वह यह है कि जो ग्राम सेवक हैं और उनका जो सर्किल है उसको देखते हुए उनकी संख्या बढ़ा दी जाये। कई माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि विकास खण्डों में जो ग्राम सेवकों के सर्किल हैं वह बहुत बड़े हैं और एक विकास खण्ड के अन्दर कुल सात या आठ ग्राम सेवक रहते हैं और उनका दायरा अधिक होने से वह उस शक्ति के साथ कार्य नहीं कर सकते हैं कि जिस शक्ति के साथ उनको करना चाहिए और इसीलिए मैं मानता हूं कि काफी प्रगति नहीं हो सकी। इसलिए जो मैंने यह सुझाव दिया कि एक विकास खण्ड में २० सर्किल हैं, तो वहां २० ही ग्राम सेवक हों। इससे जो शिथिलता कार्य में आई है, वह ठीक होगी और इसके लिए रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम-सेवकों की संख्या

(श्री सोहनलाल)

को बढ़ाया जायेगा, तो उससे खर्च तो अवश्य बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही यह सुझाव दिया है कि जो दूसरे कामों के लिए अधिकारी मुकर्रर किये हुए हैं, उनको हटा दिया जाये और उनका सारा काम ग्राम सेवक ही करेंगे। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि हमने देखा है कि सर्किल बड़े बड़े होने से और ग्राम सेवकों की संख्या में कमी होने के कारण वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं।

दूसरी बात, जो मैं कहूंगा वह ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल्स की है। विकास के कार्य के लिए, मैं मानता हूं, उचित आदमी होने चाहिए और इसके लिए उचित आदमियों का ही चयन होना चाहिए और उनको उचित ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि वह ठीक तरह से कार्य कर सकें। कई ग्राम सेवकों को हमने देखा है कि जो अच्छी तरह से ट्रेन्ड नहीं होते। यहां तक कि बी. डी. ओज़. ऐसे आ जाते हैं कि उनमें न तो वह प्रवृत्ति है और न ही हम देखते हैं कि उन्हें ठीक तरह से ट्रेनिंग मिली हुई होती है। वह न तो लोगों में उत्साह पैदा कर सकते हैं और न कोई उनमें चेतना जगा सकते हैं। इस रिपोर्ट में खास तौर से बताया है कि ग्राम सेवकों का जो शिक्षणकाल है वह एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष का कर दिया जाय और ग्राम सेविकाओं का भी शिक्षणकाल १ वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष का कर दिया जाय दूसरे, यहां पर जो ब्लॉक्स के अधिकारी हैं उनकी शिक्षा ३ महीने के बजाय ६ महीने की कर दी जाये और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन्स रखी हैं, मैं मानता हूं, कि वह बिलकुल ठीक हैं। फिर भी एक बात मैं जरूर निवेदन करता हूं यह सब क्वालिफिकेशन्स जो ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल्स के लिए रखी हैं वह ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो इसके लिये पैदा होती है वह यह है कि उचित आदमियों का चयन करना। कई पढ़े लिखे आदमी जिनको नौकरी नहीं मिलती है और जो गांवों के वातावरण को नहीं जानते हैं, वह आकर के अपने को इस कार्य में असमर्थ पाते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमें चयन के बारे में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तीसरी बात मैं पीपुल्स पार्टिसिपेशन की कहूंगा। कई माननीय सदस्य जानते होंगे और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन जितने भी बतौर बी० डी० ओज़० होते हैं वे काफी ढिंढोरा पीटते हैं, मगर पीपुल्स पार्टिसिपेशन होता नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या जो देखी वह यह है कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन का जो नापने का मापदण्ड है, वह एक नहीं है। वह एक ब्लॉक में अलग है और दूसरे ब्लाक में अलग है। तो उसमें यह सुझाव दिया है कि एक यूनीफार्म स्टेन्डर्ड माना जाय और जिसके मातहत पीपुल्स पार्टिसिपेशन को माना जाये।

चौथी बात है वह क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी की है। माननीय सभापति जी, हर गांव में अलग अलग समस्यायें होती हैं और अलग अलग समस्याओं के साथ ही यह देखना होता है कि किस काम को पहले लिया जाय और किस को बाद में लिया जाय। इस सिद्धान्त को भी देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके लिए जो ब्लॉक एडवाइज़री बोर्ड हैं वे कार्य करेंगे। इसका निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह किस प्रकार से तय करें। इसके लिए जहां कुओं की जरूरत है वहां कुए और जहां सड़कों की

(श्री सोहनलाल)

जरूरत है वहां सड़कें आदि बननी चाहिए, इनकी जरूरतों को देखते हुए प्रायोरिटीज़ को तय करें। मगर इसके लिए सबसे पहली समस्या है, वह है एफिशियेन्सी और इकॉनॉमी की। माननीय सभापति जी, सभी माननीय सदस्य पूरी तरह से जानते हैं कि इस काम में सब से बड़ी रुकावट जो है, वह आर्थिक रूल्स की है, या फिर जो मन्जूर शुदा रकम है वह समाप्त हो जाती है और उसके कारण बहुत गड़बड़ियां हो जाती हैं। कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि जीपों के कारण बहुत खर्चा होता है और काफी धन नष्ट होता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को देखें तो मालूम होगा कि उसमें सुझाव दिया है कि जो विकास अधिकारियों के पास जीप्स हैं उनको हटा लिया जाय और आने जाने के लिए उनको दूसरे साधन प्रयोग में लाने चाहिये। जो रकम लैप्स हो जाती है उसके लिए बताया कि वर्ष अप्रेल से नहीं बल्कि अक्टूबर से प्रारम्भ हो और जो रकम मंजूर की जाय वह द्वितीय वर्ष में समाप्त न हो और दूसरी साल भी चालू रह सके। दूसरी बात जो उसमें रखी गई है, वह यह है कि प्लानिंग का जो काम हो वह सितम्बर से प्रारम्भ हो और फरवरी में अन्त हो जाये। तो माननीय सभापति जी, यह मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि हमारी एफिशियेन्सी और इकोनॉमी लाने में सहायक हो सकती हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं, तो, जो हमारी आर्थिक अड़चनें हमारे सामने आती हैं, वह दूर हो जावेंगी तो लोगों को महसूस होगा और वह ठीक तरह से वह कार्य कर सकेंगे।

इसके अलावा जो रिपोर्ट में है वह मुख्यतः काफी माननीय सदस्यों ने उसके बारे में अपने विचार–विमर्श रखे हैं। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है वह मुख्यतः विकास की समस्याओं को, विकास के कार्यों को ही लेकर विकेन्द्रीकरण के बारे में कहा है, न कि किसी दूसरे मामलों को लेकर। इसके लिए जो सुझाव देना चाहता हूं, वह यह है कि बेसिक जो चीज होगी, वह ग्राम पंचायतें होंगी और ग्राम पंचायतों के बाद पंचायत समिति होंगी और पंचायत समिति के बाद जिला परिषदें होंगी। तो उसका कॉन्स्टीट्यूशन कैसा हो, कम्पोज़ीशन कैसा हो, इसके लिए काफी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। इसके बारे में मैं सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि पंचायतों का जो चुनाव होगा, वह अडल्ट फ्रेन्चाइज़ के सिद्धान्त पर होगा। बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यह माना है और जैसा अभी कहा है कि इससे मुमकिन है कि जो वर्ग-भेद बढ़ते हैं, उनके आपस में झगड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन उनके बारे में माननीय सदस्यों ने कोई ऑलटरनेटिव नहीं सुझाया। मैं कहता हूं कि प्रजातन्त्र के समय में सिवाय चुनावों के और कोई दूसरा तरीका ठीक नहीं है, जिससे कि लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। तो इसलिए वे बिलकुल शान्त हैं कि हमारे सामने दूसरा जरिया नहीं है जिससे कि हम यह कह सकें कि शान्तिपूर्ण तरीके से काम हो सकेगा। उन्होंने मध्यस्थ कमेटियों के बारे में जो कि प्रान्तों में चल रही हैं, उनके ऊपर कहा। इसके लिए भी माननीय सदस्य कह देंगे कि वह पार्टीबन्दी से भरी हुई हैं तो, इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, वह यह है कि एडल्ट फ्रेन्चाइज़ के सिद्धांत को हम मानें और जिसको उन्होंने माना है।

इस बात में आज पंचायत परिषद् ने जो

(श्री सोहनलाल)

पंचायतों के न्याय के पॉवर्स थे उनको समाप्त किया और उसके लिए पैनल बनाने की बात है और पैनल में से चुनाव का अधिकार एस. डी. ओ. जुडीशियल के ऊपर होगा, वह उनका चयन करेगा। तो इस वजह से न्याय और विकास का काम, दोनों के अलग अलग हो जाने से विकास के कार्यों में जो रुकावट है वह समाप्त हो जायगी और जो झगड़ा है वह कम हो जायगा।

पंचायत समिति का गठन जो है. वह २० सर्किल में विभाजित होगा और जो ग्राम सेवक का सर्किल होगा वह एक सर्किल उसके बराबर होगा, इसलिए दोनों सर्किलों के बीच में आपस में झगड़ा नहीं होगा। जिला परिषद् का गठन है, वह इस प्रकार का होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होंगे, जो इर्रिगेशन के हैं, बी. डी. ओज़. हैं और कृषि के हैं वे उसमें रहेंगे और चेयरमेन उसका कलेक्टर रहेगा।

अब इन तीनों मुख्य चीजों में पंचायत समिति और जिला परिषद का जो गठन इसमें दिया हुआ है, इसके अनुसार हम देखें तो क्या जो बरतने का तरीका विकेन्द्रीकरण का दिया हुआ है, वह वास्तव में ठीक है? उसके द्वारा हम अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच सकते हैं या नहीं, इसके बारे में देखना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है यह विकेन्द्रीकरण खास तौर से विकास के लिए किया गया है। मैं मानता हूं कि बलवन्त राय कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि जो विकेन्द्रीकरण की भावना विकास के लिए दी हुई है, जो परिषदों के बारे में दी हुई है तो उनके कार्यों के दायरे को बढाया जा सकता है। दूसरे काम भी उनको सौंपे जा सकते हैं। इसलिए जो यह कहा गया कि प्रजातान्त्रिक तरीका नहीं है, विकेन्द्रीकरण की जो भावना होनी चाहिए वह नहीं है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा।

तीसरी बात जो इसके बारे में शंका के रूप में पेश हो सकती है वह यह है, कि विकेन्द्रीकरण के लिए कहा गया, वह विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है यह बताया गया, लेकिन आज कार्य को देखें कि कितना पर्सेन्ट कार्य सौंपा गया है, कितना पर्सेन्ट पंचायत परिषदों को दिया गया है, इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में जो शंका उत्पन्न होती है कि आज के प्लानिंग में बड़े बड़े काम हैं, जैसे सड़कें बनाना, जैसे बांध बनाना, जैसे बिजली के काम हैं, यह सारे काम जो कि बड़े बड़े हैं, जिनके ऊपर बजट का और प्लानिंग का काफी ज्यादा रुपया खर्च होगा वह इस समिति की परिधि से बिल्कुल अलग होगा।

तीसरी बात जो इसमें होगी कि जो पेटर्न ऑफ एक्सपेन्डीचर है वह हरेक ब्लॉक के लिए नीचे से मुकर्रर हो। प्लानिंग के लिए इतना खर्चा, पर्सनल के लिए इतना खर्चा, होगा। तो सारी चीजों को देखें तो वह खर्च बिल्कुल फिक्स हो, न अधिक खर्चा कर सकेंगे और न कम। इस चीज़ को देखते हुए यह शंका उत्पन्न होती है कि जैसे ब्लॉक के एरिया के अन्दर ७५ प्रतिशत रकम होगी, उसमें इस प्रकार से सिंचाई होगी, उस पर खर्च करना पड़ेगा और २५ प्रतिशत जो रकम बचेगी उस पर पंचायत समिति का अधिकार होगा कि जो प्रायोरिटी से चीजों को तय करके खर्च करेगी।

(श्री सोहनलाल)

दूसरी मुख्य बात है, वह यह है कि जिला परिषद् के गठन के बारे में शंका जो उत्पन्न हो सकती है वह यह हो सकती है कि जिला परिषद् को अधिकार दिया है, बजट को पास करने का। जितना ही पंचायत परिषद् और उनमें समन्वय कायम करेंगे तो इसके लिए जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया इनके क्षेत्र को बढ़ाना होगा, वर्ना इनकी कोई उपादेयता नहीं रहेगी। इसके अन्दर माना कि कलेक्टर को चेयरमेन बनाया है। कुछ साल के लिए वह रह सकता है, लेकिन यदि हमें सही प्रजातन्त्र को लाना है और सही चीज़ को करना है तो चुना हुआ अध्यक्ष इसमें रहना चाहिए।

तीसरी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स, जैसे कृषि अधिकारी, इर्रिगेशन के इन्जीनियर आदि हैं उनको फ्रेन्चाइज़ का पॉवर दे दिया है, जिला परिषद् में जो सरकारी होंगे उनको। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनको जो फ्रेन्चाइज़ वोटिंग, के अधिकार हैं, वे नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि वे क्या हैं कि उनमें डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है वह चैयरमेन रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स मेम्बर रहते हैं, उनको वोटिंग के अधिकार नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चूंकि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का कॉआर्डिनेटिंग ऑफिसर है इस वजह से दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उसके मातहत होते हैं। इस वजह से यदि दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को फ्रेन्चाइज़ के पॉवर्स दे दिये गये तो, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कलेक्टर में एक आटोक्रेसी आ जायेगी और जो कुछ भी वे करना चाहेंगे, वह कर लेंगे, क्योंकि उसके पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के वोटिंग का जोर होगा। इसलिए वह मरज़ी चाहेगा वह कर सकेगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो प्रावधान है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को फ्रेन्चाइज़ के पावर दे दिये जायं तो, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं और उनको फ्रेन्चाइज़ के पॉवर नहीं होने चाहिए।

तीसरी बात जो कि हमें प्रजातन्त्र के विकेन्द्रीकरण की ओर शंका उत्पन्न कराने की हो सकती है, वह यह है, कि बी. डी. ओज़. के बारे में जो रखा है, कि वह रेवेन्यु ऑफिसर, तहसीलदार, की केडर में हो और उसमें दो साल रह चुके तभी वह बी. डी. ओ. का कार्य ठीक तौर से कर सकेगा, मैं इस बारे में सहमत नहीं हूं। माननीय सभापति महोदय, हमने जो कुछ भी सामुदायिक विकास खंड और राष्ट्रीय विकास खंड की कार्य प्रणाली को देखा है पर्सनली, जो कुछ किया गया है उसको देखा है। हमें निश्चित रूप से यह मालूम हुआ है कि जिन व्यक्तियों को इनमें मुकर्रर किया गया वे इस कार्य के लायक नहीं थे। फिर उसी बात को इस कमेटी ने दोहराया है कि क्या हम मानें कि नौकरशाही का यही रोल वापिस आना चाहिए जिसमें कि पहले हमको असफलता मिली है? तो, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बी. डी. ओज़. के चयन करने के संबंध में काफी सतर्कता बरतनी चाहिए। कम से कम जो अच्छे कार्य करने वाले उत्साही व्यक्ति हों उनको मौका देना चाहिए।

(श्री सोहनलाल)

एक बात ज्यादातर उसके अन्दर आई है कि जो जिला बोर्ड हैं; कई माननीय सदस्यों ने कहा उनकी जैसी स्थिति आज है वही कायम रहनी चाहिये। कइयों ने यह माना है कि उनकी उपादेयता अब कोई नहीं रही है, उनको नहीं रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिला बोर्डों को कब कायम किया गया है, जब कि हमारे सामने विकास समितियों का, जब कि हमारे सामने पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ था और आज के इस युग में काफी प्रजातन्त्र आगे बढ़ गया है। काफी दूसरे अधिकार लोगों को मिले हैं। तो हम मानते हैं कि इन जिला बोर्डों को कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि जिला बोर्डों के जो कार्य हैं, जो फन्क्शन्स हैं, उनके जो इम्प्लीकेशन्स हैं यदि उनको और पंचायतों के जो कार्य हैं, उनका मिलान करेंगे तो एक दूसरे को ओवरलेप करते हैं, तो जिला बोर्ड के रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी प्रकाश डाला है। इस कमेटी ने भी कहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिला बोर्डों का मुख्य आर्थिक जो साधन है वह या तो सरकारी रकम है या सेस हैं। इस वजह से जो विकास के लिए सरकार इतना पैसा दे रही है उसके कारण भी लोगों की मांग काफी बढ़ी हुई है। उस दृष्टि से देखते हुए जिला बोर्ड जनता की मांग की ठीक तौर से पूर्ति नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से जिला बोर्डों की आवश्यकता नहीं रही और वे कायम नहीं रहने चाहिये।

तीसरी बात जो आखिरी बात है कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि १० हजार की आबादी वाले जो म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं वे खत्म होने चाहिए और वहां पर भी पंचायतें कायम होनी चाहिए। मैं उन माननीय सदस्य की राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर जो रिपोर्ट ने बताया है तो उसमें नहीं कहा है कि १० हज़ार की आबादी की जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाय। उन्होंने जरूर यह कहा है कि जो भी ऐसे एरिया हैं जो कि पंचायतों के बीच में आ जाते हैं उनका भी सदस्य चुना जाय इसके बारे में मैं सहमत हूं। उनकी राय बिल्कुल ठीक है। दूसरे कुछ माननीय सदस्य १० हजार की आबादी वाली म्युनिसिपल बोर्ड हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाय उससे सहमत नहीं है।

जो आखिरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा वह आदिवासी लोगों के बारे में है। मैं आदिवासी क्षेत्र का हूं। मेरे यहां ब्लॉक नहीं खुला है। दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में जो ब्लॉक खुले हैं, वहां पर जो प्रगति हुई उसको देखा जाय और दूसरी जो आम जनता रहती है, वहां के लोगों की, वहां के ब्लॉकों की स्थिति की तुलना की जाय तो प्रतीत होगा कि दोनों में काफी फर्क है। आदिवासी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। वहां पर विकास की भावना इतनी जागृत नहीं है, वे दुनिया की बातों को ठीक तरह से नहीं जानते हैं। कमेटी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के लिए जो पर्सोनल चुने जांय वे वहां की भाषा के जानने वाले हों, वहां की संस्कृति के जानने वाले हों। इन सारी चीजों को देखने के बाद वहां पर ऑफिसरों को मुकर्रर करना चाहिए और मुकर्रर करने के बाद कार्य ऐसा होना चाहिए जो कि उनकी भावना के साथ समन्वय रख सके। तो, माननीय सभापति महोदय, जो २ मुख्य बातें इस रिपोर्ट में थीं उनके बारे में कुछ शब्द मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किये हैं। मैं मानता हूं कि यह रिपोर्ट आखिरी शब्द नहीं हैं। हमें अधिकार हैं कि जब यह

(श्री सोहनलाल)

हमारे सामने आ गई तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद अपना सकते हैं, लेकिन जो विचारधारा हमारे सामने इस रिपोर्ट ने रखी है और सारे देश के सामने रखी है वह बहुत प्रशंसनीय है और हम आशा करते हैं कि हमारी प्रजातन्त्रीय जो पद्धति है, उसमें एक नया कदम जोड़ेगी।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय चेयरमेन महोदय, हमारे सामने सामुदायिक विकास योजना और विकास खण्डों के बारे में मेहता समिति की रिपोर्ट पेश हुई है, उसके बारे में विचार विमर्श हो रहा है। हम सैकड़ों वर्षों से गुलाम थे और इस गुलामी के जमाने में हम अपने देश का विकास नहीं कर सके, क्योंकि हम दूसरों पर आधारित थे और इसीलिये हम अपने देश की समस्याओं को हल करने में कामयाब नहीं हुए। जब देश स्वतन्त्र हुआ तब हमने सोचा कि हमारे देश का किस तरह से विकास किया जा सकता है ? इसलिये विकास खण्ड और सामुदायिक विकास योजना लागू की गई। लेकिन यह कहा जाता है कि इन विकास खण्डों और सामुदायिक योजनाओं से कोई फायदा नहीं हुआ, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं मान सकता हूं कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था वह पूरा नहीं कर सके यह बात ठीक है, लेकिन यह कहना कि बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई, बिल्कुल व्यर्थ है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अभी इस देश में सामुदायिक विकास योजनाओं को एक्सपेरिमेन्टल तौर पर लागू किया है और जब यह देखा कि इसमें कुछ खामियें हैं तब यह मेहता समिति कायम की गई और इसने अपने सुझाव दिये हैं।

इस रिपोर्ट में ग्राम पंचायत, पंचायत परिषद् और जिला परिषद् का जो उल्लेख किया है उससे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जो विकास खण्ड हैं आजकल उनमें कुछ खामियां भी हैं। आज हमारे देश पर आर्थिक संकट है। हमने दूसरे देशों से कर्जा लेकर और सार्वजनिक ढंग से जनता पर टैक्स लगाकर जो पैसा वसूल करते हैं और उसको योजनाओं पर लगाते हैं उससे यह देखना है कि ये योजनायें सफलीभूत होती हैं या नहीं। प्रशासनिक खर्चे को चलाकर ब्याज और कर्जे की अदायगी भी हम कर सकते हैं या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। मैं मानता हूं कि जितने भी अनउन्नत देश हैं वे अपने देश वालों से व विदेशों से ऋण लेकर ही उन्नति कर सकते हैं और दूसरे अनउन्नत देशों ने भी ऐसा किया है। लोग यह कह सकते हैं कि कर्जा लेने की आवश्यकता क्या है जब कि सरकार और नोट छाप सकती है, लेकिन इसलिये हम नोट नहीं छाप सकते क्योंकि इससे मुद्रा स्फीति बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ जायेगी किन्तु उत्पादन उससे नहीं बढ़ सकता और इससे साधारण प्रजा के रहन-सहन का स्तर नहीं बढ़ सकता। इसलिये ऋण लिया जाता है और लम्बे अर्से तक की अदायगी का ऋण लेते हैं। इस उद्देश्य को सामने रख कर हम ऋण लेते हैं और देश की विकास योजनाओं को चालू करते हैं, लेकिन हम यह भी देखें कि जो पैसा लगाते हैं उसका उपयोग ठीक तरह से हम कर रहे हैं या नहीं। आज मैं देखता हूं कि विकास खण्डों में बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। इन बड़ी बड़ी इमारतों से हम देश का विकास नहीं कर सकते। हमें यह भी देखना है कि इन इमारतों को हम आगे सम्भाल सकते हैं या नहीं।

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

जो रुपया हम ऋण के रूप में लाते हैं वह विकास के लिये लाते हैं इसलिये हमें यह देखना आवश्यक है कि हम उस योजना से उत्पादन बढ़ा पायेंगे या नहीं और उससे जो लाभ होगा उसमें से ऋण चुका सकेंगे या नहीं।

आज जब मैं विकास खण्डों में जाकर देखता हूं तो वहां पर ग्राम सेवकों के लिये नये मकान बने हुए देखता हूं। जिस ग्राम में वे सेवक बन कर जाते हैं वहां पर उनके मकान देखते हैं तो वे ग्राम के मालिक नज़र आते हैं। जहां पर वे ग्राम सेवक कहे जाते हैं वहां रहने वाले जो मालिक कहलाते हैं वे कच्चे झोंपड़ों में रहते हैं लेकिन जो ग्राम सेवक उनके लिये तीन कमरों का मकान और उसमें फ्लश की टट्टी लगी हुई है जिसमें वे रहते हैं तो जनसाधारण लोग वहां जाते हिचकिचाते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिनको ग्राम सेवक नियुक्त करते हैं उनको इतनी सुविधा क्यों दें। मैं यह नहीं कहता कि उनको सुविधा नहीं मिले, लेकिन हमें जनता की सुविधा की ओर पहले ध्यान देकर फिर इनकी ओर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बिना साधारण जनता पर यह असर पड़ता है कि ये कोई ऑफिसर हैं इसलिये इनके लिये यह मकान बना है। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा चेयरमेन महोदय, कि विकास खण्डों में इस प्रकार की जो कार्यवाही होती है वह जब तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, आर्थिक संकट दूर नहीं होता तब तक नहीं होनी चाहिये। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज़ में जो रुपये खर्च करते हैं वह नहीं करें तो अच्छा होगा। हमें उन्हीं बातों पर पैसा लगाना चाहिये जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा सुख-सुविधा प्राप्त हो सके। हमें जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि के बारे में रुपये खर्च करने हैं, हमें उत्पादन बढ़ाने के लिये पैसा खर्च करना है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ाने के लिये अधिक खर्च करना चाहिये तभी देश का विकास हो सकेगा और सर्व साधारण का रहन-सहन ठीक हो सकेगा।

आज हम सोचते हैं कि फलां बी. डी. ओ. ने इतने रुपये खर्च कर दिये इससे यह समझलें कि यह विकास खंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो करप्शन हम बड़े शहरों में देखते थे वह चलते चलते गांवों तक में चला गया है। ग्रामीणों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे पैसा खर्च कर सकें। इसलिये बी. डी. ओज़ क्या करते हैं कि झूठा हिसाब बनवाते हैं और ३००० हजार की जगह १५०० रु. ही उनको मिलते हैं और इतने ही से वे वहां का काम चलाते हैं, लेकिन वे तीन हज़ार का झूठा हिसाब बना कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो चरित्र का विकास करना चाहते हैं उसके विकास के बजाय ह्रास होता जा रहा है। हमें यह देखना है कि विकास कार्यों के साथ साथ कहीं हमारे प्रदेशवासियों का चरित्र न गिर जाय। इस ओर भी हमें ध्यान देना है। यदि हमने चरित्र निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया तो देश की कभी उन्नति नहीं हो सकेगी। खाली बिल्डिंग बनाना ही देश की उन्नति की आधार शिला नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। हिन्दुस्तान की आधार शिला चरित्र है। इसी चरित्र के बल पर ही इस देश ने उन्नति की है और आगे भी करेगा। इसलिये चरित्र को सामने रख कर हमें कार्य करना चाहिये।

अभी हमसे यह कहा गया कि चुनावों के

(श्री पुरुषोतमलाल)

द्वारा गांव गांव में और घर घर में ऐसा वातावरण फैला रहे हैं कि जिससे घर घर में लड़ाई करा देंगे। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि देश ने प्रजातंत्र का तरीका अपनाया है। उसने प्रजातंत्र के सिद्धान्त को माना है और उसी के अनुसार विधान बनाया है और उसको अपनाया है तो हम कदापि नहीं कह सकते कि चुनाव करवाने से गांव गांव में और घरघर में लड़ाइयां, बरबादी होगी। यदि यह बात है तो हमें प्रजातंत्र को हटाना पड़ेगा। प्रजातान्त्रिक प्रणाली के अनुसार जिनको चुनाव करके भेजते हैं वे गांवों का सुधार नहीं कर सकेंगे, यह भी मैं नहीं मान नहीं सकता। यदि हमें प्रजातन्त्र का सुन्दर ढांचा तैयार करना है तो ग्राम पंचायतों का चुनाव भी हमें बालिग मताधिकार के आधार पर करना होगा। हाथ उठाकर जो चुनाव करते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र को आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है इसलिये ग्राम पंचायतों से लेकर पार्लियामेन्ट तक के चुनाव बालिग मतों के आधार पर ही कराने पड़ेंगे। इसके लिये आपको एक ही पद्धति अपनानी पड़ेगी और वह यह कि गुप्त मतदान के ज़रिये चुनाव कराने होंगे, जिससे मतदाताओं को मत गिराने का अभ्यास हो जायगा और ग्राम ग्राम में मतपत्र डालने के तरीके का प्रचार हो जायगा जिससे आगे चल कर आने वाले चुनावों में मत देने में लोगों को दिक्कत न हो। यह कहना कि घर घर में लड़ाई हो रही है, मां, बाप और बेटों में झगड़ा हो जायगा, मैं समझता हूं ये सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि सच्चे प्रजातंत्र के माने ही बालिग मताधिकार है। इसलिए यह चुनाव पद्धति हमारे देश में लागू की गई है, वह बिल्कुल उपयुक्त है, यदि हमें एकतन्त्रवाद को कायम रखना था, तो आवश्यकता नहीं थी इसे बदलने की।

३ म० प०

अब दूसरी बात यह है कि विकास खण्ड में ग्राम सेवक रखते हैं, ग्राम सेवक हम इस प्रकार के रक्खें, जो सेवाभावी हों, जो समझदार हों, जो स्वास्थ्य का ज्ञान रखता हों, जो शिक्षा का ज्ञान रखता हो, जो छोटे छोटे उद्योगों के बारे में ज्ञान रखता हो, गांव में जो कुप्रथायें हैं, उनको हटाने की, उनको दूर करने की और लोगों में उनके विरुद्ध प्रचार करने की जिसमें शक्ति हो, जिसके अन्दर लोगों को समझाने की शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त करें, तो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। हम आज देखते हैं कि सिर्फ मेट्रिक पास या मिडिल पास व्यक्ति को भेज देते हैं, ऐसी स्थिति है कि ऐसे व्यक्ति को दो चार महीने ट्रेनिंग देकर ग्रामों में भेज देते हैं, लेकिन न तो वह बोल सकता है, न वो जनता को समझा सकता है और न वो खुद समझता है, केवल अपना पेट भरने के लिए वहां जाता है। आज जब हम गांवों का विकास करने जा रहे हैं और वहां ग्राम सेवक को नियुक्त करते हैं, जिस पर हमारे विकास की आधार शिला है, हम चाहते हैं कि इस ग्राम सेवक के जरिये ग्राम विकास के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा सहायता हो सके, अगर वह ग्राम सेवक इन बातों के उपयुक्त नहीं है तो कदापि ग्रामों की हालत ठीक नहीं हो सकती। यही कारण है, जिसकी वजह से विकास खण्डों के अन्दर कुछ काम नहीं हो रहा है और गांवों की जो उन्नति हम चाहते हैं वह नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे ग्राम सेवक ठीक नहीं हैं।

इसी प्रकार जो बी. डी. ओ. हैं उनको यह ट्रेनिंग दी जानी चाहिये जिससे उनके

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

दिमाग से यह बात हट जाय कि वे ऑफिसर हैं, उन्हें अपने आपको सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के रूप में समझना चाहिए, उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए कि वे जनता का सामाजिक कल्याण कैसे कर सकते हैं, जनता के कष्टों को कैसे दूर कर सकते हैं, इन कार्यों के लिए वह जनता को समझा सकें, उनमें यह गुण होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को बी. डी. ओ. और ग्राम सेवक की जगह नियुक्त करेंगे तो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अन्यथा सिर्फ कागजी कार्यवाही होगी, कि इतने लाख रुपये खर्च कर दिये हैं। मैं समझता हूं अगर लाख रुपये किसी गांव के निवासी को दे देंगे तो वह भी खर्च कर देगा, लेकिन लाख रुपये खर्च करने के बाद में क्या फायदा उठाया है, ग्रामीण जनता ने उससे क्या फायदा उठाया है, यह देखा नहीं जाता तो वह खर्च उपयोगी नहीं हो सकता।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्राइमरी एजुकेशन टैक्स व दीगर टैक्स के बारे में, जो कि रिपोर्ट में दर्ज है, मैं उसके खिलाफ हूं। अगर पंचायतों को इस बारे में अधिकार दिया गया, तो मैं कहता हूं, कि यह पंचायतों के लिए बड़ी कठिन समस्या हो जायगी। एक तरफ विकास कार्यों के लिए जनता से वे पैसा मांगते हैं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वहां वे लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे तो उन्हें बड़ी कठिनाई आ जायगी। इस रिपोर्ट में बताया है कि प्राइमरी एजुकेशन टैक्स लगाया जाय। जब राजा लोगों के टाइम में शिक्षा के ऊपर टैक्स लगाया जाता था तो हम विरोध करते थे, लेकिन आज प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाने की सलाह दी जाती है, यह हमारे सिद्धान्त के खिलाफ बात है। आज प्राइमरी एजुकेशन पर टैक्स लगाने के लिए पंचायतों को कहा जाय तो यह कदापि उचित नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इनडाइरेक्ट टैक्सेशन हो, जिससे हम गांवों का विकास कर सकें। जितनी हमारी आर्थिक स्थिति है, उसके मुताबिक ही ग्रामों की उन्नति के लिए हम पैसा खर्च करें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम एकदम चलें। जिन देशों की ये योजनायें हैं, वे देश बड़े उन्नतिशील हैं, उनके पास करोड़ों तो क्या अरबों रुपया है, काफी धन-राशि उनके पास है। फिर भी उन देशों ने पूरी उन्नति नहीं की। आज कमी दुनियां में है, दुनियां में कमी रहेगी, उसको मिटाने के लिये यथा शक्ति प्रयत्न करने चाहिये लेकिन इस प्रकार से प्रयत्न नहीं करने चाहिये, जिससे जन साधारण के दिमाग पर जनतन्त्र के प्रति उल्टा असर पड़े।

रिपोर्ट में एक बात जो कही गई है कि जुडिशियल फंक्शन के लिये अलग पंचायत होनी चाहिये, इससे मैं सहमत हूं; क्योंकि हमने यह सिद्धान्त स्वीकार किया है और ज्यादा जोर इस बात पर हम दे रहे हैं कि प्रशासन और न्याय, इन दोनों के लिए अलग अलग संस्थायें होनी चाहिये, जिससे मनमानी न हो व एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकें। जब हम इस बात को मानते हैं, तब अगर जो पंचायतें योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करती हैं, उनको न्याय करने का अधिकार देते हैं तो यह बड़ी दुविधा की बात हो जायगी, यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिये जो पंचायतों के बारे में, जुडिशियल पंचायत के बारे में मेहता कमेटी की रिपोर्ट है, वह बिल्कुल उपयुक्त है और मैं उससे सहमत हूं।

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

एक बात हमारे सामने यह आती है कि आज तक हम पूरी कामयाबी क्यों हासिल नहीं कर सके। इसके लिए यह जरूरी है कि विकास खंडों को जो रुपया दिया जाय, उसका पहले हम ग्राम पंचायतों की सलाह से प्रोग्राम बनायें। यदि जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने स्कीम बना कर भेज दी, या बी० डी० ओ० कमेटी ने जो सुझाव भेज दिये और उन्होंने यह नहीं सोचा कि किस गांव में किस बात की जरूरत है, किस बात की जरूरत नहीं है और उनको किसी ने अगर कहा कि हम १२०० रुपये लगाने को तैयार हैं, आप स्कूल बनवा दें, तो वहां स्कूल के लिए आॅर्डर कर दिये, जब कि यह जानते नहीं हैं कि वहां पर स्कूल की आवश्यकता है या नहीं, प्रायोरिटी किस बात को देनी चाहिये, इस पर गौर तक नहीं किया, यह उपयुक्त नहीं हो सकता। हमने अगर ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दे दिये कि जो बात वे समझें कि ठीक है वो काम करें, तो यह ठीक होगा और उपयुक्त है, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए बीज देते हैं, वैसे हमारे यहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उस पर बहुत खर्च होता है, वह यह नहीं देखता है कि जो बीज दिया जा रहा है, वह ठीक है या नहीं। मैं अपने इलाके की बात कहता हूं इस इलाके में दिये हुए बीज के बोरे के बोरे दुकानों में पड़े हैं पर वे बिकते नहीं हैं, क्योंकि हमारी सरकार अच्छा बीज देगी, इस आशा में लोगों ने बीज खरीदा नहीं और जिस समय बीज आया तो वह खराब आया जो उनके किसी काम का नहीं हुआ, तो उनको तो पांच गुनी कीमत पर बीज लेना पड़ा और सरकारी बीज पड़ा रहा, इसलिए जो हमारे आॅफिसर हैं वे यह न सोचें कि उन्होंने इतना खाद बांट दिया, इतना बीज बांट दिया, बल्कि उनमें यह भावना आनी चाहिए कि वे कम रुपया खर्च करें और कम बीज बांटें तो हर्ज नहीं, लेकिन वह बीज इस प्रकार का हो जिससे हमारे इस प्रदेश को फायदा हो, जो हमारे प्रदेश के लिए लाभदायक हो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो बीज दिया जाता है वह साढ़े सात सेर बाढ़ी पर दिया जाता है, जो कि तीन रुपये सैंकड़े ब्याज के लगभग पड़ता है। आज हम लोग कहते हैं कि महाजन ब्याज ज्यादा लेते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में महाजनों से भी ज्यादा सरकार ब्याज लेती है। महाजनों से ज्यादा ब्याज लेकर सरकार सोचती है कि हम काश्तकारों की सहायता कर रहे हैं। (करतल-ध्वनि) अजमेर के अन्दर जिन्हें ढ़ाई सेर बाढ़ी पर बीज दिया जाता था, अब वहां साढ़े सात सेर बाढ़ी पर बीज दिया जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि यह किस प्रकार का राज्य आया, जो महाजन से भी ज्यादा ब्याज लेता है। इसलिए, चेयरमेन महोदय, आपके द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर सरकार विचार करे और जो कामों में कमियां हों, उनको दूर करने का प्रयत्न करे, तो मैं समझता हूं कि इन योजनाओं से ज्यादा फायदा होगा और ये योजनायें फलीभूत होंगी।

एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में स्त्रीवर्ग में शिक्षा की कमी है, आज के युग के अन्दर भी स्त्री जाति शिक्षा से वंचित है। आज ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि लड़कों के स्कूल खोले जाते हैं लेकिन लड़कियों के स्कूल नहीं खोले जाते। इसका परिणाम यह होता है कि समाज का एक वर्ग अशिक्षित रहता है इससे सारे समाज में खराबी आने का अंदेशा है। यह सही है कि हमारे

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

सामने यह समस्या है कि हमारे पास शिक्षिकायें नहीं हैं, या पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर पैसे की बात कही जाती है, तो मैं एक सुझाव पेश करूंगा कि जहां दो टीचर्स स्कूल हैं, वहां एक अध्यापक को नियुक्त किया जा सकता है और एक अध्यापिका को नियुक्त किया जा सकता है। जो हमारे यहां प्राइमरी स्कूल हैं, इनमें एक अध्यापक और एक अध्यापिका के रहने से बालक और बालिकाओं दोनों को शिक्षा मिल सकती है। आज हम देखते हैं कि बालकों की तरफ ज्यादा तवज्जह दी जाती है और बालिकाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं, चेअरमैन महोदय, प्रार्थना करूंगा कि विकास खंडों में इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाय तो अच्छी बात होगी।

एक यह बात भी कही गई कि १० हजार तक म्युनिसिपल कमेटियां रहनी चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा आज जो छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनकी बदतर हालत है, क्योंकि वे खुद अपना खर्चा नहीं चला सकतीं। छोटी छोटी यूनिट होने से, छोटे छोटे गांव होने की वजह से। हमारे सब डिविज़न के सरवाड़ गांव में पांच हजार से ज्यादा आदमी नहीं रहते, वह गांव म्युनिसिपेलिटी के अधीन है और वह विकास खंड में नहीं है। वहां म्युनिसिपल कमेटी के पास पैसा नहीं है और वह गांव म्युनिसिपेलिटी की वजह से विकास खड में वह आता नहीं है इससे विकास कार्यों से वंचित है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो म्युनिसिपेलिटियां हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकतीं और पांच पांच हजार, सात सात हजार की या १० हजार से कम जनसंख्या की म्युनिसिपेलिटियां हैं, उनको भंग करना चाहिये और उन म्युनिसिपेलिटियों के स्थान पर ग्राम पंचायतें होनी चाहियें जिससे कि वे ग्राम विकास खंड में ग्राम के कार्य को आगे बढ़ा सकें।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : श्री मुक्तिलाल मोदी।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापतिजी, हाउस के सामने जो बलवन्तरायजी मेहताजी की रिपोर्ट पेश हुई है, उससे हाउस के सभी मेम्बरों को बड़ी खुशी हुई है, परन्तु यह रिपोर्ट अगर हिन्दी के अन्दर हम लोगों को बांटी जाती और अंग्रेजी में नहीं बांटी जाती तो ज्यादा समझ पाते। क्योंकि हमारे जैसे आदमी तो अंग्रेजी बिलकुल नहीं पढ़े हुए हैं, हिन्दी में ही समझ पाते हैं। अंग्रेजी में जितने भी टूटे फूटे शब्द सुन कर, सोच कर, समझ कर जो कुछ इसके बारे में समझ पाया हूं इस हाउस में इस रिपोर्ट के बारे में मैं बोलूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य)

श्री सभापति : Order! Order!!

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी, इस रिपोर्ट के अन्दर पंचायतों, तहसील पंचायतों और जिला बोर्डों के बारे में जो कुछ बलवन्तरायजी मेहता ने बताया है कि तहसील पंचायतें नहीं रहनी चाहिये और जिला बोर्ड भी नहीं रहने चाहिये और जो एक जिला विकास कमेटी बनी है उसी तरह जिला विकास समिति कायम कर दी जावे, तो इसके बारे में तो मैं मानता हूं कि ज़िला बोर्ड नहीं रहना चाहिये, परन्तु तहसील पंचायत के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बारे में जिक इस रिपोर्ट में नहीं किया है, जो अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये तो उन अधिकारों के बाद आगे उसकी अपील की जाय तो वह तहसील पंचायतों के नहीं होने के कारण, दूसरे मुंसिफ, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज जिनके कि पास पहले से ही बहुत काम बढ़ा हुआ है, यह काम आयेगा तो, उनके पास और अधिक काम हो जायगा और इस काम का निबटारा ही नहीं हो पायेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि तहसील पंचायत का होना इस रिपोर्ट में जरूरी था जिससे ग्रामीण जनता को मुंसिफ, सेशन जज, और हाई कोर्ट्स में बरसों तक केस पड़े रहते हैं, फैसले नहीं होते, ऐसी हालत में जिन पंचायतों को जुडिशियल पॉवर दिये जायेंगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने मेहता कमेटी की रिपोर्ट को समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो सभापति महोदय, पहले ही निवेदन कर चुका हूं महाराज कि अंग्रेजी में छपी है, जितना समझ सका हूं उतना ही बोलूंगा। इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि पंचायत परिषद् बनाई जायगी, उसके फैसले की अपील कहां की जायगी ?

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये, डिस्कशन में न जाइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष, इस रिपोर्ट में यदि साफ कर दिया जाता कि पंचायत परिषद् बनेगी उसकी रिपोर्ट, उसकी अपील मजिस्ट्रेट, मुंसिफ, सेशन जज, या तहसील पंचायत बना कर उनके पास की जायगी, तब तो हम को यह कहने की जरूरत नहीं थी. परन्तु इसमें यह साफ नहीं किया गया है इसलिये यह कहने की जरूरत है कि इन पंचायतों की अपील के बारे में तहसील पंचायतें होना जरूरी हैं। परन्तु आज जो प्लान सारे हिन्दुस्तान का बन रहा है, मेरे मित्रों ने कहा कि दूसरे देशों से कर्ज ले ले कर हिन्दुस्तान के अन्दर बड़ी बड़ी बिल्डिगें और बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती हैं, इसको तो मैं भी मानता हूं, सभापति महोदय, कि दूसरे देशों से कर्ज नहीं लेना चाहिये। जिस कार्य के लिये जरूरत है उसको ले कर हिन्दुस्तान की तरक्की करनी चाहिये परन्तु जो कर्ज लिया है और उसका दुरुपयोग सारे हिन्दुस्तान के अन्दर किस तरह से किया जा रहा है, इस तरह का कर्ज हिन्दुस्तान को नहीं लेना चाहिये। आज जो हिन्दुस्तान के लोग हैं वे अपने देश को, गवर्नमेंट को और अपने आपको अलग मानते हैं, दूसरे देशों से कर्ज ले कर वो रुपया .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय ऋण की समस्या पर बोल रहे हैं या बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी साहब, बलवन्तराय जी ने इस रिपोर्ट में जो बातें नहीं बताई हैं वे भी तो बतानी पड़ेंगी।

श्री सभापति : जारी रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में बलवन्त राय जी मेहता को यह ज़ाहिर करना था कि आज भी हिन्दुस्तान को पैसा कर्ज लेने की, हिन्दुस्तान की सरकार को कोई पैसे की आवश्यकता नहीं

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

थी, जैसे एशिया के अन्दर हर बच्चे ने, हर स्त्री ने देश की आज़ादी के लिये खून बहा कर अपने देश को उन्नत किया है, उसी तरह हिन्दुस्तान के ढांचे को सरकार बदलना चाहती तो सरकार उस ढांचे को, उस मशीनरी के पॉवर को, अंग्रेजों की तरह काम में नहीं लाती। जैसे कि गांधीवादी और विनोबा जी के आदर्शों के अनुसार सरकार चलती तो आज इस देश को कोई कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु आज सरकार इस मशीनरी के आधार पर है इसलिये हिन्दुस्तान को अमेरिका से, दूसरे देशों से कर्ज लेने की जरूरत पड़ी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जनरल डिस्कशन कर रहे हैं क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष (सभापति) आप बीच बीच में तो न करें, क्योंकि महाराज मैं भूल जाता हूं।

(अनवरत हंसी)

कर्ज वगैरह सभी बताना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : अच्छा, जारी रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष (माननीय सभापतिजी), जो भी आज बलवन्त राय मेहता साहब ने रिपोर्ट लिखी वह तो बड़ी खुशी की बात हुई, आज वह पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, सारे हिन्दुस्तान के इलेक्शन का ढांचा बदला जाय और उसमें करोड़ों अरबों रुपया किसी तरह पानी की तरह से बहाया जाता है, इस ढांचे को बदल कर इस रिपोर्ट में मेन्शन कर के ग्राम पंचायतों के आधार पर पार्लियामेंट और कौंसिल ऑफ स्टेट के आधार पर सारी रिपोर्ट लिख जाते तब तो मैं मान लेता कि इस रिपोर्ट में जो चीजें लिखी हैं, बराबर ठीक हैं, पर इस रिपोर्ट में रुपये में से एक पैसा लिख दिया पौने सौलह आने लिखा ही नहीं। इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा उसके बारे में समर्थन करूंगा पर जो इस रिपोर्ट में पूरी तरह मेन्शन करना चाहिये था वह नहीं लिखा। सरकार की ओर से इस पर एक भाषण दे दिया पर जनता और सरकार दोनों एक मिल कर कार्य करना चाहिये तभी हिन्दुस्तान की तरक्की हो सकती है, वर्ना यह एक रिपोर्ट तो क्या १० रिपोर्टें आजाय, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सैकिन्ड फाइव इयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान बना लें, हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। जो लोग हुकूमत चलाने वाले हैं उनकी जेबों में वह पैसे जायेंगे, जनता के कामों में व जनता का पैसा खर्च नहीं होगा। ग्राम पंचायतों को अधिकार दे दें और इस रिपोर्ट के बदले में १० रिपोर्ट बना लें, पर ग्राम वासियों का भला नहीं होने वाला है, भला उन लोगों का होगा, जो आज अपनी बदमाशी से घूस की बदौलत जनता को महरूम करके, गुमराह करके, भुलावे में डाल कर आगे बढ़ जाते हैं, उनका भला होगा। आज बड़े बड़े भाषण देते हैं, कानून पास करते हैं, पर उन कानूनों को जो हम यहां बैठ कर कानून बनाते हैं, बजट पास करते हैं, उस बजट के आधार पर असेंबली में पास करते हैं हमारा कर्ज होना चाहिये कि राजस्थान का एक भी पैसा, राजस्थान का एक भी अफसर राजस्थान के पैसे का उपयोग नहीं करता है तो उसमें दिलचस्पी से काम करना चाहिये।

तो अपन को खुद को उसके अन्दर दिलचस्पी से काम करना चाहिये और वह

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

आज की मशीनरी नहीं कर रही है और आज उसका कोई प्रबन्ध नहीं होने के कारण, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यदि ग्राम पंचायतों को अधिकार दे दिया जावेगा तो ही क्या ? उन पर तो वही मशीनरी बैठी है जो आज से १०,२०,५० और १०० वर्ष पहले थी। आज सारे हिन्दुस्तान में, राजस्थान में ही क्या जितने भी मिनिस्टर बने हैं उसी मशीनरी के आधार पर बने हैं और चलते हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिये माननीय चेयरमेन जितना भी...

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : आपको मेहता रिपोर्ट पर बोलना है फिर मिनिस्टर कैसे यहां आते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति, आप बीच बीच में न करें। इसमें मेरा कहना यह है कि इसका सारा एमेन्डमेंट होना चाहिये और एमेन्डमेंट करके ही यह रिपोर्ट हाउस में पेश होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य (अश्रव्य)।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

(एक दो माननीय सदस्यों के बैठे बैठे ही बोलने पर)

श्री सभापति: Order! Order, Please!!

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति, मैं इस हाउस के लोगों को बता दूं कि रूस में किस तरह की पंचायतें थीं और अगर कोई सुनना चाहें तो सुना दूं।

श्री सभापति : आप कितना समय और लेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ५ मिनिट और बोलना है।

श्री सभापति : ५ मिनिट बहुत हो जावेंगे।

(श्री चन्दनमल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री मुक्तिलाल मोदी : थोड़ा समय तो और बोलने दें।

माननीय सभापति, वहां पर रूस में बिल्कुल बनी है।

श्री सभापति : आप बलवन्त राय प्रणाली पर बोल रहे हैं रूस की प्रणाली पर नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं उसके अन्दर भी एग्ज़ाम्पल्स तो दे दूं।

श्री सभापति : आप अपना समय नष्ट न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जहां तक ग्राम पंचायतें हैं, उनकी चुनाव-प्रणाली अगर नहीं बदली जावेंगी तब तक उसका विकास, समस्त देश की उन्नति, देश के पैसे का उपयोग अच्छी तरह से नहीं होगा। इस रिपोर्ट में जिस तरह से चुनाव प्रणाली बदली है वह और भी गलत कर दिया है।

श्री सभापति : आप बलवन्तराय रिपोर्ट से चुनाव के विषय पर चले गये। आप विषयान्तर हो गये हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसमें भी पंचायत परिषद् के चुनाव के बारे में भी है।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐसी चीज है कि गांव के अन्दर और दूसरे जो भी प्लान रखिये वह सरकार की मशीनरी और गांव वाले जब तक मिल कर काम नहीं करेंगे सरकार का पैसा यों ही खर्च होगा। और इस बात को बलवन्तराय मेहता की रिपोर्ट में माना है और कहा है कि जब तक सरकार की मशीनरी और ग्राम पंचायतें जब तक एक नहीं होंगी तब तक पब्लिक के पैसे हैं, उसका उपयोग ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। अभी जो इस वक्त ढांचा चल रहा है उसमें सरकार अपने को अलग समझती है और ग्राम पंचायतें अपने को अलग समझती हैं और इसीलिये देश की उन्नति आज नहीं हो पाती है। मेरा यह कहना है कि आज इस रिपोर्ट में जो भी कुछ जिला बोर्ड के बारे में कहा कि ये नहीं होने चाहिये। उसके बारे में तो मैं इस रिपोर्ट के बारे में यह निवेदन करूंगा कि जिला बोर्ड बिल्कुल हो नहीं होने चाहिये, क्योंकि आज यह मालूम नहीं होता कि राजस्थान में कम से कम १/४ हिस्से से भी कम जनता पर टैक्स लग रहा है। एक आना रुपया वह काश्तकारों पर और तीन हिस्से हैं उन पर टैक्स नहीं लग रहा है। यह बात राजस्थान में ही मैंने देखी कि सरकार ने आज १९४९ से लेकर सन् १९५८ हो गया है और खतम होने जा रहा है तो ९ वर्ष में, ९ वर्ष हो गये राजस्थान को बने, इन ९ वर्षों में राजस्थान सरकार उस चीज़ को नहीं समाप्त कर सकी। दो करोड़ की जनता में ५० लाख की जनता पर टैक्स कैसे लगाये जा रहे हैं और १॥ करोड़ पर कैसे टैक्स नहीं लगती है और उसके अन्दर जब तक पूरी तरह से नहीं समझेगी कि हमको सब के साथ एक सा बर्ताव करना है और एक सा कानून बनाना है, जब तक एक सी चीज़ नहीं करते हैं तब तक इस सरकार का हम लोग कैसे विश्वास कर लें और कैसे मान लें कि सरकार आज ५० लाख जनता पर तो टैक्स लेगी और

(घंटी)

१॥ करोड़ जनता पर नहीं लगाती और वह आराम से सो रही है और ५० लाख आदमियों पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम करके टैक्स लगाया है।

श्री सभापति : आपके ५ मिनिट में से दो मिनिट रह गये हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं एक मिनिट में खत्म कर रहा हूं।

अगर उन रुपयों का उपयोग अगर जनता के काम में खर्च होता हो तो मान लें, मगर वह रुपयों का दुरुपयोग ही हो रहा है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि यह बलवन्तराय मेहता ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की और जिला बोर्डों को हटाने को कहा है उसका तो मैं समर्थन करता हूं बाकी जो तहसील पंचायतें हैं उसके अन्दर मैं यह निवेदन करूंगा कि एमेन्डमेंट होना चाहिये और इस हाउस को भी अपने सुझाव उनको भेजने चाहिये। मेरा तो यह प्रस्ताव है। यह नहीं कि उसके अन्दर जो भी लिख दिया वही हो जावे। इसमें और भी कई बातें हैं और मैं यह समझता हूं कि हमें आगे बढ़ कर उसको भेजना चाहिये। वह बात पूरी पड़े या नहीं मगर यह जो अपनी बात है और अपना फर्ज है उसको अदा करना चाहिये। इसलिये मैं, सभापति महोदय, हाउस के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा और मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में एक समिति बनानी

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

चाहिये और वह समिति उसके बारे में विचार करके अगर इस रिपोर्ट के बारे में जो भी कमी हो उसको दूर करके आगे भेजने चाहिये, यह मेरी सभी हाउस के सदस्यों से प्रार्थना है और आप से भी यही प्रार्थना है कि इस बात पर सोच कर कहेंगे और ऐसी चीज़ जब राजस्थान की तरफ से जावेगी तो राजस्थान का बहुत बड़ा नाम होगा ।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय सभापति, बलवन्त राय कमेटी के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं ...

एक माननीय सदस्य : On a point of Order, Sir, दो माननीय सदस्य खड़े हैं ।

श्री सभापति : इनके बाद आपको अवसर दिया जावेगा ।

श्री मनोहर कोठारी : जहां तक इस बलवन्तराय समिति की रिपोर्ट का प्रश्न है, इसको पढ़ने के बाद लगता है कि इस कमेटी ने देश के विभिन्न हिस्सों में और मुख्य ग्रामों के विकास के सम्बन्ध में जो भी दिक्कतें हो सकती थीं, उनका अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है । यह बात तो निश्चित है कि यदि हम निष्पक्ष रूप से विचार करें और उसी दृष्टि से सोचें तो हमें यह मानना ही पड़ेगा

(करतल-ध्वनि)

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पदासीन)

कि हमारे विकास के मुख्य आधार आखिर क्या हैं इस पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है । अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सबसे पहला आधार ग्राम पंचायतें हुआ करती हैं । किसी भी विकास की दृष्टि से हम देखें तो, दूसरा महत्वपूर्ण आधार हो सकता है सहकारी समिति के रूप में विकास कार्यों को हाथ में लिया जाना । लेकिन जब आज हम ग्राम पंचायतों को वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने बैठते हैं तो यह पता लगता है कि आये दिन जो मुसीबतें हम सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में महसूस करते हैं उसमें पंचायतों का पूरा योग नहीं है । हमारे सामने यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान पंचायतों का जो ढांचा बड़ा ही उलझा हुआ है और साथ ही साथ अनुपयोगी भी है । विकास के कार्यों में पंचायतें अधिक उपयोगी हो सकती हैं बशर्ते कि पंचायत में काम करने वाले लोग सेवा की भावना से वहां जाय, लेकिन आज हम देखते हैं कि इन पंचायतों में जो व्यक्ति चुन कर जाते हैं उनका एक यही दृष्टिकोण रहता है कि किसी भी तरीके से सही सत्ता को प्राप्त किया जाय । सिविल और क्रिमिनल पॉवर्स को काम में लेने की दृष्टि से लालायित होकर लोग वहां जाते हैं । मैं आपको उदाहरण के तौर पर अपने ही निर्वाचन क्षेत्र की ही बात निवेदन करना चाहता हूं । वहां दो तहसीलों को मिलाकर दो सामुदायिक विकास खंड चल रहे हैं । लेकिन उनकी अधिकांश पंचायतें, मैं यह नहीं कहता कि सब की सब पंचायतें विकास कार्यों में मदद नहीं करतीं, लेकिन अधिकांश पंचायतें ऐसी हैं कि वे विकास कार्यों में मदद नहीं करतीं । उसके कई कारण हैं । एक मुख्य कारण तो यह है कि ब्लॉक का जो ढांचा रखा गया है, वह तहसीलों के ढांचे पर आधारित है । अर्थात् तहसीलों का जो पुराना ढांचा है वही

(श्री मनोहर कोठारी)

ढांचा सामुदायिक विकास खंडों की सीमा के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है । दूसरा जो पंचायतों का निर्माण किया गया है वह भी गलत ढंग से किया गया है । आमेट में राछुटी ग्राम सेवक का हैडक्वार्टर है, वहां तीन ग्राम पंचायतें लगती हैं । एक ऊमरी जो मांडल तहसील की पंचायत है, दूसरी पारडी जो देवगढ़ तहसील की पंचायत है और तीसरी कोट, जो रायपुर तहसील की पंचायत है । तीनों अलग २ तहसील पचायतों की पंचायतें आमेट तहसील के गांवों से मिलकर बनी हैं । अब आप अन्दाज लगाइये कि राछेटी में अमरी ११ मील दूर पड़ता है और दूसरे जो छोटे २ गांव हैं वे ६,६. व ७,७ मील दूरी पर पड़ते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि एक ग्राम सेवक से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि तीनों पचायतों में जा कर अपनी शक्ति का उपयोग करे और वह वहां से सहयोग प्राप्त कर सके, क्योंकि इन पंचायतों में अधिकांश गाव अन्य तहसीलों के होते हैं, अतः आमेट के इक्के दुक्के गावों के विकास में रस नहीं लेती और आखिर में जाकर वे पचायतें विकास खंडों में थोड़ा बहुत रुचि भी नहीं दिखा पाती ।

हमें बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट में विशेष तौर पर एक बात देखने को मिलती है वह यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय और यदि स्वभावतया विकास कार्यों का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ तो, मैं समझता हूं कि विकास कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकते । पंचायतों के गठन पर समिति की स्पष्ट राय इस तरह की है कि जिससे पंचायतों की एक बिलकुल ही नई स्थिति हमारे सामने आती है । पंचायतों के चुनावों के लिए स्पष्ट निर्देशन है कि चुनाव जहां तक हो सके सर्वानुमति से कराये जांय और वहां के प्रमुख व्यक्तियों को, इकट्ठा करके सर्व सम्मति से चुनाव किये जा सकें तो उपयुक्त होगा । साथ ही यह भी शंका प्रकट की है कि कई बार यह भी हो सकता है कि किसी कारण से यदि एक राय से चुनाव न करा सकें तो आगे जाकर वहां कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है । यदि इस बात को गंभीरता से सोचते हैं तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि आज जो पंचायतों का वर्गीकरण है वह उपयुक्त नहीं है और व्यवस्थित संचालन की दृष्टि से पंचायतों का पुनर्गठन करना पड़ेगा और उनका वर्गीकरण करना हमारे लिए आवश्यक भी हो जाता है । आज आप तहसील पंचायतों को ही ले लीजिये । एक विकास खंड का हैडक्वार्टर यदि तीन मील दूर है तो वहां दूसरी तहसील पंचायतों के गांव शुरू हो जाते हैं और दूसरी तहसील पंचायतों के जो गांव हैं दूर होने से इन दोनों के बीच के जो गांव हैं वे छूट जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि बीच के ऐसे छूटे हुए गांव सूखे और बेकार पड़े रह जाते हैं । वे लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण लोगों में यह भावना घर करती जारही है कि यह क्या विकास कार्य हो रहा है ? इसका बड़ा भारी असर लोगों के दिलों पर, उनकी विकास कार्यों की भावनाओं पर पड़ता है । मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि आये दिन जो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उन पर विचार करना आवश्यक हो जाता है । इसलिए तहसील पंचायतों का नये सिरे से गठन होना चाहिये अन्यथा विकास के कार्यों में बाधा पड़ेगी ।

सामुदायिक विकास योजना में एक बात इस रिपोर्ट में स्पष्ट मालूम नहीं होती है ।

(श्री मनोहर कोटारी)

पंचायतों की निजी पूंजी आज अधिकांश रूप में श्रमदान से ही पूरी की जाती है, परिणाम यह होता है कि जब विकास कार्य शुरू होते हैं तो कई महीनों तक लगातार श्रमदान कार्य जारी रखा जाता है, उसका नतीजा यह होता है कि यह श्रमदान पूरा हो नहीं पाता और काम अधूरा पड़ा रह जाता है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है इसलिए वे उन कामों को अन्य साधनों से पूरा नहीं कर पातीं। इसलिए उसके लिए कोई निश्चित माप-दंड हो कि इतना श्रमदान जो भी पंचायत का क्षेत्र कर सके, वहां विकास कार्य शुरू कर देना चाहिये।

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पंचायतों को बजाए पंचायत समितियों से स्वीकृति किये जांय। मैं समझता हूं कि यह चीज़ उपयुक्त नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि हमें पंचायतों और विकास खंडों में तालमेल करना है, क्योंकि विकास कार्यों को हम पंचायतों के जरिये पूरा कराना चाहते हैं, अतः होना तो यह चाहिये कि विकास के सम्बन्ध में जो परामर्शदात्री समिति है उसी के जरिये बजट पास होना चाहिये ताकि उसमें यह विचार किया जा सके कि जितनी आर्थिक सहायता पंचायत दे सकती है और कितनी रकम एडवाइज़री बोर्ड के जरिये से खर्च की जा सकती है। यह एक बात सोचने की है और आज उसकी आवश्यकता भी स्पष्ट परिलक्षित हो रही है।

दूसरी बात यह कि पंचायतों की आज जो स्थिति है, उसको देखते हुए, जब तक वहां पर पूरे समय के लिए वैतनिक एक चपरासी और एक सेक्रेटरी नहीं होंगे तब तक पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों में आज जो सीमा है अथवा लम्बे चौड़े हिस्सों को मिलाकर आज जो पंचायतें बनाई जाती हैं अथवा दूर दूर स्थित गांवों को मिलाकर जो पंचायतें बनी हुई हैं, उनसे लोगों को बड़ी मुसीबतें होती हैं। होना तो यह चाहिये कि पंचायतों में पूरे समय के लिए एक चपरासी और एक सेक्रेटरी रहे, चाहे सरकार, यदि ग्राम पंचायत उनका वेतन न दे सके तो, अपने विशेष फन्ड से उसकी पूर्ति करे या गांव वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करें, पंचायत के कोष से उसकी पूर्ति करें।

एक बात मैं विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज जो पंचायतों में सेक्रेटरी रहते हैं और पंचायतों का फैसला लिखते हैं, वे अधिकांश में वे ही कर्मचारी हैं, जो पुराने ठिकानों के कामदार रहे हैं, वे उसी लहजे में और उसी भाषा में फैसले लिखा करते हैं। इससे नतीजा यह होता है कि उन फैसलों में न्याय की कम गुन्जाइश रहती है। इसलिए ऐसे, सेक्रेटरीज़ को, आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए. उनके प्रशिक्षण के लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए जिससे जनतन्त्रीय प्रणाली के आधार पर उन पंचायतों में न्याय की व्यवस्था की जा सके। आज हम मजिस्ट्रेट की व्यवस्था करते हैं तो किसी लॉ के क्वालिफाइड व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ बनाते हैं। वहां पर वकीलों की व्यवस्था होती है वे भी कानून को जानते हों। जहां आज पंचायतों को इतने अधिकार दिए हुए हैं और पंच न्याय करने बैठते हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यदि वे न्याय में प्रशिक्षित नहीं हैं, तो वे उपयुक्त न्याय दे सकेंगे। इसीलिए समिति ने भी सुझाव दिया है कि चरित्रवान व्यक्तियों का एक पैनल हो जो कानून की जानकारी रखता हो, जिनकी वहां

(श्री मनोहर कोठारी)

रिपुटेशन हो उनको जुडिशियल अधिकार देने चाहिए, जिसमें से कलेक्टर या एस० डी० ओ० एक जुडिशियल बोडी की हैसियत से स्वीकार करें जो कुल मिला कर उक्त क्षेत्र में न्याय का काम कर सके।

एक बात इस संबंध में मैं विशेष रूप से निवेदन कर देना चाहता हूँ जो कि इस कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है। अभी भूमि-वितरण संबंधी व्यवस्था पंचायतों के जरिए नहीं होती जो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। होना वह चाहिए कि भूमि-वितरण का काम भी पंचायतों को सौंप दिया जाय; ताकि जो वास्तव में भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन आसानी से मिल सके। इसी प्रकार भूमि-वितरण की अपीलें एस० डी० ओ०, कलेक्टर तथा कमिश्नर के पास होती हैं। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको जब जमीन नहीं मिलती है तो वह बेचारा आगे अपील करने के लिए कैसे जा सकेगा, क्योंकि अपीलों में काफी खर्चा लग जाता है। इसलिए जो वास्तविक रूप में जमीन पाने का हकदार है, वह वंचित रह जाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि भूमि-वितरण संबंधी संपूर्ण अधिकार भी पंचायतों को मिल जाने चाहियें। अगर इस व्यवस्था में, अपील की गुंजाइश रखी जाय तो वह पंचायत समिति में उसकी अपील की जा सकती है, इसी प्रकार दूसरी अपील ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी में की जा सकती है, इसमें विकास को कोई खर्चा नहीं पड़ता। इस बारे में मेरी एक और सम्मति है। वह यह कि ब्लॉक डेवलपमेन्ट अधिकारी को भूमि-वितरण कमेटी के मेम्बर के रूप में लिया जाना चाहिये। कई जगह बी० डी० ओ० होते हुए भी उनको भूमि-वितरण समितियों में रखा नहीं जाता है और न उनसे सलाह ही ली जाती है। पटवारी लोग जैसी भी रिपोर्ट कर देते हैं उसी के आधार पर जमीन मिल जाती है; परिणाम यह निकलता है कि जिनके पास पहले से ही जमीन ज्यादा है उनको और मिल जाती है। होना यह चाहिए कि इसमें ग्राम सेवक का भी हाथ रहे, उसको अधिकार दिये जाने चाहिये कि वह इस प्रकार की सिफारिश कर सकें कि वास्तव में यह व्यक्ति गरीब है, इसके पास जमीन नहीं है उसको मिलनी चाहिए। इससे यह होगा कि एक ओर यहां ग्राम सेवक की शक्ति बढ़ेगी और उसकी किसानों में साख बढ़ेगी वहां दूसरी ओर ग्राम सेवक की कार्य शक्ति बढ़ेगी और इससे हमारे विकास का ज्यादा से ज्यादा काम हो सकेगा।

एक बात जो श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने थोड़ी देर पहले कही, उन्होंने यह बताया था कि खाद और बीज का वितरण ठीक नहीं होता, उससे हमारे खाद्यान्नों पर कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं वह मेरी समझ में काफी हद तक सही नहीं है। खाद और बीज के वितरण के कारण ही खाद्य की समस्या पर काफी असर पड़ा है। मैं खुद अपने खेत की बात बताऊं हमारे यहां पर प्रोड्यूस के बारे में काफी सुधार हुआ है और वह अच्छे बीज और अच्छे खाद के कारण। इसके अलावा यह भी सही है कि वहां पर जो काम करने वाले हैं वे भी हिम्मतवर आदमी हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह विशेष तौर से अनुभव करता हूं कि ग्राम नेता और ग्राम मुखिया या जो युवक किसान हैं उन लोगों के लिये सरकार की तरफ से खर्चा दिया जाकर उनको कृषि कॉलेज में शिक्षित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की सिफारिश इस रिपोर्ट में कहीं नहीं मिलती, अभी

[श्री मनोहर कोठारी]

कुछ प्रदर्शन-क्षेत्रों के द्वारा जो परीक्षण होते हैं उन परीक्षणों का विशेष लाभ नहीं होता, इसलिये रेगुलर प्रशिक्षण के लिये इस प्रकार की योजना का होना जरूरी है।

इसके सिवाय विकास कार्यों की सफलता की दो कुंजी हैं, एक ग्राम मुखिया और दूसरा ग्राम सेवक, जिसका सबसे बड़ा हाथ रहता है। आज ग्राम सेवकों की ऐसी स्थिति है कि वे काफी काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको किसी प्रकार का स्पेशल अलाउन्स नहीं दिया जाता, जब कि दूसरे और जो अधिकारी होते हैं, जिनका केवल यही काम होता है कि वे स्कीम्स बता देते हैं; उनको स्पेशल पे दी जाती है। इससे एक प्रकार से ग्राम सेवकों में यह भावना पैदा होती जा रही है कि काम तो हम करते हैं, लेकिन स्पेशल पे अधिकारियों को दी जाती है। परिणाम यह होता है कि ग्राम सेवक काम में कम दिलचस्पी लेते हैं।

इसके अलावा एक बात और कहना है, वह यह कि जो ग्राम सेवक राजस्थान में सन् १९५२-५३ से विकास खंडों का काम शुरू हुआ है, तब से ये लोग बराबर काम करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक भी उनको यही ख्याल है कि उनकी टेम्परेरी सर्विस है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस संबन्ध में सारी की सारी लिस्ट सरकार के पास आयी है और उस लिस्ट को सरकार कनफर्म करने का सोच भी रही है, लेकिन इस दिशा में प्रगति नहीं होने के कारण सभी जगह आज यही सुनने में आता है कि उनको टेम्परेरी तौर पर ही रखा गया है। इस संबन्ध में समिति की सिफारिश होती है कि जो भी ग्राम सेवक हैं उनको परमानेन्ट केडर में रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होता।

किशनगढ़ से आने वाले एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि ग्राम सेवकों के लिये बड़े बड़े मकान बनाये जा रहे हैं उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ऐसी बातें सुनता हूं क्योंकि आखिर ग्राम सेवक भी तो बाल बच्चेदार हैं; उनके लिये अगर २५००रुपये खर्च करके मकान बना दिया जाता है तो इसमें एतराज क्या है, उक्त सम्माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं कि उसमें बीजों का गोदाम भी रहता है और उसका कार्यालय भी वहां रहता है। कोई बड़े बड़े महल तो वहां बनते नहीं। ग्राम सेवकों के लिये अगर हम इस प्रकार की सुविधा नहीं देंगे तो, विकास के कार्यों में जिस प्रकार की प्रगति की हम आशा करते है, वह प्रगति हम कभी नहीं ला पायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में आग्रह पूर्वक कहूंगा कि सेवकों को और भी जो सुविधायें दी जा सकती हों. उनको दी जानी चाहिये।

इसके अलावा एक बात मुझे इस रिपोर्ट में कहीं नहीं मिली, वह यह क हम बड़े बड़े शहरों और कस्बों के लिये तो जान और माल की हिफ़ाज़त के लिये पुलिस तैनात करते हैं लेकिन इन छोटे छोटे गांवों के लिये पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं होती। वाच एन्ड वार्ड की भी व्यवस्था नहीं कर सकते, इससे आये दिन छोटी मोटी चोरियां होना, मकानों के ताले टूटना, दुकानों के ताले टूटना, इस प्रकार के मामले होते रहते हैं यह समस्या गांव वालों के सामने आये दिन आती रहती है, इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जहां पंचायतों के फंकशन्स की समिति ने व्यवस्था की है, उसमें इस बात की भी व्यवस्था होती तो ज्यादा उचित होता। यह रिपोर्ट मेरे विचार से एक प्रकार की भूमिका या यों कहें कि एक रूप-रेखा मात्र है हमारे लिये यह आवश्यक नहीं कि हम इसे

श्री मनोहर) कोठारी)

इसी रूप में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। अपने यहां के वातावरण, यहां के ढांचे के अनुसार हम इसमें हेर फेर कर सकते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि वाच एन्ड वार्ड का फंक्शन भी पंचायतों का होना चाहिये।

इसके अलावा एक बात मैं विशेष-रूप से और बताना चाहता हूं वह यह कि विकास क्षेत्रों में ओवरसीयर्स रखे जाते हैं, चाहे वे पी० डब्ल्यू० डी० के हों या इरिगेशन के हों या किसी भी विभाग के ओवरसियर हों, उनका अन्य ओवरसीयरों के समान सम्मान नहीं होता। यह तो कहा नहीं जा सकता कि योग्य आदमी सब ऐसे ही अन्य विभागों में आगये हों तथा ब्लॉकों में कोई योग्य ही नहीं है. इसलिए उनको नज़रअन्दाज किया जाता है। नतीजा यह होता है कि पी० डब्ल्यू० डी० के जो ओवरसियर हैं वे दूसरे ओवरसियरों को अपने से नीचे का अनुभव करते हैं। दूसरा विकास नहीं होने का यह भी कारण है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि विकास क्षेत्र में जो भी ओवरसियर काम करते हैं उनका सम्मान भी उसी प्रकार करना पड़ेगा जो अन्य ओवरसियरों के साथ किया जाता है। जब दूसरे विभागों के ओवरसियरों के साथ तालमेल नहीं होता तो नतीजा यह होता है कि विकास के कार्य में बाधा पहुंचती है।

इसके अलावा हमने देखा है कि एक अध्यापक की स्कूलें खोली जाती हैं, यह उचित नहीं, क्योंकि उस अध्यापक के छुट्टी चले जाने पर स्कूल एक प्रकार से बन्द सा हो जाता है। महीनों प्रयत्न करके जहां स्कूल का ढांचा बनाया जाता है वहां अध्यापक के चार-पांच रोज की छुट्टी चले जाने पर बच्चे वापिस खेल कूद में लग जाते हैं और यदि वापिस उनको एकत्र किया जाय तो काफी समय लग जाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सिंगल टीचर की जगह दो अध्यापकों का स्कूल होना चाहिये ताकि एक अध्यापक तो हमेशा वहां बना ही रहे। इसके अलावा एक अध्यापक ऐसा नियुक्त किया जाना चाहिये जो वहीं का रहने वाला हो। ऐसे स्थानीय अध्यापक को कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बनाया जाना चाहिये। क्योंकि किसानों की कोआपरेटिव सोसाइटी में केवल किसान होते हैं, वैसे ही किसानों में शिक्षा की कमी है ये लोग कानूनी चीजों को जानते नहीं और न पढ़े लिखे ही होते हैं इसलिए जो भी प्रोसीडिंग होती है उसको लिख नहीं पाते। इसलिए जो स्कूल के स्थानीय अध्यापक हों उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी होना चाहिये।

एक बात हमने और देखी है वह यह कि राजस्थान के जो तहसीलदार हैं उनको अधिकांश में ब्लॉक डेवलपमेन्ट अधिकारी बनाया गया है। जो लोग तहसीलदार हैं उन लोगों को सीधा विकास खंड अधिकारी बनाकर नियुक्त किया गया है, समिति ने भी इस बात की सिफारिश की है, सत्तर प्रतिशत अधिकारियों की नियुक्ति सीधी भरती से होनी चाहिये, इसलिए जिन लोगों में विकास की प्रेरणा हो उन लोगों को यह अवसर दिया जाना चाहिए, मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। मैंने ऐसे भी विकास अधिकारी देखे हैं जिनको यदि कलेक्टर या एस० डी० ओ० भी बनाया जाय तो वे नहीं बनना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं मेरे इलाके आमेट में एक ब्लॉक अधिकारी हैं वे इसी प्रकार के हैं उनको एस० डी० ओ या कलेक्टर भी बनाया जाय तो वे बनना पसन्द नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए कि विकास विभाग

(श्री मनोहर कोठारी)

के उच्च अधिकारी बनाये जायं। आज हैसियत वालों को ही तकावी दी जाती है। मेरा यह विचार है कि जिसकी हैसियत है उसको तकावी देने की क्या जरूरत है? जिनको तकावी दी जाती है आज उनकी हैसियत की तसदीक की जाती है।

३-५० म० प०

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पदासीन)

तो नतीजा यह होता है कि वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको तकावी नहीं मिलती।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रिपोर्ट काफी अच्छे ढंग से लिखी गई है। मैं यह नहीं कहता कि सारी की सारी बातें आ गई हैं पर काफी विस्तार से बहुत सी बातों पर अवश्य प्रकाश डाला गया है, यह स्वीकार करना चाहिये। पंचायतों का ढांचा जहां तक इसके अनुसार बदलने की बात है इसमें मेरी सहमति है।

श्री सभापति (रामचन्द्र) : श्री सम्पतराज जी।

श्री हीरा भाई : अभी तो मेरे लिये तय हुआ था।

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : इनके पश्चात् आपको समय दिया जावेगा।

श्री हीराभाई : पर इसके लिये तो पहले से निर्णय दे दिया था।

श्री सम्पतराज (अकलेरा) : सभापति महोदय, बलवन्त राय मेहता की रिपोर्ट पर दो दिन से बहस हो रही है। इस विषय में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में सत्ता के जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बात कही गई है और इसी पर हमारे भावी विकास की नींव पड़ने वाली है। इस तरह से शासन का विकेन्द्रीकरण करने के लिये ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत और जिला परिषद् का प्रावधान इस में किया गया है। यह नींव है। अब हमारे यहां देखा जावे तो इनका प्रावधान हमारे यहां हमारे पंचायत एक्ट में मौजूद है। हमारी ग्राम पंचायत जनता द्वारा चुनी हुई हैं। अब इसमें मेहता रिपोर्ट ने दो महिलाओं और दूसरे दो परिगणित जातियों के स्थान का भी उल्लेख किया है। हमारे यहां भी ऐसा ही है। महिला और परिगणित जाति के सदस्य को लेने की व्यवस्था है। पर इसमें आगे से यह हो कि पंचायत अपने बहुमत से ही उनको चुन लिया करें और सरकार को इसकी सूचना भर देदे। नहीं तो, सरकार का विभाग इसमें बहुत देर करता है। वैसे अभी हमारे यहां पंचायत सम्मेलन भी हुआ था। वहां भी इसका समर्थन किया गया था।

इसके अलावा तहसील पंचायत का प्रावधान है। मैं समझता हूं कि यह ब्लॉक स्तर की पंचायत के बराबर है। इनमें अन्तर नहीं है। इनमें केवल अन्तर थोड़े अधिकारों का है, वे अधिकार इनको दे दिये जावें, इसका मैं समर्थन करता हूं। राजस्थान को छोड़कर अन्य किसी प्रदेश में तहसील पंचायतों का प्रावधान नहीं है विकास का काम भी इन तहसील पंचायतों को अब दे दिया जाय तो फिर कोई अन्तर नहीं रहेगा। यह एक खण्ड-स्तर की ही पंचायत की तरह है।

अब रहा सवाल जिला परिषद का। ये अभी हमारे यहां नहीं हैं।

इसके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डस काम कर रहे हैं। पर उनके काम में भिन्नता है। मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटियां हैं

(श्री सम्पतराज)

वे विकास का काम देखती हैं। इसमें मेहता रिपोर्ट में बताये अनुसार विभागीय अधिकारी हैं, जिला के एम. पी. और एम. एल. ए. हैं। इस सूरत में यह कमेटी जिला परिषद की आवश्यकता को पूरी कर देती है।

इसके अलावा ग्राम पंचायतों को जो अधिकार देने के बारे में मेहता समिति ने सुझाव दिये हैं वे अधिकार ग्राम पंचायतों को मिलने आवश्यक हैं। वैसे हमारे एक्ट में भी अधिकार हैं पर पैसे की कमी और अन्यान्य कारणों से विकास कार्यों को पूरी तरह से चलाने में वे असमर्थ हैं। अब तहसील पंचायतों को अगर वे ही अधिकार दे दिये जाए तो खण्ड स्तर की पंचायत की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेहता समिति ने पंचायत स्तर की समिति को अधिकाधिक अधिकार सौंपने को कहा है और काफी साधन देने को भी कहा है। इसी तरह से तहसील पचायतों को भी जो अधिकार देने की बात कही है वे भी निश्चित तौर से उन्हें सौंपे जाने चाहियें ताकि विकास कार्य अधिकाधिक तीव्र गति से हो सके।

टैक्नकल व्यक्तियों की जहां बात आती है उसके लिए मेहता समिति ने सुझाव दिया है कि इनको एक पंचायत समिति बनाई जावे ये जिले के एक टैक्निकल अधिकारी के मातहत होंगे और प्रशासनिक और कार्य संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार में होंगे। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये अफसर प्रशासनिक दृष्टि से जिले के प्रशासनिक अधिकारी के मातहत भले ही रहें पर पर कार्य संचालन के मामलों में ये तहसील के सरपंचों और पंचायतों के मातहत ही रहने चाहियें।

इस तरह से ये मेरे विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं।

३.५८ म० प०

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

इसके साथ साथ ही यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों का चुनाव इस मेहता समिति की बताई पद्धति से किया जाय।

रहा सवाल बी. डी. ओ. का। ये विकास अधिकारी अभी स्वतन्त्र हैं और इन पर तहसील पंचायतों का अधिकार नहीं है। मेहता रिपोर्ट में बताया गया है कि ये अधिकारी पंचायत स्तर की समितियों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। तो मेरा निवेदन करना यह है जो कि विकास अधिकारी हों वह तहसील पंचायतों के मातहत रहने चाहियें और जो विकास के अन्य ऑफिसर्स हों वह भी तहसील पंचायतों के ही मातहत होने चाहिए। इसके अलावा पंचायतों को, वैसे अभी भी पंचायत एक्ट की धारा २६ (२) के अन्तर्गत लगन वगैरह वसूल करने के अधिकार दिये हैं और इसकी एवज़ में उसको १० प्रतिशत की रकम दी जायेगी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने यह कहा है कि उनको यह अधिकार दिए जायें जल्दी से जल्दी क्योंकि पंचायतों को यह अधिकार सही रूप में अभी तक नहीं दिए गए हैं और यह जरूर दिये जाने चाहियें ताकि पंचायतें प्रभावशाली रूप में कार्य कर सकें।

मतदान प्रणाली के विषय में काफी सदस्यों ने इस सदन के अन्दर अपनी राय जाहिर की है। मेरा स्वयं का पंचायतों का अनुभव यह है कि यह जो हमारी प्रणाली हाथ उठाकर मत देने की है, यह उचित नहीं है क्योंकि इसमें काफी गड़बड़ियां और लड़ाई

(श्री सम्पतराज)

झगड़े होने की सम्भावना है और चुनाव सही अर्थों में बैलट सिस्टम से ही होने चाहिए ताकि लड़ाई झगड़े न हों और तरह से चुनाव हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : बाकी सब प्रश्नों के बारे में वैसे ही है जैसे कि दूसरों ने भाषण दिए।

श्री सम्पतराज जैन : पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्माण किस तरह से किया जाय और पंचायतें भी कायम की जायें या नहीं उसके विषय में इस बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में बात बताई गई है। मेरा ख्याल कि पंचायतों का जो क्षेत्र हो, वह एक पटवारी या दो पटवारियों का जो कार्यक्षेत्र होता है उसके बराबर रखना चाहिए, ताकि लगान आदि वसूल करने का काम सुविधापूर्वक चलाया जा सके। पंचायतों के अन्दर पंच और सरपंचों के लेने के विषय में कोई भी राय इस बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में जाहिर नहीं की गई है। इसके लिए मेरा विचार है कि सरपंचों को और पंचों को बराबर से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पंचायतों में जो सेक्रेटरीज़ होते हैं, उनको ६ महीने या १२ महीने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और साथ ही मैं यह भी सुझाव रखूंगा कि उनको ट्रेनिंग काल में भी कुछ अलॉउन्स मिलना चाहिए। ताकि वह अपनी पूरी लगन के साथ काम कर सकें। साथ ही मैं यह भी सुझाव दूंगा कि पंचों और सरपंचों के लिए कुछ न कुछ शिक्षा की योग्यता अवश्य रखनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए ताकि वह अपना काम ठीक तरह से कर सकें। जो सुझाव इस बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये, उनसे यह निश्चित है कि पंचायतों को और अधिक मिलेंगे। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि पंच और सरपंच के लिए कोई न कोई योग्यता अवश्य रखनी चाहिए तो सरपंच यदि योग्य नहीं हुए और उन्हें काम का अनुभव नहीं हुआ तो विकास का काम जो हम पंचायतों को देने वाले हैं वह ठीक तरह से पूरा होने वाला नहीं है। एक पंचायत में और तहसील पंचायतों में या जो भी समितियां स्थापित होंगी उनमें सबसे बड़ी गड़बड़ी यह होती है कि उनका जो सेक्रेटरी होता है वह बिना वेतन का होता है और उसका नतीजा यह होता है कि उनके कामों में शिथिलता आ जाती है तो और कई बार उनको बरखास्त कर दिया जाता है, न उनकी सर्विसेज़ के लिए ही कोई रूल वगैरा बने हुए हैं और न कोई नियम हैं। ऐसी सूरत में जहां सेक्रेटरीज़ के लिए यह आवश्यक है कि ट्रेनिंग शुदा हो और जैसा मैंने ऊपर भी कहा है कि सेक्रेटरीज़ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इसके साथ ही साथ उनको वेतन भी होना चाहिए और पंच और सरपचों को अलॉउन्सेज़ मिलने चाहिए क्योंकि अभी तक उनको नहीं मिलता है। ऐसी सूरत में कम से कम उनको यात्रा भत्ता तो मिलना चाहिए और जब उनको कुछ मिलेगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझ सकेंगे

तकावी वितरण, प्राइमरी स्कूल्स और औषधालय आदि तमाम ऐसी उन्नति के काम पंचायतों के अधीन होने चाहिए। जब प्राइमरी स्कूल इन पंचायतों के अधीन हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि तहसील पंचायतें कायम रहती हैं तो फिर ज़िला बोर्डों की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं और यह कायम नहीं होने चाहियें।

एक बात मैं निवेदन करता हूं कि विकास कार्यों में अभी तक सरकारी अधिकारी लगाये जाते हैं। आप प्रशासन के मामलों में तो

(श्री सम्पतराज)

सरकारी अधिकारी लगा सकते हैं लेकिन विकास का जहां तक सवाल है यह काम कार्य-कर्त्ताओं का है और इसके अन्दर योग्य कार्य-कर्त्ताओं को लेना चाहिए। इसकी ओर दूसरे राज्यों ने सोचा है और मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट ने इस ओर पथ प्रदर्शन किया है और उन्होंने विकास कार्यों को करने के लिए खास तौर से रामचन्द्र रवाल को विकास अधिकारी नियुक्त किया है जो कि एक कार्यकर्त्ता थे। इसी तरह से गांवों के अन्दर जिन चीजों की आवश्यकता होती है या जनता को जिन चीजों की आवश्यकता होती है या जहां-जहां सरकारी कार्यों के लिए जितनी आवश्यकता पड़ती है, वह सब अधिकारी तहसील पंचायतों को मिलने चाहिए। अभी राजस्थान गवर्नमेन्ट ने पंचायत सम्मेलन आमंत्रित किया था और जिसमें पांच हजार सरपंच एकत्र हुए थे और जहां पर इस बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया था और उन्होंने यह सिफारिश की है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों का जैसा स्वरूप है....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सर्व विदित है।

श्री सम्पतराज जैन : उसे कायम रखा जाना चाहिए। उनके विकास का काम उन्हीं के ऊपर सौंपा जाना चाहिए। राजस्थान पंचायत सम्मेलन ने यह स्वीकार किया है कि पंचायत स्तर पर कमेटियों की स्थापना की जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि जो रूप राजस्थान के अन्दर ग्राम पचायतों का मौजूद है, वह राजस्थान पंचायत अधिनियम के अनुसार तहसील पचायतों का और डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी का भी यही स्वरूप कायम रखा जाना चाहिए और इन्हीं ज़िला परिषद् के मातहत विकास के कामों को सौंपा जाना चाहिए। न्याय का जहां तक सवाल है इसके बारे में मेरा निवेदन है कि अगर न्याय का काम पंचायतों से अलग रख दिया गया तो इन पंचायतों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरा विचार है कि न्याय के मामले पंचायतों को सौंप दिए जाने चाहियें। वैसे दो तीन सालों में पंचायतों के पास न्याय के मामले कम रह गए हैं। १९५३ का जब पंचायत एक्ट बना, इसमें अधिकार विकेन्द्रित कर दिए गए हैं और उसमें ऐसा कर दिया कि मामलों को केवल पंचायत ही सुनें और मजिस्ट्रेट कोर्ट भी सुन सकता है। ऐसी सूरत में पंचायतों के पास काम कम रह गया। इसलिए मेरा यह विचार है कि न्याय को पंचायत के सुपुर्द ही किया जाना चाहिए क्योंकि वहां के लोग वहां की परिस्थितियों से परिचित होते हैं।

सामुदायिक विकास योजना का जहां तक सवाल है, अगर इनको पूरी तरह से समय पर पैसा दिया गया और अगर ग्राम पंचायतों के इसके संबंध में उच्चाधिकार सौंपे गए और सरकारी मशीनरी से पूरा सहयोग दिया गया तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पंचायतें प्रजातंत्र की नींव दृढ़ करने में सफल होंगी और हमारे यहां पंचायतें सम्पूर्ण रूप से स्वराज्य लाने में अवश्य सफल होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the purpose of this discussion to my mind was to advise the Government as to whether the changes that have been suggested in the Balwant Rai Mehta report should be made or not. Looking to the attendance in the Treasury Benches, Sir, I

(राजा श्री मानसिंह)

feel that the Government has already made up its mind as to what it intends to do, and our advice is being placed before deaf ears...

श्री उपाध्यक्ष : That is the assumption.

राजा श्री मानसिंह : There are many points, Sir on which the members of this House differ with this report. I do not want to unnecessarily duplicate the opinions that other members have expressed, but there are certain fundamental points on which I do feel certain emphasis is required.

The difference between the present system of decentralisation and that as suggested in the report should be carefully studied. At present we have village panchayats, which are elected from groups of villages and which have both judicial and executive powers. Above them there is Tehsil Panchayat which is a parent body over the judicial and administrative functions of the village panchayat. These Tehsil panchayats, in their administrative judgements are the final authority, but with regard to their judicial judgments, revision can be made to the District Judge. Apart from the indirect election by the Panchayats of the Tehsil Panchayat, there is also provision of forming District Boards to which the Village panchayats elect the members. The District Boards, if they had been formed, they could quite easily have co-ordinated the development programmes of the village panchayats.

In the meanwhile we have, Sir. Block Advisory committees in Tehsils and the District Development Committees for the Districts. These committees though they are not statutory bodies, try their best to co-ordinate the various development programmes within the block area or within the district. The suggestions that have been made, on the other hand, in the report, are that there should be a village panchayat which should have administrative functions in certain spheres of development work, but no judicial power. With regard to judicial powers, they have suggested that the members of the panchayats should recommend a panel of names to be approved by the S. D. M.

Above these panchayats, it has recommended that there should be a Panchayat Samiti at the block or tehsil level. The constitution of this Panchayat Samiti is in actual fact not different to that of existing Block development Committees, except that the present Block Development Committees are not statutory bodies. Similarly for district co-ordination, it has been suggested to have a Jila Parishad which again is similar to that of the District Development Committee. These committees or bodies, as and when framed, are

(राजा श्री मानसिंह)

to have the Collector or the S. D. O. as their Chairman and a Government officer as Secretary, which already exists now.

Looking to these facts, Sir, it is difficult for me, to know whether we are trying to decentralise power or centralise power. I personally prefer the existing system of decentralisation and suggest that district boards should be formed. I also suggest that more powers should be given to our district boards, to tehsil panchayats and to our panchayats. Further, Sir, I do suggest that the judicial functions of the village panchayat should be given to another body which should be indirectly elected by the village panchayats. Quite frankly, Sir, I have been able to reason as to why we want these changes, and the only reason I can think of is that the present party in power wants to remain as such. I strongly oppose the changes suggested as I feel that power will not be decentralised to the representatives of the people, but will only be delegated through the officials to certain bodies which will act as agents of the Government. Even under the present system, Sir, I feel that officials have too much power of which the people are completely dying. In the report it has been suggested that Government officers are to be given voting powers, both in the Jila Parishad and in the Panchayat Samiti. It is quite obvious to me, Sir, that if this is to be done, then the Government through its officers can quite easily control the functions of the Jila Parishad or the Panchayat Samiti, either by the Collector issuing the whip as we have seen in this House also with the majority party, Sir, or by nominating extra officials to out vote the elected members. Officers on the other hand, Sir, will not be able to give that true opinion with regard to the work that will be entrusted to them as they will always be in the fear to go aganist the wishes of the Collecter. Even when they have not been given such powers, Sir, I should like to quote some instances where the little powers of officials have been misused. There is the case of N. E. S. block at Nadbai. The block advisory committee recommended names of certain persons whom they requested the Government to nominate to the advisory committee, but to the surprise of all, Sir, the Collector recommended the names that were not included in the list recommended by the advisory committee. One person was recommended by a Collector only 6 days after he had committed a criminal offence by shooting at Brahmins and Chamars. This is apart from the fact, Sir, that the man nominated happens to be the District Congress Committee's Propaganda Secretary. The other name that the Collector so since-

(राजा श्री मानसिंह)

rely recommended was of a gentleman by the name of Jhandu Singh. The same gentleman had worked in Government service under a different name, under false credentials, but even when this matter was brought to the knowledge of the Collector, he did not do anything. He naturally wanted to suggest to the Government that certain nominees should be nominated because they belonged to the party in power. Another case I would like to give you, Sir, in the same block area, that it was decieded in the meeting of the advisory committee that in a certain circle, the village level worker's headquarter will be situated in the village Godam. The establishment of the village level worker's headquarter has been opposed by the B. D. O. and the village level worker himself, so much that work of building that is put up at public expense with certain help from the Government has been suspended. Why is it ? The actual reason is that the village level worker, whom he talked about so much in the House that he is the only person who can help in developing the standards of the people, is interested to see that this headquarter is not established in a village as it lies within the area where he cannot draw T. A. These are few two instances that I have given to you, Sir. of one singular Block. I am quite certain that if we take trouble, we can find similar cases elsewhere. If the Government is bent upon bringing about the changes that have been said out in the report, then at least I do suggest that Government officials should not be given voting rights and I also suggest that the judicial panchayats should also be formed to carry out the judicial functions. We must all realise that for the final decisions in all the development works, responsibility must lie with the District representatives. There are, however, certain suggestions in the report which I do comment, Sir. It is being suggested that the panchayat should have power to collect land revenue. I believe that the power can be given under the Panchayat Act, even now to the Panchayats. So I request the Government not to delay this suggestion. This suggestion was also made by one of the members of the Treasury Benches some time ago during the Avadi Congress Session held at Avadi. The other suggestion which I like, Sir, was that the zila Parishad or the Panchayat Samitis should be given a large percentage of the land revenue. If they actually name a minimum of 40% and our Government only gives, I think, 30% of land revenue as aid to the panchayats, can also be implemented. This suggestion can be implemented without going through lengthy legislation because there is a provision in the Pan-

(राजा श्री मानसिंह)

chayat Act and as a start we should give 20% of our land revenue to the Panchayats.

Finally, Sir, even going beyond the scope of this report, I should like to suggest a few words that Rajasthan has never wholely had a double Government. It is quite possible that the Centre may bring an amendment in the Constitution and create similar bodies that we are trying to create now in place of this Legislature here. They may create statutory bodies with the Chief Secretary as the head, with Secretaries and heads of Departments as members and one member from each of the Districts as representatives of the people. The scheme sounds as ridiculous as I have been given to understand from the report and what the Government intend to implement. But it is not beyond possibility and before we definitely decide whether the recommendations of the report should be adopted or not, we should look and see whether our position cannot be affected in a similar way.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेहता रिपोर्ट के बारे में दो दिन से हाउस में चर्चा चल रही है, विशेष कर इस अध्याय को लेकर कि डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन ऑफ पावर के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट के अन्दर क्या सुझाव है ? थोड़ी सी बातें इसके पहले में कहना चाहूंगा कि वास्तव में रिपोर्ट की भूमिका कैसे बनी ?

१९५५-५६ में सेकन्ड फाइव इयर प्लान के सम्बन्ध में अच्छा काम हो और धन-राशि जो है वह ठीक ढंग से काम आवे इसके लिये सेन्ट्रल पॉर्लियामेन्ट में फाइनेन्स मिनिस्टर ने सूचना दी थी। उस सुझाव के अनुसार नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल ने एक कमेटी बिठाई थी जिसकी तरफ से एक टीम बनी और उस टीम ने जो रिपोर्ट पेश की वह हमारे सामने है। अब तक की मेरी जानकारी यह है कि वास्तव में यह रिपोर्ट पूरी फाइनल नहीं है क्योंकि उसके कुछ वोल्यूम अब तक पब्लिश नहीं हुए हैं और इसके बाद जो टीम की रिपोर्ट है उसको नेशनल कौंसिल ने एडोप्ट किया या नहीं, इसकी जानकारी भी नहीं है और न रिपोर्ट से ही जानकारी मिलती है। जिस बोडी ने इस टीम को बनाया था उसने भी इसको एडोप्ट किया या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी हम हाउस में इसकी चर्चा कर रहे हैं।

दूसरी बात जो मुझे लग रही है डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन के नाम से एक चीज़ राजस्थान के बारे में। मैं दूसरी स्टेट्स की बात नहीं कहता, हमारे स्टेट में जो पॉवर्स राजस्थान विधान सभा द्वारा कानून पास करके जनता को दिये हैं उन पॉवर्स में से कुछ को, यदि इस रिपोर्ट को एडोप्ट करते हैं तो, छीनने पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट के अनुसार गांवों की जनता को जो पॉवर्स और काम दे चुके हैं यदि इस रिपोर्ट को एडोप्ट करते हैं तो उन दिये हुए अधिकारों में कमी होगी।

कुछ सदस्यों ने कहा कि पंचायतों को कोई विकास कार्य नहीं दिये गये हैं, यह गलत बात है। पंचायतों को डेवलपमेन्ट कार्य के लिये बहुत कुछ अधिकार दिये हुए हैं, लेकिन इस काम को करने के लिये उनके पास

Page No.98

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उपयुक्त अर्थ या फाइनेन्स नहीं है और गवर्नमेन्ट उनको फाइनेन्स दे नहीं पा रही है, इसलिये काम नहीं कर रही हैं, लेकिन यह स्थिति नहीं है कि उनको अधिकार नहीं हैं। उनको बहुत कुछ अधिकार दे चुके हैं और कई पंचायतें कार्य कर भी रही हैं। जहां तक मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, हरेक पंचायत ने डेवलपमेन्ट प्रोग्राम बनाया और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सामने रखा, लेकिन किसी भी पंचायत को काम करने के लिये एक चौथाई रुपया भी नहीं मिला, इसलिये वे काम नहीं कर सकीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पंचायत एक्ट में उनको काम या अधिकार नहीं दिये गये हैं। जिन सदस्यों ने यह बात कही वे शायद इसकी वाकफियत नहीं रखते हैं या वास्तव में पंचायतों को कितना काम दिया गया है और कितना काम वे करती हैं इसकी जानकारी उनको नहीं है। हो सकता है कि सुनी हुई बातें ही उन्होंने कही हों। में निवेदन करूंगा कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में २७६ पंचायते हैं, मैं उन सब में पहुँचता हूं, चाहे वे किसी भी दल की हों। हर पंचायत ने ड्रिंकिंग वाटर के बारे में डेवलपमेन्ट के बारे में, को ऑपरेटिव मूवमेन्ट के बारे में और अन्य बातों के बारे में अपने प्रोग्राम बनाये थे और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सामने रखे थे और सेकन्ड फाइव इयर प्लान के संबंध में भी सुझाव उन्होंने रखे थे, लेकिन उनको कट ऑफ किया गया। उनके सुझावों को लिया नहीं गया। हमने जब कहा तो उत्तर दिया कि हमने अपनी इच्छानुसार बनाया है।

इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट करके आप कौन से अधिक पॉवर उनको देने जा रहे हैं, उल्टे उनके पॉवर्स को काट रहे हैं। आगे चल कर कुछ लोगों ने कहा कि न्याय पंचायतें बनानी चाहिये ताकि आपस में झगड़ा होता है तो आगे जा सकें। पचायत एक्ट में स्पष्ट है कि यदि किसी पचायत के सरपंच और पंचायत के बीच झगड़ा हो तो केस को दूसरी पंचायत में ले जाने का अधिकार है। इससे स्पष्ट है कि यहां पर अन्याय होने की संभावना है। जहां एक तरफ कहते हैं कि पंचायतों के लोग राजनीति में पड़ कर गड़बड़ी करते हैं, इसलिये न्याय पंचायतों को अलग होना चाहिए, पर हमारे पंचायत एक्ट में उसके लिए दूसरा रास्ता दिया गया है कि यदि ऐसी शंका हो कि जिससे सरपंच गलति करके या पक्षपात करके फैसला देने वाला हो तो ऐसी स्थिति में वह अपने फैसले को उस न्याय पंचायत से उठा सकता है और दूसरी पंचायत में ले जा सकता है, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में वह अपने फैसले को ट्रान्सफर करा सकता है, ऐसा प्रोवीज़न इस पंचायत एक्ट में है....

श्री भैरोंसिंह : ट्रान्सफर एप्लीकेशन पर।

श्री मोतीलाल चौधरी : कोई झगड़ा हो या ऐसी स्थिति हो तो वह फैसले को ट्रान्सफर करा सकता है। तो जिस समय पंचायत एक्ट बन रहा था, उस समय सोच-विचार कर इस सदन में, यह जान बूझ कर रखा कि किस हद तक अधिकार हम गांव की पंचायतों को दे सकते हैं और किस हद तक अधिकार आगे देने चाहिए। उस बिल के प्रत्येक क्लॉज़ के ऊपर, जो पॉवर देने के सम्बन्ध में थे पंचायत को, विचार कर रहे थे तो उस समय यह प्रश्न आया कि इतनी कम पॉवर क्यों दे रहे हैं? उस समय कहा गया कि आगे ये पॉवर्स बढ़

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जायेंगे। उस समय यह उद्देश्य था कि पंचायतों को आगे और अधिकार देंगे, कुछ पॉवर्स आगे बढ़ायेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा है कि पॉवर्स में मोडीफिकेशन कर सकते है। यह बात हर स्टेट पर लागू हो यह बात नहीं है, हर स्टेट को लीजिये, यू.पी. को लीजिये, मद्रास को लीजिये, मैं नहीं कह सकता कि वहां पंचायत मंडल सक्सेज़फुल चल सकी हैं। पर हमारे स्टेट में एक नई चीज़ हुई, वह हुई तहसील पंचायत की, उसके सम्बन्ध में जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश हुए हैं, या पंचायत विभाग द्वारा जो आंकड़े पेश हुए हैं, अगर वे सही हैं, तो यह स्पष्ट है कि वे तहसील पंचायतें सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। हो सकता है कि उनके बारे में यहां आलोचना की जाय और कुछ ऐसी बातें कही भी गईं, पर इस प्रकार की बातें स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के बारे में भी कही जा सकती हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि तहसील पंचायतों के द्वारा सुलभ न्याय देने का काम हुआ है और कुछ पंचायतों का काम जमा है। शासन की दृष्टि से देखें तो कोई काम जब करने जायं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कितनीसर्टेन्टी है, यह शासन का दृष्टिकोण जनता के दिमाग में जमना चाहिए और हर काम को इस रूप से करना चाहिए। पांच साल पहले यह पंचायत एक्ट बनाया गया, उसके अनुसार चुनाव कराये गये और चुनी हुई पंचायतों के मुताबिक काम चल रहा है। यदि हम इस रिपोर्ट के अनुसार चलें तो जनता में यह भाव आयेगा कि सरकार की नीति निश्चत् नहीं है, सरकार द्वारा बनाया गया ढांचा पक्का नहीं है। इस भाव के आधार पर कह सकते हैं कि ग्रामीण जनता शिक्षित नहीं है, लेकिन हमें यह मान कर चलना चाहिए कि जो शिक्षित हैं वे भी गलतियां करते हैं, अभी हाल ही में हुए मूंदड़ा कांड को देख कर हम कह सकते हैं कि इतने बड़े शिक्षित लोग भी ऐसे काम करते हैं। तो गांव के आदमियों के बारे में मेरी अब भी यह राय है और मैं इस बात को मान कर चलने वाला हूं कि उनकी नीयत में खराबी नहीं है। हो सकता है कि उन्हें पूरी जानकारी न मिली हो, इसलिए कुछ गलति हुई हो, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी देना हमारा कर्त्तव्य है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल से राजस्थान में जो स्थिति है, उसको देखते हुए यह उचित नहीं है कि नया ढांचा बनाया जावे।

आगे जाकर यह बताया है कि एक तरह से जनता के अन्दर यह भावना पैदा करनी है कि डीसेन्ट्रलाइज़ेशन कर रहे हैं, वह किस त ह से कर रहे हैं। सेकिंड फाइव इअर प्लान को देखें तो जो काम चल रहे हैं, उसके लिए देखा जाय कि क्या तमाम डेवलपमेंट के काम सुचारु रूप से कर रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट और एन. ई. एस. ब्लॉक्स का सारा काम निकम्मा है, वह सिर्फ १५ पर्सेंट के लिए हो रहा है। एक तरफ यह हो रहा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, उसके लिए निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की रकम इस देश के काम में आ सकती है, लेकिन इस बोर्ड को अलग से अधिकार दिये हैं। इस विधान सभा को अधिकार है कि इस इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो बजट बनेगा, उसकी सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस विधान सभा के सदस्यों, जो जनता के चुने हुए लोग हैं, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यदि इस बोर्ड में कोई गड़बड़ी होती है, यदि हम

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उसके बजट में कमी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस असेम्बली को भी अधिकार नहीं है। तो जिस बोर्ड में गवर्नमेंट के प्लान का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसके लिए भी राजस्थान की असेम्बली के अधिकार छीने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डीसेन्ट्रलाइज़ेशन कर रहे हैं, यह डीसेन्ट्रलाइज़ेशन सिर्फ १५ पर्सेन्ट पर लगाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है?

मैं थोड़ा और आगे जाऊं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें सन्देह हो रहा है कि स्टेचुटरी बोडी के नाम से जो पंचायत समिति बना रहे हैं, जो जिला समिति बना रहे हैं, उसके पास क्या कोई नये अधिकार रहेंगे? अभी हमारे यहां अर्बन कमेटी, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी हैं, जिन्हें सरपंच अटेन्ड करते हैं, जिन्हें एम. एल. एज़. अटेन्ड करते हैं, एम. पी. अटेन्ड करते हैं। इस ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी के अन्दर भाग लेने वाले सरपंच चुने हुए होते हैं, एम. एल. एज़. चुने हुए होते हैं, एम. पी. चुने होते हैं, और वह कमेटी अच्छा काम कर रही है। अगर इसी कमेटी को स्टेचुटरी कमेटी मान लें तो क्या बुरा हो? लेकिन जो स्टेचुटरी बोर्ड की योजना है उससे मुझे सन्देह होता है कि यह समिति जनता में यह भावना पैदा करने के लिए, यह धारणा पैदा करने के लिए है और इसके द्वारा डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के नाम से बहुत संख्यक कृषक वर्ग के दिमाग में यह बैठाना चाहते हैं कि डीसेन्ट्रलाइजेशन हुआ है। मुझे सन्देह है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रिक बोर्ड बना है, जिस प्रकार से एजुकेशन बोर्ड बना है, जिनके इन्वेस्टमेंट को कम करने का अधिकार हमें नहीं है, इसी प्रकार से इर्रिगेशन बोर्ड बनेगा, कल मेडीकल बोर्ड बन सकता है और परसों एग्रीकल्चर बोर्ड बन सकता है, जिसमें ८० पर्सेन्ट धन राशि इन्वेस्ट होने वाली है और इस प्रकार हमारे अधिकार धीरे-धीरे छीने जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सन्देह हो सकता है और मुझे ऐसा सन्देह हो रहा है इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को देख कर। इस बोर्ड के अन्दर उन आदमियों को रखा गया है जो राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, वह एक नोमीनेटेड बोर्ड है जिसके हाथ में यह काम सौंपा गया है। यदि उसमें गड़बड़ी होगी तो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते।

इस रिपोर्ट के देखने से मुझे यह साफ ज़ाहिर होता है कि जो एक वातावरण जमा हुआ है पांच साल पहले से। पांच साल पहले हमने एक पंचायत कानून बनाया, उस पंचायत कानून को बना कर हमने पंचायतों के चुनाव करवाये और चुनी हुई पंचायतों के द्वारा काम करने पर हमें सरकार की तरफ से यह सूचना मिली कि पंचायतों का बहुत सुन्दर ढंग से काम चल रहा है और उसको बहुत सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो जनता को न्याय, कानून की दृष्टि से नहीं, कानून की भाषा को इन्टरप्रेट करके नहीं, बल्कि वास्तविक न्याय मिलने की दृष्टि से कार्य हो रहा है। इन न्याय पंचायतों में कानून न हो, कानून का इन्टरप्रिटेशन न हो, इस दृष्टि से हमने पंचायत एक्ट में प्रोवीज़न रखा था कि कोई कानून का जानकार, कोई एडवोकेट पंचायतों में नहीं जा सकता। इससे हमारा दृष्टिकोण यह था कि गांव वाले सही स्थिति को समझ सकते हैं और न्याय दे सकते हैं। इस दृष्टि से इन चुनी हुई पंचायतों को बनाया, पांच साल पहले बनाया, अब उनके दूसरे चुनाव आने वाले हैं, अब उनको कहें कि यह ढचरा रहने वाला नहीं है। इसी

(श्री मोतीलाल चौधरी)

प्रकार हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक कानून बनाया, उससे गांव के लोगों में एक भावना बनी। अब उनसे कहें कि क्योंकि मेहता कमेटी की रिपोर्ट में दूसरा ढांचा है, इसलिए अब दूसरा ढांचा बनेगा, तो इससे गांव की जनता में यह भ्रम पैदा होने देंगे कि जो अधिकार उन्हें दिये गये है, उन्हें वापिस हम उनसे छीनने वाले हैं। गांव वालों ने अब तक एक तरीका अख्तियार कर लिया था कि पंचायतों के चुनाव इस तरह होते हैं, डिस्ट्रक्ट बोर्ड के चुनाव इस तरह होते हैं, अब अगर नया रूप देंगे, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जिस समय पंचायतों के चुनाव हो रहे थे तो पढ़े लिखे आदमियों को यह मालूम नहीं था कि पंचायतों के चुनाव कैसे होंगे। उस समय गांवके अच्छे से अच्छे कार्यकर्त्ता को चुनाव के तरीके के बारे में जानने में, काम करने में डिफिकल्टी हुई। मैं थोड़ा और आगे बढ़ कर कहूं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के अन्दर रिटर्निंग ऑफिसर को कहां तक अधिकार है, या कलेक्टर के क्या अधिकार हैं, यह उन्हें पता नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़िला या तहसील पंचायत के कार्य में हस्तक्षेप किया, उनको वह जानकारी नहीं थी कि कितनी पॉवर उनकी है। मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि पढ़े लिखे आदमियों को कोई जानकारी नहीं हो सकी। आखिर पिछले पांच सालों में जनता के दिमाग में यह बैठा दिया, कि इस ढांचे के निर्माण करने का तरीका यह है, उसके बाद जो चुनाव का तरीका है, उसको बदल देंगे, तो मैं महसूस करता हूं कि इससे गांवों में भ्रम आयेगा और हो सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पांच साल में फिर तरीका बदल जाय।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह डेवलपमेंट के बारे में है। बहुत सुन्दर भाषा है इसकी। डेवलपमेंट वर्क के बारे में गांवों और शहरों को अलग अलग रखा गया है, फर्स्ट फाइव इयर प्लान में, सेकन्ड फाइव इयर प्लान में, गांवों में कोई स्कूल बनती है तो, गांवों में कोई हॉस्पिटल बनता है तो, लोकलसेल्फ डिपार्टमेंट से आधा रुपया मिलेगा, आधा रुपया वहां की जनता को लगाना पड़ेगा, वहीं शहरों में कोई स्कूल, कोई हास्पिटल बनेगा तो पूरा रुपया गवर्नमेंट देगी। आप शुरू से प्लॉन को उठा कर देखिये तो आपको पता चलेगा कि शहरों में कोई कार्य पीपुल की तरफ से नहीं हुआ है। जो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनमें ६० पर्सेन्ट के ऊपर अर्बन एरिया में हुआ है, ४० पर्सेन्ट विलेज एरिया में हुआ है उसमें भी इस शर्त पर कि ५० पर्सेन्ट गांव के लोग लगायेंगे तो ५० पर्सेन्ट गवर्नमेंट लगायेगी, तब किया है आज हर पंचायत में पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा है। दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट का जहां तक सवाल है कह सकता हूं कि कम से कम १००पंचायतें आज ऐसी हैं जिनके अन्दर चार-चार हजार, पांच-पांच हजार रुपया पड़ा है पर डेवलपमेंट के लिये रुपया मांगते हैं पर उन्हें नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि गांवों में विकास के लिये भावना नहीं है, अगर गांवोंमें विकास के लिए भावना नहीं होती तो आज जो डेवलपमेंट का नक्शा है वह नहीं होता। १९५६-५७ में राजस्थान का श्रमदान सबसे ऊंचा आया था। गांवों के अन्दर ८० पर्सेंट बिल्डिंग्ज गांवों के लोगों ने बनाई हैं। कहते हैं कि वहां कन्ट्रोल नहीं हैं, पर कन्ट्रोल सही रूप से करना चाहिये अधिकारियों का, जिनकी ओर से गलत तरीके

(श्री मोतीलाल चौधरी)

से खर्च किया जा रहा है। पंचायतों से काम लेना है तो पंचायतें जैसी बनी हुई हैं, पंचायतों की बोडी बनी हुई है, तहसील बोडी बनी हुई है, उस ही को अधिकार दीजिये, जो चुना हुआ ढांचा यूनिट का बना हुआ है उसको ही रखा जाय, चुनावों की जरूरत नहीं, अधिकार जो भी आपको देने हैं वे पंचायतों को देने हैं, पंचायतों के अधिकार तो किसी को देना नहीं। ग्राम सेवकों को, पटवारियों को पंचायतों के नीचे करना है तो पंचायत एक्ट में संशोधन ला कर करायें, चुने हुए यूनिट बन चुके हैं, रह चुके हैं, जनता में निश्चिन्तता पैदा हो गई है कि इसी तरह का ढांचा बना रहेगा, तो ऐसी हालत में जो कुछ आपको एडजस्टमेंट करना है वह इस तरह एडजस्ट करिये कि यह ढांचा ज्यों बना हुआ है उसी तरह रहे, इसको बदलना न पड़े, ग्राम सेवक सर्कल, या पटवार सर्कल करने हैं तो इन्हीं पंचायतों के नीचे उन्हें किया जा सकता है। एक सक्युंलर निकला कि पंचायत सर्कल ग्राम सेवक सर्कल और पटवार सर्कल के माफिक बना देने चाहिये, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मुकर्रर किये व्यक्तियों की यह रिपोर्ट पढ़ते हैं तो दोनां तरफ से अचम्भा होता है। ग्राम पंचायत का सर्कल एरिया गवर्नमेंट डिक्लेअर कर चुकी है, गजट में छप चुका है, चुनाव हो चुके हैं, फिर इनको बदलने से, इस ढांचे में उलट फेर करने से क्या मतलब हल हो सकता है? अगर इन्हें रेवेन्यू के अधिकार देने हैं, पटवारियों को इनके तहत रखना है तो रख लीजिये, पॉवर जो देने हैं, पंचायतों के देने हैं, दूसरों को तो देने नहीं हैं ऐसी सूरत में पंचायतों को ये अधिकार दे दिया जाय, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा क्यों किया जा रहा है, पटवार सर्कल और ग्राम सेवक सर्कल ये जो हैं बी. डी. ओ. के बनाये हुए हैं, बिना किसी की राय लिये केवल अकेले उसके द्वारा ही यह बनाया हुआ ढांचा है। तो ऐसी सूरत में बिना सोचे विचारे, बिना किसी की राय लिये जो ढांचा बनाया गया है उसको अपनाना और जो बड़े सोच विचार के बाद ढांचा बनाया गया है जो, जम चुका है उसको बदलना कहां तक ठीक होगा?

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इससे पहले कह रहा था कि डेवलपमेंट का जो ढांचा है, जहां तक राजस्थान का सवाल है सेकन्ड फाइव इयर प्लान, क्या थर्ड फाइव इयर प्लान आयेगी, तो भी गवर्नमेंट के पास इतना रुपया नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट की मांग के माफिक खर्च कर सके, दूसरे जिलों की तो मैं नहीं कह सकता, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की, जोधपुर डिविज़न की कहता हूं कि ५० पर्सेन्ट खर्च करने के बेसिस पर गवर्नमेंट जितना भी रुपया देने को तैयार हो गांवों में लोग लेने के लिए तैयार हैं, जनता श्रम दान से, अर्थ दान से उन कामों को कर सकती है। ग्राम पंचायतें, तहसील पंचायतें हैं, उनके पंचों और सरपंचों ने हर एक गांव में काम किया है, गांवों में उन लोगों ने चंदे इकट्ठे किये हैं, यह तभी होता है कि स्टेचुटरी बोडी मजबूत हो।

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने सवाल आया कि बी० डी० ओ० किसको बनाया जाय, एस० डी० ओ० को नहीं बनाया; दो साल चला कि बिना एस० डी० ओ० के काम नहीं चल सकता, काम ठप्प हो गया तो चेंज करना पड़ा, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आदमी के पास शक्ति नहीं, पंचायतों को जुडिशियल पॉवर नहीं रहेंगे तो

(श्री मोतीलाल चौधरी)

गांवों के अन्दर कोई पैसा देने वाला नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जांय और चाहें कि उपदेश दे कर पैसा इकट्ठा कर लिया जाय तो नहीं हो सकता। भूदान का नक्शा हमारे सामने सुन्दर पड़ा है, लेकिन कितने पर्सेंटेज़ में काम हुआ। इसी तरह पंचायतों के अधिकार अलग करते हैं तो एक तो लोगों के अन्दर आप भ्रम पैदा करेंगे, ढांचा बदलेगा और काम पूरा नहीं कर पायेंगे।

इसके बाद अगर इसको मान भी लें तो मुझे शक होता है कि हर तहसील समिति, पंचायत समिति के अन्दर सरकारी अधिकारियों के अधिकार रखे हैं, हम डीसेंट्रलाइज़ेशन कर रहे हैं, अधिकार जनता को दे रहे हैं, हमारे विधान के अनुसार पॉवर जनता के हाथ में सौंप रहे हैं, एक तरफ तो यह कर रहे हैं; दूसरी तरफ उस समिति के अन्दर जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी वोट देने के पॉवर दे रहे हैं। जहां तक मैं गलत नहीं, राजस्थान के बजट का डीसेंट्रलाइजेशन करना जितना जरूरी है उतना पॉवर का डीसेंट्रलाइज़ेशन करना जरूरी नहीं है। एरिया के दृष्टिकोण से कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा पड़ता है तो उसको देते नहीं, राजस्थान के जिले, तहसीलें किस तरह बने हुए हैं, राजस्थान का बजट है उसकी धन राशि किस तरह डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों के एडमिनिस्ट्रेशन पर किस तरह खर्च हो रही है। एक तरफ एक डिस्ट्रिक्ट १७००००० का है और दूसरी तरफ दूसरा डिस्ट्रिक्ट १००००० एक लाख का है, सत्रह लाख वाले डिस्ट्रिक्ट पर जितना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है उतना ही एक लाख वाले डिस्ट्रक्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा किया जाता है। वही एक एस० पी० वहां, वही एक एस. पी. वहां, वही एक कलेक्टर १७ लाख वाले डिस्ट्रिक्ट में भी और वही कलेक्टर एक एक लाख वाले डिस्ट्रिक्ट में भी। जितने ऑफिसर्स १७ लाख वाले डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में बैठे हुए हैं उतने ही ऑफिसर्स एक लाख वाले डिस्ट्रिक्ट के हैड क्वार्टर में भी बैठे हुए हैं। कोटा की जन संख्या पौने आठ लाख, नागौर डिस्ट्रिक्ट की नौ लाख, नागौर में आठ तहसीलें हैं, वहां कोटा में २१ तहसीलें हैं। सबसे पहले जरूरी है कि इनको किस तरह रेगुलराइज़ करना है। इस रिपोर्ट में मूल उद्देश्य यह था कि :

'The maximum possible economy and avoiding wastage in delays and inefficiency has assumed greater importance than others.'

सबसे मुख्य इसका उद्देश्य यह था कि हमारी धन राशि गलत ढंग से खर्च हो रही है, एफिशियेंसी पैदा नहीं हो रही है। मैं अर्ज करूं कि एक कलेक्टर एक लाख की डिस्ट्रिक्ट पर बैठा है, वही ग्रेड, वही क्वालिफिकेशन, वही एफिशियेन्सी और १७ लाख के डिस्ट्रिक्ट पर जो कलेक्टर बैठा है उसकी भी वही क्वालिफिकेशन, वही एफिशियेन्सी और उसका वही ग्रेड। इसी तरह तहसीलों के ढांचे को देखते हैं तो कोटा जिले का एरिया चार हजार स्क्वेयर माइल है और नागौर का इससे डेढ़ा है। पोपुलेशन की दृष्टि से दोनों सरीखे पड़ते हैं, एक्सपेन्सेज़ की दृष्टि से नागौर में ८ तहसीलें हैं और कोटा में २१ तहसीलें हैं। फिर हमें तहसीलें मिलती हैं, कोई तहसील एक लाख की और दूसरी १॥ लाख की और कोई ४० हज़ार की। कोई तहसीलें ऐसी हैं जिनकी आमदनी कम है तो किसी की ज्यादा; तो हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिये यह एक खास देखने की चीज़ है और उस तरफ देखने

(श्री मोतीलाल चौधरी)

का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये । जहां तक इस रिपोर्ट का संबन्ध है और इसका असली उद्देश्य है उसको समझ सका हूं, कि तहसीलों का और पंचायतों का यूनिट कितना बड़ा होना चाहिये उसका निपटारा हमारी धन राशि को देखते हुए करना चाहिये । उन्होंने शासन में केवल पंचायतों पर ही हस्तक्षेप किया है और दूसरी बातों पर नहीं, अतः उन पर भी करना चाहिये क्योंकि इसका संबन्ध जिलों और डिस्ट्रिक्टों से भी रहता है ।

श्री उपाध्यक्ष : Zero hour is coming near.

श्री मोतीलाल चौधरी : (जारी) माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस संबन्ध में अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है । मैं एक बात और कहूंगा और वह यह है कि मेरा तो यह विचार है कि डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन करना है तो सब का किया जाए और ऐसा नहीं कि ८० प्रतिशत का नहीं किया जाए और २० प्रतिशत का ध्यान रखा जावे । अगर वास्तव में डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन करना है तो कम्प्लीट करना चाहिये । इसके साथ-साथ यह भी होना चाहिये कि जहां पर ज्यादा खर्चा हो और जहां पर कम खर्चा हो, उसका सब का ध्यान रखा जाए । ऐसा न हो कि किसी जगह ज्यादा खर्च हो और किसी जगह कम । रिपोर्ट का यह उद्देश्य है कि सब को ठीक तरह से एडजस्ट कर सकें तो उचित होगा । इसके अलावा आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो पंचायत समितियें और जिला परिषद् में अधिकारियों को जो अधिकार दिये गये हैं वे अनुचित होंगे । मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो हम जनता को अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम सरकारी अधिकारियों को नॉमिनेट कर रहे हैं, यह उचित नहीं हैं और नॉमिनेशन का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार उत्तर दे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने बलवन्त राय मेहता ने जो रिपोर्ट दी उस पर विचार का प्रस्ताव रखा है, उस पर दो रोज से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये । मैं उसका उत्तर देने के लिये कि सरकार की क्या नीति है, उस पर कोई विचार प्रकट करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । यह विषय बहुत गंभीर है और माननीय सदस्यों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं । इस पर निर्णय लेने से पहले सदन के सदस्यों की राय जानना आवश्यक था । इस लिये यह रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई और माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और जो उन्होंने फरमाया है उस पर सरकार विचार करेगी और विचार करने के बाद जो निर्णय लिया जावेगा उससे सदन को अवगत कराया जावेगा । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सदन के सदस्य कोई उत्तर की उम्मीद नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सूचनार्थ यह निवेदन कर दूं कि सदन की कार्यवाही कल १ बजे से प्रारंभ होकर ७ बजे तक होगी क्योंकि आचार्य तुलसी यहां आये हुए हैं उनके भाषण का कोई फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, इसलिये यह समय रखा गया है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ५५ मिनट पर कल २७ फरवरी, १९५८ को दिन के १ बजे तक के लिये स्थगित हुई.)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, २६ फरवरी, १९५८)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	२३१९

पब्लिसिटी वान्स।
तहसील पंचायत, दूनी।
पालीजिले में वृक्षारोपण।
यातायात (बस-सर्विस) का परीक्षण।
तहसील दूनी व उनियारा में सड़क निर्माण।
नगरपालिका, जयपुर।
नगर विकास मंडल।
पारवती एवं चम्बल नदी पर।
पुल निर्माण।
मेडीसिन बोर्ड।
फॉरिस्ट ट्रेनिंग स्कूल, कोटा।
सन् १९५१-५२ में पुलिस प्रशिक्षण पर व्यय।
नगरपालिका, लूणकरणसर।
लालसोट-गुढ़ाचंदजी बस सर्विस।
हथियारों के लाइसेन्स।
सकतपुर व कुन्जेड (त० अटरू) में चिकित्सालय।
रामसराताल (त० राजगढ़) में जल बोर्ड द्वारा सहायता।
जयपुर-कालवाड, सड़क-निर्माण।
बिरला वैगन फैक्टरी, भरतपुर को विद्युत-पूर्ती।
बरसाती नाले का पक्का बनवाया जाना।
सीकर जिले में जनवरी, ५५ से दिसम्बर, ५७ तक हुई चोरियां।
सहकारी समिति।
नगरपालिका, बीकानेर।
भरतपुर के कृषि कार्यालय में ट्रेक्टर्स।
नगरपालिका, सीकर।
राजस्थान केनाल।
सहकारी समिति।
डाक्टरों की नियुक्ति।
औषधि वितरण।
सिरोही-जोधपुर के बीच सीधी बस सर्विस।
बलवन (उप-त० इन्द्रगढ़) के तालाब की मरम्मत।
प्रशिक्षित नर्सेज़।
स्टॉक होल्डर्स का रजिस्टर।
सहकारी भंडार।
लोहा व इस्पात के रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर्स।
सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी।

	स्कम्भ
सदन की मेज पर रखे गये पत्र लेखे तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन	२३७५

श्री रिखबचन्द धारीवाल, उप वित्त मन्त्री, ने निम्नांकित लेखे तथा उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे:—

(१) नियोजन लेखा १९५६-५७ (१) अप्रेल, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक), तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन।

(२) अजमेर राज्य का वित्त लेखा १९५५-५६, तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५६।

विधेयक की पुरःस्थापना	२३७५

राजस्थान भार व नाप (प्रचलन) विधेयक, १९५८
(पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मन्त्री, ने सभा की आज्ञा

Page No.106

स्कम्भ

प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान वेटर्स एण्ड मेज़र्स (एनफ़ोर्समेन्ट) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित किया ।

सामुदायिक योजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड संबंधी अग्रेत्तर वाद विवाद । २३७६

उपरोक्त विषय पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा । निम्नांकित सदस्यों ने इसमें भाग लिया :—

(१) श्री भैरोंसिंह (१४)
(२) डा० चन्द्रकला
(३) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
(४) श्री अनूपसिंह

स्कम्भ

(५) श्री सोहनलाल
(६) श्री पुरुषोतमलाल
(७) श्री मुक्तिलाल मोदी
(८) श्री मनोहर कोठारी
(९) श्री सम्पतराज जैन
(१०) राजा श्री मानसिंह
(११) श्री मोतीलाल चौधरी

सरकार की ओर से श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मंत्री, ने उत्तर दिया ।

गुरुवार, दिनांक २७ फरवरी, १६५८ की कार्य सूची

अशासकीय कार्य ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४११ का उत्तर देखिये)

LAST OF PLANTATION AT PALI DISTRICT

S. No.	Name of Plantation	Year.	Area.
1.	Pali Jor	1955	50 acre
2.	Pali Jor	1956	110 "
3.	Pali Jor	1957	200 "
4.	Pali Jor	1958	200 "
5.	Guda Endla	1956	200 "
6.	Guda Endla	1957	100 "
7.	Guda Endla	1958	100 "
8.	Ghanerao	1956	100 "
9.	Ghanerao	1957	100 "
10.	Ghanerao	1958	100 "
11.	Bali	1957	200 "
12.	Bali	1958	200 "
13.	Desuri	1956-57	200 "
14.	Kalu Jor	1956	200 "
15.	Kalu Jor	1958	200 "

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४२६ का उत्तर देखिए)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Local Self Government

(A) Department

Notification

No : F. 1 (k) (116) LSG/53. Dated Jaipur, the 5th November, 54.

The Rules for sale and allotment of land in various cities and towns in Rajasthan as approved by His Highness the Rajpramukh of Rajasthan, are hereby published for general information.

By order of

His Highness the Rajpramukh,

(Sd/- S. L. KAKAR.)
Secretary to the Government.

No : F. 1 (k)(116) L.S.G. /53.

(1) Director of public Relation. Rajasthan, Jaipur

(2) Urban & City and Town Improvement Boards

(3) Collectors

(4) Superintendent Government Press, Jaipur for publication in next issus of Rajpatra.

Sd/- S. L. Kakar.

Secretary to the Government,

RULES FOR SALE AND ALLOTMENT OF LAND IN VARIOUS CITIES AND TOWNS IN RAJASTHAN.

1. Title and extent.

These rules may be citied as the Rajasthan Urabn Areas (Allotment of land) Rules, 1954.

These Rules shall in the first instance apply to sale and allotment of Khalsa lands with in the Municipal limits of the cities and Towns specified in the Schedule annexed hereto but the Government may by notification in the Rajasthan Gazette, extend their application to such other places as in its opinion possess urban characteristics.

2. Definition. In these rules, unless there is anything repugnent to the subject or context:—

(a) "allotment" shall mean transfer of right of ownership subject of to such conditions as may be prescribed in this behalf;

(b) "developed area" shall mean an area which is either built wholly or on which construction have been made to the extent of fifty per cent or which may be so declared by notification in this behalf;

(c) "undeveloped area" shall mean an area which has not been built upon or which may be

declared as such by notification in this behalf;

(d) 'development cost' shall mean an expenditure incurred on levelling the grounds, laying of roads, arrangements for water supply, Electricity and the like;

(e) "plot" shall mean a strip of land earmarked for residential, commercial or industrial purposes,

(f) "industrial purpose" shall mean a purpose connected with an activity in the course of which goods are manufactured, refined or processed;

(g) "commercial purpose" mean a purpose connected with an activity in the course of which goods are sold or storaged;

3. Which Plots to be Auctioned.

The following plots shall be auctioned :—

(a) all sites for commercial purposes;

(b) residential sites in developed areas;

(c) such other plots as the Govt. may specify.

4. Procedure for Auction.

The following rules shall be observed when selling plots by auction.

(i) Auction shall be held by an Auctioneer appointed by Government in this behalf from time to time under the supervision of the Collector or a subordinate Gazetted Officer authorised by him in this behalf. The Secretary, Urban Improvement Board, however, shall supervise the auction at Jaipur;

(ii) Wide publicity of the proposed auction shall be given by specifying number of plots, size of plots, location of plots, date and time of the auction and relevant conditions of the bid;

(iii) The conditions of the bid shall be read out before the auction is held;

(iv) The bidders shall be asked to deposit a sum of Rs. 50/- before they are allowed to bid, which will be refunded at the close of the bid;

(v) Complete account shall be kept of every bid, giving the name of the bidder and the amount of this bid;

(vi) The successful bidder shall be required fortwith to deposit 25% of the amount of his bid as Earnest Money, and the remaining amount thereof shall be deposited within one month of the intimation of the acceptance of the bid by Government failing which the Earnest Money shall be liable to be forefeited;

(vii) Bids shall be aceepted provisionally, pending sanction of the

Government which reserves the right to accept or reject any bid; withought assigning any reason.

(viii) Attempt shall be made to ensure that rings are not formed;

(ix) At any time when bid is not found to be free and competitive the Officer incharge of the auction may cancel the same.

5. Allotment of Plots.

The following classes of plots may be sold or leased out by allotment:

(i) all plot meant for residential purposes in undeveloped;

(ii) plots which can only be utilised for extension or improvement of existing buildings;

(iii) plots for industrial purposes;

(iv) Such other plots as may be specified by the Government in this behalf;

6. Rules for Allotment.

(1) No plot will be offered for allotment in an unbuilt area unless a building scheme has been drawn up and approved by Government.

(2) The approved Schemes showing the specific uses for which separate zones or sections under the schemes are designated (viz, residential, educational, recreational, business and commercial, industrial, public utilities, social and cultural, roads and open spaces) shall be given proper publicity, by being hung up for public information and inspection, in the Municipal or Urban Improvement offices, and in such other places as the Government my decide;

(3) Intending allottees shall see the sites and satisfy themselves in every possible way before allotment. No objections shall be entertained after an allotment has been made;

(4) Applications for allotment shall be submitted in prescribed forms which will be available in the office of the urban Improvement Board. Applications received otherwise than, in prescribed forms will be kept pending for a period of 14 days and will be considered only after they are resubmitted in proper forms within this period, priority being considered from the date of the original application;

5. Allotment of plots in residential zones will ordinarily be made for bonafide residential use, to those who have not already been allotted plots in any other improvement scheme of the city or town as the case may be and who have no house already therein, provided that, those who have joint houses or whose houses are located in congested areas may be connsidered for allotment;

6. Not more than one plot shall be allotted to one family.

7. Registered Co-operative Housing Societies may be allotted more plots in the name of the Society for the bonafide use of its members;

8. Persons who have been allotted plots and have disposed of them shall not normally be alloted plots again, provided that the claims of those who have surrendered their plots with the approval of the Government may be considered for re-allotment;

9. Application for exhchange of plots will be entertained by the Government on merits provided that only one such exchange will normally be permitted.

(7) Priorty In Allotment

The following order of priorty will be observed in allotment of plots.

(1) public utility concerns, essential services, charitable, religious and social organisations, local bodies.

(2) persons who were dispossessed of land in furtherance of any improvement scheme:

(3) Government emploIAS having no residential houses at their place.

(4 Any other case in the public interest.

In all other cases if the number of applicants is greater than the plots to be allotted the allotment will be made by drawing of plots.

9. Calculation of the price of plots to be allotted.

The minimum price of a plot calculated per yard shall comprise the following items :

(1) cost of the land at the time of taking the scheme in hand :

(2) development cost;

(3) betterment charges on account of provisions for amenities which have added to the value of the plot;

(4) capitalised value of the urban assessment;

(5) interest on the sums invested.

10. The decision of the Government with regard to the cost peryard shall be final.

11. Allotment shall be conditional on the allottee making the necessary constructions within a specified period, failing which the Government shall be entitled to resume the plot and allot it to another person and the original allottee shall be responsible and make good the loss, if any, accruing in the transactions.

12. Plots for Industrial Purposes.

(a) Plots for industrial purposes will be leased out to the

industrialists for 50, 75 or 99 years to be previously determined in each individual case by the Government;

(b) The rent to be charged shall be determined in each case provided that it shall not be less than 5% of the existing market price;

(c) After the expiry of the laase period the land shall re-vest in the Government free of all encumberances unless there be a renewal of lease. In case the lease is not renewed the buildings etc. may be removed bv lessee or acquired on payment of compensation to be fixed by agreement or arbitration. After the renewal is granted the rentals shall be revised but in no case should there be an increase above 25 per cent of original rental in the case of a 25 years lease; 50 per cent of the original rental in the case of a 50 years lease and 100 per cent of the original rental in the case of a 99 years lease;

(d) A deed embodying the above conditions will be given to the lessee

(e) The rental shall be paid in advance for one year at the beginning of every financial year;

(f) If the plot of land is not put to the use for which it was taken on lease within 6 months from the date of the handing over of the deed, the plot shall be liable to resumption and only 4/5th of the amount paid by the lesee will be refunded to him.

13 ALLOTMENT AT CONCESSIONAL RATES. Plots to public utility concerned, essential services, charitable organiations, religious, social or Municipal authorities may be allotted at concessional rates, provided that such rate, shall not be less then the developement cost inculding cost of providing amenities. In case it is decided to allot such plots free of any charge the Department concerned will be required to pay the development cost. (If the plot is to be allotted free of cost or at a concessional ratè prior approval of Government shall be obtained).

14. POSSESSION WHEN DELIVERED.

Possession of land will be delivered after payments have been made and a patta issued in favour of the allottee, possession without a patta will be considered as unathorised.

15. NATURE OF TRANSFER. Plots would be sold on an outright sale basis, except as otherwise expressly provided in these rules.

16. SURRENDER. Plots once allotted can be surrendered with the permission of Government and the price of the plot refunded provided that the allottee shall be charged Rs. 50/- in each case and shall be liable to make good the loss, if any, arising out of reallotment of the plot.

sd/-S.L. Kakar.
Secretary to hte Govt.

परिशिष्ट

LIST OF PLACES WHERE CITY IMPROVEMENT COMMITTEES AND TOWN IMPROVEMENT BOARDS EXIST.

TOWN	DISTRICT
1. Jaipur.	
2. Jodhpur.	
3. Udaipur.	
4. Bikaner.	
5. Malpura.	Tonk.
6. Tonk.	Tonk.
7. Pali.	Pali.
8 Sikar.	Sikar.
9. Jhalawar.	Jhalawar.
10. Sirohi.	Sirohi.
11. Nathdwara.	Udaipur.
12. Phalodi.	Jodhpur.
13. Jaiselmer.	Jaiselm.r.
14. Gangashehr.	Bikaner.
15. Bhinasar.	Bikaner.
16. Chittorgarh.	Chittorgarh.
17. Banswara.	Banswara.
18. Dungarpur.	Dungarpur.
19. Bhilwara.	Bhilwara.
20. Nokha Mandi.	Nokha Mandi.
21. Kishangarh.	
22. Dausa.	

परिशिष्ट ३

२५४३

(कृपया प्रश्न संख्या ५४० का उत्तर देखिए)

Medical & Health Directorate, Rajasthan, Jaipur, Fubruary 9th 1955.

No. 93

Circular

To,

All Administrative Officers.

Sub :-Free Drugs.

The following medicines would be given free to the patients in the out door department of the Hospitals and Diapensaries in Rajasthan.

The list should be pasted on thick card board and displaced prominently in all institutions for the information of the public.

1. Farri sulphate in mixture form or Feraclate tablets.
2. Paludrine.
3. Mepacrine.
4. Sulphaguanidine in mixture form as per attached prescription.
5. Adrenalin injection.
6. Ephedrine tablets.
7. Panicillin in case of vanareal diseases 5 days course it will be issued in solution form under supervision of Medical Officer
8. Multivitamin tablets.
9. Capsules of Vitamin A & D.
10. Vitamin B Complex.
11. Yeast tablets.
12. Nicotinic Acid tablets (Polonin)
13. Quinine injection.
14. Kmetine.
15. Vitamin C Tablets.
16. Calcium injections.
17. Liver injections.
18. Sulphecetamide eye drops.
19. Barberin Sulph injections.
20. Veg. Laxatine pills.
21. Plaster of paris.
22. Vaccines and sera.
    (i) Anti Venum.
    (ii) T. A. B.

(iii) Anti-tetanus.
(iv) Anti-rabic.
(v) Anti-staphte strapte vaccines.

Sd/B. N. Sharma.
Director of Medical & Health Services.
Rajasthan. Jaipur.

Prescription.

Sulphaguanidine	4 tablets.
Caster oil emulsion	1 oz.

3 to 4 times a day.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २६ फरवरी, १९५८)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२३१६	३	जयपुर, में प्रराम्भ हुई।	जयपुर में प्रारम्भ हुई।
२३२४	अन्तिम पंक्ति	संख्या निम्न ह:	संख्या निम्न है :
२३२६	१	(श्री प्रभुदलाल)	(श्री प्रभुलाल)
२३३५	अन्तिम से ४ थी	श्री बद्रीप्रासद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२३४५-४६	१६ (तृतीय कालम आइटम ५)	१९५७	१९५५
२३४७-४८	२०-२२ (तृतीय कॉलम)	१९५७	१९५५
		१९५६	१९५६
		१९५६	१९५७
२३५५	५	सीकर व भूंभनू जिले	सीकर व झुंझुनू जिले
२३७१	२५-२६	Stockist to...their depot	stockists to...their depots
२३७१	२८	Registered Stock-holders	Registred Stock-holders
२३७५	१६	राजस्थान भार व नाम (चलन) विधेयक	राजस्थान भार व नाप (प्रचलन) विधेयक
२३९४	अन्तिम से ५ वीं	टैक्सेशन का डुप्लीकेशन	टैक्सेशन का डुप्लीकेशन
२४०७	शीर्ष	सामुदायिक विकास योजनायें तथा राष्ट्रीय	सामुदायिक योजनायें तथा राष्ट्रीय
२४१४	अन्तिम पंक्ति	यहां जो प्रज़ेन्ट	यहां जो प्रेज़ेन्ट
२४२६	२४	उससे अधिक श्रेष्ट	उससे अधिक श्रेष्ठ
२४३१	१०	दुसरे स्थान में	दूसरे स्थान में
२४३४	७	कलेक्टर की	कलेक्टर की
,,	१०	लेक्टर भी समझ	कलेक्टर भी समझ
४३६	अन्तिम से ७ वीं	कर नहीं रकते और	कर नहीं सकते और
४३८	,, से ४ थी	मेथर्ड माना है	मैथड माना है
४५	शीर्ष पंक्ति	सामुदायिक योजनायें तथा राष्ट्रीय	सामुदायिक योजनाएं तथा राष्ट्रीय
२२	४	uuderstands its	understands its
	अन्तिम से २ री	श्री सोहनलाल भटनगर	श्री सोहनलाल भटनागर
२४	अन्तिम पंक्ति	को बढ़ाया	को बढ़ाया जा
२४	७	सेशन जज	सेशन जज
२४८	१७	बीच बच में	बीच बीच में

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्य	अशुद्धि	शुद्धि
२४६५	१	श्री मनोहर) कोठारी)	(श्री मनोहर कोठारी)
२४६६	२४	टैक्नकल व्यक्तियों	टेक्निकल व्यक्तियों
२५०७	शीर्ष पंक्ति	सामुदायिक विकास योजनायें तथा राष्ट्रीय	सामुदायिक योजनायें तथा राष्ट्रीय
२५२४	५	उतने ही ऑफसस एक	उतने ही ऑफेसर्स एक
२५२५–२६	शीर्ष पंक्ति	–२५ फरवरी, ५८–	–२६ फरवरी, ५८–
२५२६	७	अग्रेत्तर वद विवाद ।	अग्रेतर वद-विवाद ।
२५३१	३	LAST OF PLANTATION	LIST OF PLANTATION
२५४३	१८	case of vanareal diseases	case of venereal diseases